ख्वातीन के लिए ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमुआ

सुन्नी
बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ
मुफ्ती ख़लील ख़ां बरकाती

Scanned by CamScanner

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

लेखक-

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली

हिन्दी कर्ता-

मौलाना शहादत हुसैन फ़ैज़ी

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली- 6

फोन: 3281418

Rs. 160.00

Scanned by CamScanner

फेहरिस्त हिस्सा अव्वल

मज़ामीन	सफा
तहारत का बयान	1
चन्द ज़रूरी इस्तिलाहें	2
वुज़ू का बयान	3
गुस्ल का बयान	21
तयम्मुम का बयान	36
हैज़ का बयान	42
निफ़ास का बयान	47
इस्तिहाज़ा का बयान	57
नजासत का बयान और उसके अहकाम	59
नजिस चीजो के पाक करने का तरीका	64
इस्तिंजे के मुतअल्लिक चंद मसाइल	67
नमाज़ के वक़्तो का बयान	68
नमाज़ की शर्तों का बयान	72
नमाज़ के फ़राइज़	81
नमाज़ के वाजिबात का बयान	86
नमाज़ की सुन्नतों का बयान	87
नमाज़ के मुस्तहब्बात	88
नमाज़े वित्र का बयान	94
कज़ा नमाज़ का बयान	97
पर्दे से मुतअल्लिक़ चन्द आयात व अहादिस	99
शौहर के हुकूक़	106
बीवी के हुकूक़	110
चहल अहादिस	114
औलाद की तालीम व तबियत	116
(हिस्सा दोम)	**123**
नफिल नमाज़ का बयान	124
सज्दए सहव का बयान	132
बिमार की नमाज़ का बयान	136
सज्दए तिलावत का बयान	139
नमाज़े मुसाफिर का बयान	142
बीमारी का बयान	147
मौत आने का बयान	154
मय्यत का गुस्ल व कफ़न	158
नमाज़े जनाज़ा और क़ब्र व दफ़न से मुतअल्लिक़ बाज़ मसाइल	167
ताज़ियत का बयान	174
सोग़ और नोहा का बयान	178
शहादत का बयान	182
ईसाले सवाब का बयान	183
वालदैन के हुकूक़ बादे वफ़ात	198
ज़कात का बयान	201
सदक़ ए फ़ित्र का बयान	209
रोज़े का बयान	210
नफ्ली रोज़े	223
हज का बयान	236
हजे बदल	241
हज में औरत के मख़सूस अहकाम	242
सफ़र मदीना तय्यबा	248
(हिस्सा सोम)	**252**
निकाह का बयान	253
मुहरमात का बयान	265
रज़ाअत यानी दूध के रिश्ते	274
कुफ़ू का बयान	282
औरत का हक्क़े मेहर	286
तलाक़ का बयान	293
ईला और ज़िहार का बयान	310
खुलआ का बयान	318
लिआन का बयान	320
ज़ौजा मफ्कूद का बयान	323
इद्दत का बयान	325
बच्चे की परवरिश का बयान	331
नफका का बयान	335
मजालिसे खैर का बयान	341
अक़ीक़ा और खतना	345
ज़ीनत का बयान	350
इस्लाहुर्रुसूम	358
आतिश बाज़ी	370

Scanned by CamScanner

(हिस्सा चहारुम) 374
फज़ाइल व मसाइल दुरूद शरीफ 375
कुरआन मजीद पढ़ने के फज़ाइल व आदाब 379
दुआ और उनके फज़ाइल व आदाब 386
कसम और उसके कफ्फारे का बयान 392
हुदूद व ताज़ीरात का बयान 399
हद्दे कज़फ का बयान 405
ताज़ीर का बयान 406
मुर्तद का बयान 414
चन्द कुफरिया कलिमात 421
लुक्ता का बयान 437
मफकूत का बयान 442
खरीद व फरोख्त का बयान 443
कर्ज़ का बयान 470
मुतफर्रिक मसाइले ज़िंदगी 476
याद दाश्त के लिए गिरह लगाना 476
पांव में डोरा बांधना 477
गले या बाजू में तावीज़ 477
लिखा हुआ दस्तरखान 479
नज़रे बद से हिफाज़त 480
किस्से कहानी सुनना —सुनाना 481
जहेज़ की एक सूरत 483
बच्चो के लिए तहायफ 485
एक दूसरे के माल में तसर्रुफ 486
तोहमत की जगह 487
पीरों के हाथ पांव का बोसा 487
अपने हक के लिए दूसरे का माल दबाना 488
मां बाप का नाम लेना 489
शौहर का नाम लेकर पुकारना 489
मरने की दुआ करना 489
ज़लज़ला के वक्त 489
हमबिस्तरी के वक्त कलाम वगैरह 491
मज़लूम से मुआफी 492
माहे सफर या तेरह तेज़ी 492
तांबे और मिट्टी के बरतन 494
रोटी के चार टुकड़े करना 495
पान में तम्बाकू का इस्तेमाल 495
अंधे से परदा 497
पानी पीने की इस्लामी तहज़ीब 500
खाली मकान में जाना 501
छींक बदफाली नहीं 502
हदिया की वापसी 503
दूसरे के बरतनों का इस्तेमाल 503
तिनके से खिलाल 503
झूला झूलना 504
अस्र के बाद खाने से परहेज़ 505
सोने चांदी के बरतन 505
आराईश व ज़िबाईश 506
सोने चांदी के बटन 506
तंग पाजामे 506
बगैर सलाम किए कलाम करना 507
खाने–पीने के आदाब 507
चलने–फिरने के आदाब 509
मजलिस के आदाब 515
गुफ्तगू के आदाब 518
मुतफर्रिक आदाब 521
जमाई और छींक 528
कहकहा मारना 529
क़िबला रुख थूकना 530
ख़ाब की ताबीर
मकान में जाने के लिए इजाज़त 531
बड़ा भाई चचा और खालू 532
असबाबे फिक्र व तंगदस्ती 533
खुद कर्दा रा इलाज नीस्त 543
असबाबे गिना व फराख़दस्ती 546
दुआए खैर 546

Scanned by CamScanner

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

जि़न्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

भाग

2

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील खां
क़ादरी बरकाती मद्देज़िल्लहु आली

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल

जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

PH· 32281418-

Scanned by CamScanner

नफ़िल नमाज़ों का बयान

नफ़िल नमाज़ें तो बहुत कसीर हैं। इन औक़ात के अलावा जिन में नमाज़ पढ़ना ममनूअ़ (मना) है। आदमी जिस वक़्त और जितने नवाफ़िल पढ़ना चाहे पढ़े मगर हम सिर्फ चन्द नमाज़ों का बयान करते हैं। लेकिन यह याद दिलाना भी ज़रूरी ख़याल करते हैं कि

जिस के ज़िम्मा क़ज़ा नमाज़ें हों (मर्द ख़्वाह औरत) उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है। बाल बच्चों की खुरदो नोश और निगेहदाश्त व परवरिश और दीगर ज़रूरियात की फ़राहमी के बाद जो वक़्त फ़ुर्सत का मिले उसमें क़ज़ा पढ़ता रहे यहां तक कि पूरी हो जाएं। और क़ज़ा नमाज़ें, नफ़िल नमाज़ों से अहम हैं। यानी आदमी जिस वक़्त नफ़िल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उनके बदले क़ज़ा नमाज़ें पढ़े ताकि बरीउज़्ज़िम्मा हो जाए। (रददुलमुहतार) और लौ लगाए रखे कि मौला अज़्ज़ोजल अपने करमे खास से क़ज़ा नमाज़ों के ज़िम्न में उन नवाफ़िल का सवाब भी अपने ख़ज़ाईने ग़ैब से अता फ़रमा दे जिन के औक़ात में यह क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी गई।

वल्लाहु ज़ुलफ़ज़्लिल अज़ीम　　والله ذو الفضل العظيم

१. तहय्यतुल वुज़ू :– वुज़ू से फ़ारिग़ होकर (अगर वक़्त मकरूह न हो तो) आज़ाए वुज़ू खुश्क होने से पहले दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छा (इतमीनान से) वुज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जाह होकर (दिल लगाकर) दो रकअ़त पढ़े उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। (मुस्लिम शरीफ़)

मसला:– गुस्ल के बाद भी दो रकअ़त नमाज़ मुस्तहब है। वुज़ू

Scanned by CamScanner

के बाद बदन खुश्क होने से पहले फ़र्ज़ वग़ैरह पढ़े तो क़ायम मक़ाम तहय्यतुल वुज़ू के हो जाएंगे। (रददुल मुहतार)

२. **नमाज़े इशराक़:-** यह नमाज़ सूरज निकलने के कम अज़ कम बीस मिनट बाद पढ़ी जाती है। दो या चार रकअ़तें जैसा मौक़ा हो पढ़े। हदीस शरीफ़ में वारिद है कि जो शख़्स फ़ज्र की नमाज़ (मर्द हो तो) जमाअ़त से पढ़ कर ज़िकरे खुदा करता रहा यहां तक कि आफ़ताब बुलन्द हो जाए (जिसका वक़्त बीस मिनट है) फिर दो रकअ़तें पढ़े तो उसे पूरे हज व उमरा का सवाब मिलेगा। (तिर्मिज़ी)

३. **नमाज़े चाश्त:-** सूरज जब खूब बुलन्द हो जाए और धूप में तेज़ी आने लगे तो यह वक़्त नमाज़े चाश्त का है। उस वक़्त कम अज़ कम दो और ज़्यादह से ज़्यादह बारह रकअ़तें पढ़ी जाती हैं और अफ़ज़ल बारह हैं। अहादीस में उनकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है एक हदीस में जिसने चाश्त की बारह रकअ़तें पढ़ी अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। (तिर्मिज़ी)

मसला :- नमाज़े चाश्त का वक़्त आफ़ताब बुलन्द होने से ज़वाल तक है। ज़वाल से पहले-पहले यह नमाज़ पढ़ लेना चाहिए और बेहतर यह है क़ि चौथाई चढ़े, पढ़े।(आलमगीरी रददुलमुहतार)

४. **सलातुल अवाबीन :-** मग़रिब के फ़र्ज़ों के बाद छः रकअ़तें पढ़ना मुस्तहब है उनको "सलातुल अव्वाबीन" कहते हैं। ख्वाह एक सलाम से सब पढ़े या दो से या तीन से और तीन सलाम से यानी हर दो रकअ़त पर सलाम फेरना अफ़ज़ल है उनमें पहली दो रकअ़तें सुन्नत मोवक्किदह होंगी बाक़ी चार नफ़िल। (रददुल मुहतार, रिज़विया) अहादीस में इस नमाज़ के बारे में फ़रमाया कि जो शख़्स मग़रिब के बाद छः रकअ़तें पढ़े और उनके दरमियान में कोई बुरी

Scanned by CamScanner

बात न कहे तो बारह बरस की इबादत के बराबर लिखी जाएंगी और एक हदीस में फ़रमाया उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुन्द्र के झाग के बराबर हों। (तिर्मिज़ी, तबरानी)

५. **नमाज़े तहज्जुद** :- फ़र्ज़े इशा और सुन्नतें वग़ैरह पढ़ने के बाद कुछ देर सो रहे फिर रात को जिस वक़्त भी आंख खुले उस वक़्त नवाफिल अदा करे। उन्हीं नवाफिल को तहज्जुद कहते हैं। वुज़ू करके कम अज़ कम दो रकअ़त नफ़िल पढ़ले तहज्जुद हो गया। और सुन्नत आठ रकअ़त हैं और बुज़ुर्गाने दीन का मामूल बारह रकअ़त है। किरअत का अख्तियार अलहम्दु के बाद जो चाहे पढ़े और कुरआने करीम याद न हो तो बेहतर यह है कि हर रकअ़त में तीन-तीन बार सूरह इख़लास पढ़े और जितनी रकअ़तें पढ़ेगा उतने ही खत्म कुरआन मजीद का सवाब मिलेगा। (रददुलमुहतार)

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रब्बे अज़्ज़ोजल हर रात में जब पिछली तिहाई बाकी रहती है। आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फ़रमाता है और फरमाता है, है कोई मांगने वाला कि उसे दूं? है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी बख्शिश करदूं। (बुख़ारी मुस्लिम)

मसला :- ईद, बकरईद, पन्दरहवीं की रातों, शाबान और रमज़ान की आखिर दस रातों और ज़िलहिज्जा की पहली दस रातों में शब बेदारी मुस्तहब है। अकसर हिस्सा में जागना में भी शब बेदारी है। इन रातों में नफ़िल नमाज़ पढ़ना और तिलावते कुरआन मजीद और हदीस पढ़ना और दूसरे ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहना शब बेदारी है न कि खाली जागना। (रददुलमुहतार वग़ैरह) और ऐसी मुबारक रातों को फ़ुजूल बातों, लग़्वबेहुदा कामों में गुज़ारने से बेहतर यह

Scanned by CamScanner

है कि आदमी सो जाए।

नमाज़े इस्तख़ारा

बाअज़ औक़ात आदमी को अपने काम में यह तरद्दुद तज़बज़ुब होता है कि करूं या न करूं मसलन सफर पर जाना या किसी रिश्ता को मंजूर करना चाहता है या शादी ब्याह वग़ैरह ऐसी ही कोई तक़रीब अंजाम देना चाहता है। लेकिन दिल में तरह-तरह के ख़्यालात आते हैं आदमी घबरा जाता है कि क्या करूं क्या न करूं ऐसे मौकों के लिए शरीअ़त में नमाज़े इस्तख़ारा आई है। इस नमाज़ का पढ़ने वाला (मर्द हो ख्वाह औरत) गोया कि अपने रब्बे अज़्ज़ोजल से मशवरह लेता है। उम्मीद है कि वह ना मुराद नहीं होगा।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआ़ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमें तमाम कामों में इस्तख़ारा की तालीम फ़रमाते थे जैसे कुरआन की सूरत तालीम फ़रमाते थे। (तिर्मिज़ी)

मसला :- इस्तख़ारा का वक़्त उस वक़्त तक है कि एक तरफ़ राय पूरी जम न चुकी हो नमाज़ इस्तख़ारा का तरीक़ा यह है कि जब आदमी किसी काम का इरादा करे तो पहले दो रकअ़त नमाज़ नफ़िल पूरी तवज्जोह से पढ़े फिर ख़ूब दिल लगाकर यह दुआ़ पढ़े:-

اللهم إني أستخيرك بعلمك و
أستقدرك بقدرتك وأسألك
من فضلك العظيم فإنك تقدر
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت
علام الغيوب اللهم إن كنت
تعلم أن هذا الأمر خير لي
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
وعاجل أمري وآجله فاقدره لي

وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ
فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ

وَعَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ
وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ
اَرْضِنِيْ بِهٖ (غنیه)

ऐ अल्लाह मैं तुझ से इस्तखारा करता हूं तेरे इल्म के साथ और तेरी कु दरत के साथ तलब कुदरत करता हूं और तुझसे तेरे फ़ज़ले अ़ज़ीम का सवाल करता हूं इसलिए कि तू क़ादिर है और मैं क़ादिर नहीं और तू जानता है मैं नहीं जानता और तू ग़ैबों का जानने वाला है ऐ मेरे अल्लाह अगर तेरे इल्म में यह है कि यह काम मेरे लिए बेहतर है मेरे दीन व मईशत और अंजाम कार में इस वक़्त और आइंदा में तू उसको मेरे लिए मुक़द्दर करदे और आसान कर। फिर मेरे लिए बरकत दे और अगर तू जानता है कि मेरे लिए यह काम बुरा है मेरे दीन व मईशत और अंजाम कार मेरे इस वक़्त और आइंदा में तू उसको मुझसे फेर दे और मझको उससे फेर। और मेरे लिए ख़ैर को मुक़र्रर फ़रमा जहां भी हो। फिर मुझे उससे राज़ी कर।

और अपनी हाजत अपने ज़ेहन में रखे। बिलखुसूस जबकि ज़बान से अदा करे। मुस्तहब यह है कि इस दुआ के अव्वल व आख़िर अलहम्दुलिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़े और पहली रकअ़त में कु ल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। (रददुलमुहतार) और दुआ़ए मज़कूरा को पढ़कर दाएं करवट पर बातहारत, क़िबला की तरफ़ मुंह करके सो रहे अगर ख्वाब में सफ़ेदी या सबज़ी देखे तो वह काम बेहतर है कर डाले और सियाही या सुर्ख़ी है तो बुरा है उससे बचे। (रददुलमुहतार) या फिर दिल में जो बात ज़्यादा जमती हो उस पर अमल करे।

Scanned by CamScanner

मसला :- बेहतर यह है कि सात बार इस्तखारा करे फिर देखे कि दिल में क्या बात गुज़रती है। उसी पर अमल करे। इन्शाअल्लाह उसी में खैर है। (रददुलमुहतार)

सलातुल तस्बीह

इस नमाज़ में बे इन्तिहा सवाब है। यहां तक उलेमाए किराम फरमाते हैं कि इस नमाज़ की फज़ीलत और बुजर्गी सुनकर इसे तर्क न करेगा, मगर दीन में सुस्ती करने वाला, हदीस शरीफ में वारिद है कि अल्लाह तआला इस नमाज़ के पढ़ने वाले के गुनाह बख़्श देगा। अगले, पिछले नये पुराने जो भूल कर किए और जो जान-बूझ कर, छोटा और बड़ा पोशीदा और ज़ाहिर। उसके बाद सलातुल तस्बीह की तर्कीब तालीम फरमाई। फिर फ़रमाया कि अगर तुम से हो सके तो हर रोज़ एक बार पढ़ो और रोज़ाना न पढ़ सको तो हर हफ़्ता एक बार और यह भी न हो सके तो हर महीना में एक बार और यह भी न हो सके तो साल में एक बार वरना उम्र में एक बार। (आमए कुतुब)

और उसकी तरकीब हमारे तौर पर यह है जो तिर्मिज़ी शरीफ़ में ब रिवायत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़िअल्हु अन्हु से मज़कूर है कि अल्लाहु अक्बर कहकर सुबहा.न.क अल्लाहुम्म. व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दोक व लाइलाह ग़ैरुक पढ़े फिर पन्द्रह बार यह तस्बीह पढ़े। सुबहानल्लाहि वल् हम्दु लिल्लाहि व लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु फिर अऊजु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह और अलहम्दु शरीफ़ और सूरत पढ़ कर दस बार यही तस्बीह पढ़े। फिर रुकूअ़ करे और रुकूअ़ में दस बार पढ़े फिर रुकूअ़ से सर उठाए

Scanned by CamScanner

और समीअल्लाहु लिमन हमदिह के बाद दस बार कहे। फिर सज्दे को जाए और उसमें दस बार कहे और फिर सज्दे से सर उठाकर दस बार कहे फिर सज्दे को जाए और उसमें दस मर्तबा पढ़े। यूंही चार रकअ़त पूरी करे। इस तरह हर रकअ़त में ७५ बार और चारों में तीन सौ तस्बीह हुयीं और रुकूअ़ में सुबहा.न रब्बियल अ़ज़ीम और सज्दा में सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद तस्बीहात पढ़े।

मसला :- अगर इस नमाज़ में किसी ग़लती के बाइस सज्दा सह्व वाजिब हो तो सज्दे करे और उन दोनों में यह तस्बीह न पढ़े। और अगर किसी जगह भूल कर दस बार से कम पढ़े तो बेहतर है कि उसके बाद दूसरा मौका तस्बीह पढ़ने का आये वहीं पढ़ले ताकि वह मिक्दार पूरी हो जाए और रुकूअ़ में भूला तो उसे सज्दे ही में कहे न कि कौमा में कि कौमा की मिक्दार थोड़ी होती है और पहले सज्दे में भूले तो दूसरे में कहे जलसा में नहीं। (रददुलमुहतार) (रुकूअ़ के बाद सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं और दोनों सज्दे के दरमियान बैठने को जलसा)

मसला :- तस्बीह उंगलियों पर न गिने बल्कि हो सके तो दिल में शुमार करे वरना उंगलियां दबाकर।

मसला :- हर वक़्त ग़ैर मकरूह में यह नमाज़ पढ़ी जा सकती है और बेहतर यह है कि जुहर से पहले पढ़े (आलमगीरी रददुलमुहतार) यानी सुन्नत जुहर और फ़र्ज़ जुहर के दरमियान।

नमाज़े हाजत

जब कोई हाजत पेश आए तो उसके लिए दो या चार रकअ़तें पढ़े। हदीस शरीफ़ में है कि पहली रकअ़त में सूरः फ़ातिहा और तीन

बार आयतलकुरसी पढ़े और बाकी तीन रकअ़तों में सूर: फ़ातिहा और कु लहुवल्लाहु अहद और कुल अऊजु बि रब्बिल.फ़.लकि और कुल अऊजु बि रब्बिन्नास एक-एक बार पढ़े तो यह ऐसी है जैसी शबे क़द्र में चार रक़अ़तें पढ़ें। बुजुर्गाने दीन फ़रमाते हैं कि हमने यह नमाज़ पढ़ी और हमारी हाजतें पूरी हुईं। नमाज़ के बाद दुआ़ मांगे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े।

२.क़ज़ाए हाजत के लिए मुजर्रब नमाज़ जो उलेमाए किराम हमेशा पढ़ते आये। सलातुल असरार यानी नमाज़े ग़ौसिया है। जो मुल्ला अली कारी और शैख मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और दूसरे उलेमाए किराम हुजूर सय्यदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं उस नमाज़ की तर्कीब यह है कि बाद नमाज़ मग़रिब सुन्नतें पढ़ कर दो रकअ़त नमाज़ नफिल पढ़े और बेहतर यह है कि अलहम्दु के बाद हर रकअ़त में ग्यारह-ग्यारह बार कुलहुवल्लाहु अहद पढ़े, सलाम के बाद अल्लाह अज़्ज़ोजल के हम्द व सना करे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ग्यारह बार दुरूद व सलाम अर्ज़ करे और ग्यारह बार यह कहे।

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ۔

फिर इराक़ की जानिब ग्यारह कदम चले हर कदम पर यह कहे।

يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْنِ وَيَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِيْ وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

फिर हुजूर सैयदना ग़ौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से अल्लाह अज़्ज़ोजल से दुआ करे। इन्शाअल्लाहु तआला जल्द मुराद को पहुंचे।

Scanned by CamScanner

इमाम अजल अबुल हसन नूरुद्दीन अपनी मशहूर किताब बहजतुल असरार शरीफ में हुजूर सैयदना ग़ौस आज़म रज़ि० से रावी हैं कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं जो कोई सख्ती में मेरी दुहाई दे वह सख्ती दूर हो जाए और किसी मुश्किल में मेरा नाम लेकर निदा करे वह मुश्किल हल हो जाए और जो किसी हाजत में अल्लाह अज़्ज़ोजल की तरफ मुझसे तवस्सुल करे और मुझे वसीला बनाकर दुआ करे वह हाजत पूरी हो।

मौला अज़्ज़ोजल हम सब को आप की बरकात से माला-माल फ़रमाए। आमीन

सज्दा-ए-सहूव का बयान

जो चीज़ें नमाज़ में वाजिब मानी गई हैं। उनमें से जब कोई वाजिब भूले से रह जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए सज्दा सह्व वाजिब हैं उसका तरीका यह है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरकर दो सज्दा करे फिर अत्तहियात वग़ैरह पढ़कर सलाम फेरदे। (आमए कुतुब)

मसला :- जान बूझकर वाजिब छोड़ दिया या सहूवन वाजिब छूट गया और सज्दा सहूव न किया तो दोनों सूरतों में नमाज़ का दोबारा पढ़ना लाज़िम है। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसला :- फर्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है। सज्दा सहूव से उसकी तलाफी नहीं हो सकती लेहाज़ा फिर पढ़े। (रददुलमुहतार)

मसला :- फर्ज़ व नफ़िल दोनों का एक हुक्म है यानी नवाफ़िल में भी वाजिब छूट जाए तो सज्दा वाजिब है। (आलमगीरी)

Scanned by CamScanner

मसला :- एक नमाज़ में चन्द वाजिब तर्क हुए तो वही दो सज्दे काफी हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसला :- वाजिबाते नमाज़ और अरकाने नमाज़ को हमेशा ध्यान में रखना लाज़िम है कि नमाज़ की हालत में किसी रुक्न (फ़र्ज़ नमाज़) को अपनी जगह से हटाकर मसलन पहले या बाद में पढ़ा या उसे दोबारा किया, हालांकि फ़र्ज़ एक ही बार है या जो काम नमाज़ में दो बार किये जाते हैं उनमें तरतीब छोड़ दी। यूंही वाजिबात नमाज़ में रद्दोबदल कर दिया उनमें तरतीब छूट गयी तो इन सब सूरतों में भी सज्दा सह्व वाजिब है। (आमए कुतुब)

मसला :- फ़र्ज़ की पहली दो रकअ़तों में और नफ़िल व सुन्नत व वित्र की किसी रकअ़त में सूर: अलहम्दु की एक आयत भी रह गई या सूरत से पहले ही दो बार अलहम्दु पढ़ी, तो उन सब सूरतों में सज्दा सहूव वाजिब है। हां अलहम्दु के बाद सूरत पढ़ ली तो सज्दा सहूव वाजिब नहीं। यूंही फ़र्ज़ की पिछली रकअ़तों में सूरत मिलाई तो सज्दा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- तादीले अरकान (यानी रुकूअ व सुजूद और कौमा व जलसा में कम अज़ कम एक बार सुबहानल्लाह कहने की मिकदार ठहरना) भूल गई तो सज्दा सहूव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसला:- काअदा अखीरा भूल गई तो जब तक उस रकअत का सज्दा न किया हो लौट आये और सज्दा सहूव करे और अगर उस रकअत का सज्दा कर लिया तो सज्दे से सर उठाते ही वह फ़र्ज़ नफ़िल हो गया। लेहाज़ा अगर चाहे तो मग़रिब के अलावा और नमाज़ों में एक रकअत और मिला ले ताकि रकअतें २ हो जाएं तनहा रकअत न रहे अगरचे वह फ़ज्र या अस्र की नमाज़ हो मग़रिब में और न

मिलाए कि चार पूरी हो गयीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– फ़र्ज़ नमाज़ में पहला क़ाअ़दा भूल गई तो जब तक सीधी खड़ी न हुई हो लौट आए और सज्दा सहूव नहीं। और अगर सीधी खड़ी हो गई तो न लौटे और आखिर में सज्दा सहूव करे और सीधी खड़ी होकर लौट आई तब भी खड़ी हो जाए और बाद में सज्दा सहूव करले (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– नफिल का हर क़ाअ़दा, क़ाअ़दाए अखीरा है यानी फ़र्ज़ है अगर क़ाअ़दा न किया और भूल कर खड़ी हो गई तो जब तक उस रकअ़त का सज्दा न किया हो लौट आये और सज्दा सहूव करे और वाजिब नमाज़, फ़र्ज़ के हुक्म में है। लेहाज़ा वित्र का पहला क़ाअ़दा भूल जाए तो वही हुक्म है जो फ़र्ज़ के क़ाअ़दा ऊला भूल जाने का है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– अत्तहियात पढ़ने की मिकदार क़ाअ़दा अख़ीरा कर चुकी थी और खड़ी हो गई तो जब तक उस रकअ़त का सज्दा सहूव न किया हो लौट आए और सज्दा सहूव करके सलाम फेर दे। उस हालत में सज्दा सहूव से पहले अत्तहियात न पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– क़ाअ़दा ऊला में अत्तहियात के बाद इतना पढ़ा अल्लाहुम्म सल्ले अ़ला मुहम्मद तो सज्दा सहूव वाजिब है इस वजह से नहीं कि पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी रकअ़त के क़याम में देर लगी, तो अगर इतनी देर तक खामोश रहती तब भी सज्दा सहूव वाजिब है जैसे क़ाअ़दा व रुकूअ़ व सजूद में कुरआन पढ़ने से सज्दा सहूव वाजिब है हालांकि वह कलामे इलाही है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला :– दुआए कुनूत या वह तक्बीर भूल गई जो दुआए कुनूत

पढ़ने के लिए पढ़ी जाती है तो सज्दा सहूव वाजिब है।(आलमगीरी)

मसला :- जिस पर सज्दा सहूव वाजिब था उसे यह याद न रहा कि सज्दा सहूव करना है और नमाज़ ख़त्म करने के लिए सलाम फेर दिया तो अभी नमाज़ से बाहर न हुई लेहाज़ा जब तक कोई ऐसा काम जो नमाज़ फ़ासिद कर देता है, न किया हो उसे हुक्म है कि सज्दा सहूव करे और फिर अपनी नमाज़ पूरी करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- जिसको नमाज़ में तादाद रकअ़त में शक हो मसलन यह शक कि तीन हुई या चार, और यह बालिग़ होने के बाद पहला वाक़िआ है तो यह नमाज़ तोड़ दे और नये सिरे से पढ़े और अगर यह शक पहली बार नहीं बल्कि पेश्तर से हो चुका हो तो ग़ालिब गुमान किसी तरफ हो यानी एक तरफ ज़्यादा दिल जमता है तो उसी पर अमल करे, और अगर दिल किसी तरफ नहीं जमता तो कम की जानिब इख़्तियार करे मसलन तीन और चार में शक है तो तीन क़रार दे। दो और तीन में शक हो तो दो। और तीसरी और चौथी दोनों में क़ाअ़दा करे कि एहतमाल है यह तीसरी न हो चौथी हो, और चौथी में क़ाअ़दा के बाद सज्दा सहूव करके सलाम फेरदे और गुमान ग़ालिब की सूरत में सज्दा सहूव नहीं मगर सोचने में एक रुक्न की मिक़दार वक्फा हो गया तो सज्दा सहूव वाजिब होगया। (हिदाया वग़ैरह)

मसला :- वित्र की नमाज़ में शक हुआ कि दूसरी है या तीसरी। तो आख़िरी रकअ़त में दुआए कुनूत पढ़ कर क़ाअ़दा के बाद एक रकअ़त और पढ़े और उसमें भी दुआए कुनूत पढ़े और सज्दा सहूव करे। (आलमगीरी)

Scanned by CamScanner

मसला :- नमाज़ पूरी करने के बाद शक हुआ तो उसका कुछ एतबार नहीं और नमाज़ के बाद यकीन है कि कोई फ़र्ज़ रह गया मगर उसमें शक है कि वह क्या है तो फिर से पढ़ना फ़र्ज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसला :- यह शक वाके हुआ कि उस वक़्त की नमाज़ पढ़ी या नहीं अगर वक़्त बाकी है फिर पढ़ ले वरना नहीं। (आलमगीरी)

बीमार की नमाज़ का बयान

बीमारी की वजह से जो शख्स खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताक़त नहीं रखता कि खड़े होकर पढ़ने से नुक्सान पहुंचने या बीमारी के बढ़ जाने या देर में अच्छे होने का वाक़ई खतरा है या चक्कर आता है या खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से बहुत शदीद दर्द, जो बर्दाश्त से बाहर हो, पैदा हो जाएगा तो इन सब सूरतों में शरीअ़त ने इजाज़त दी कि आदमी बैढ कर रूकूअ़ व सजूद के साथ नमाज़ पढ़े और बैठकर नमाज़ पढ़ने में किसी खास तरीक़ा पर बैठना ज़रूरी नहीं बल्कि बीमार को जिस तरह असानी हो उस तरह बैठे। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसला :- सहारे के बग़ैर नमाज़ नहीं पढ़ सकती तो तकिया या दीवार वग़ैरह पर टेक लगाकर नमाज़ पढ़े यह भी न हो सके तो लेटकर नमाज़ पढ़े और रूकूअ़ सजूद के लिए इशारा करे। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला :- लेट कर नमाज़ पढ़ने में उसे अख़्तियार है कि दाहिनी या बायें करवट पर लेट कर क़िबला रुख मुंह करे या चित लेटकर क़िबला को पांव न फैलाए कि क़िबला का पांव फैलाना मकरूह और

Scanned by CamScanner

मना है बल्कि घुटने खड़े रखे और सिर के नीचे तकिया वग़ैरह रखकर ऊंचा करले कि मुंह किबला रुख़ हो जाये और यही सूरत ज़्यादा बेहतर है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– इशारा की सूरत में सज्दा का इशारा रूकूअ़ के इशारे से पस्त होना ज़रूरी है। मगर यह ज़रूरी नहीं कि सिर को बिल्कुल ज़मीन से करीब करदे हां सज्दा के लिए तकिया वग़ैरह कोई चीज़ पेशानी के करीब उठा कर उस पर सज्दा करना मक्रूह तहरीमी व गुनाह है।अगरचे वह चीज़ दूसरे ने उठाई हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– ऐसा बीमार जो रूकूअ़ में पीठ झुका सकता है और कोई सख़्त चीज़ ज़मीन पर रख दी जाए तो उस पर वह सज्दा भी कर सकता है तो उस पर फ़र्ज़ है कि उसी तरह सज्दा करे इशारा जायज़ नहीं। बशर्ते कि वह चीज़ बारह अंगुल से ज़्यादा ऊंची न हो। (रद्दुलमुहतार)

मसला :– पेशानी पर ज़ख़्म है कि सज्दे के लिए माथा नहीं लगा सकती तो नाक पर सज्दा करे और अगर ऐसा न किया तो नमाज़ न हुई। (आलमगीरी)

मसला :– अगर इतनी बीमार है कि सर से इशारा भी नहीं कर सकती तो उस वक़्त पढ़ना माफ़ है। फिर अगर छः(६) नमाज़ों का वक़्त उसी हालत में गुज़र गया तो उनकी कज़ा भी नहीं और फ़िदया की भी हाजत नहीं। वरना जब तन्दुरुस्त हो जाए तो उन नमाज़ों की कज़ा लाज़िम है जैसे भी बन पड़े। अगरचे इतनी ही सेहत हो कि सर के इशारा से पढ़ सके। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :– बीमारी की वजह से ऐसी हालत हो जाए कि रूकूअ़ और सजूद की तादाद याद नहीं रख सकती तो उसपर उस वक़्त अदा

करना ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– मरीज़ अगर किबला की तरफ अपने आप मुंह न कर सकता हो न दूसरे के ज़रिया से तो वैसे ही पढ़ ले और सेहत के बाद उसका इआदा नहीं और अगर कोई शख़्स मौजूद है कि उसके कहने से किबला रू कर देगा मगर उसने उससे न कहा तो न हुई, इशारा से जो नमाज़ें पढ़ी हैं सेहत के बाद उनका भी इआदा नहीं यूं ही अगर ज़बान बन्द हो गई और गूंगे की तरह नमाज़ पढ़ी फिर ज़बान खुल गई तो उन नमाज़ों का इआदा नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसला :– अगर यह हालत हो कि रोज़ा रखती है तो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकती और अगर रोज़ा न रखे तो खड़े होकर नमाज़ अदा कर सकती है तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और नमाज़ें बैठ कर पढ़े। (आलमगीरी)

मसला :– बीमारी में नमाज़ें क़ज़ा हो गयीं। अब अच्छी हो गई तो उन्हें पढ़ना चाहती है तो वैसे ही पढ़े जैसे तन्दुरुस्ती में पढ़ती थी। अब बैठ कर इशारा से पढ़ेगी तो नमाज़ न होगी और सेहत की हालत में क़ज़ा हुयीं बीमारी में उन्हें पढ़ना चाहती है तो जिस तरह पढ़ सकती है पढ़े। नमाज़ हो जाएगी। सेहत की सी पढ़ना वाजिब नहीं (आलमगीरी)

मसला :– आंख बनवाई और मुसलमान माहिरे इमराज़, डा० ने (खुदा और रसूल के अहकाम को जानता और उनका एहतराम करता है) लेटे रहने का हुक्म दिया तो शरअ़न भी इजाज़त है कि लेट कर इशारे से नमाज़ें पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

ज़रूरी हिदायत :– शरीअ़त मुतह्हरा ने बाज़ नादिर सूरतों के अलावा किसी हालत में नमाज़ माफ़ नहीं की बल्कि हुक्म दिया कि

Scanned by CamScanner

जिस तरह मुमकिन हो पढ़े। आजकल अमूमन यह देखा जाता है कि ज़रा बुखार तेज़ हुआ, शिद्दत का दर्द हुआ नमाज़ छोड़ दी। यहां तक नौबत पहुंच गई कि दर्दे सर और जुकाम में नमाज़ें छोड़ बैठती हैं। ऐसी औरतें ख्वाह मर्द, उन्हीं वईदों और सज़ाओं के मुस्तहिक हैं जो बे नमाज़ियों के हक़ में वारिद हुई हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आमीन०

सज्दए तिलावत का बयान

हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं इब्ने आदम आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करता है शैतान हट जाता है और रो-रो कर कहता है। हाए मेरी बरबादी ! इब्ने आदम को सज्दा का हुक्म हुआ उसने सज्दा किया उसके लिए जन्नत है और मुझे हुक्म हुआ मैंने इंकार किया मेरे लिए दोज़ख है। (मुस्लिम शरीफ)

मसला :- कुरआन करीम में चौदह आयतें ऐसी हैं जिन में से कोई एक आयत पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है। बशर्ते कि इतनी आवाज़ से पढ़ा हो कि अगर कोई उज़्र न हो तो वह खुद सुन सके। लेहाज़ा अगर इतनी आवाज़ से आयते सज्दा पढ़े (बल्कि वह लफ़्ज़ जिस में सज्दा के हुरूफ पाए जाते हैं उसके साथ उसने पहले या बाद का कोई लफ़्ज़ मिलाकर पढ़ा) कि अपनी आवाज़ खुद सुन सकती थी मगर शोर व गुल या बहरे होने की वजह से न सुन सकी तो सज्दा वाजिब हो गया और अगर महज़ होंट हिले आवाज़ पैदा न हुई तो सज्दा वाजिब न हुआ और न यह पढ़ना कोई पढ़ना हुआ। (आलमगीरी)

मसला :- आयते सज्दा सुनने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं कि

Scanned by CamScanner

उसने क़स्द व इरादे से आयते सज्दा सुनी हो। बिला क़स्द सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है। (रददुलमुहतार)

मसला :– आयते सज्दा के हिज्जे करने कराने या हिज्जे सुनने से सज्दा वाजिब नहीं होता यूंही आयत लिखने या उसकी तरफ नज़र करने से भी सज्दा वाजिब नहीं होता। (आलमगीरी)

मसला :– सज्दा तिलावत के लिए तकबीरे तहरीमा के सिवा तमाम वह शरायत हैं जो नमाज़ के लिए हैं और जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती हैं उनसे सज्दा भी फ़ासिद हो जाएगा। मसलन कलाम सलाम वग़ैरह। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :– सज्दा का मसनून तरीक़ा यह है कि सज्दा तिलावत की नीयत से खड़ी हो और अल्लाहु अक्बर कहती हुई सज्दे में जाए और कम अज़ कम तीन बार सुबहान रब्बियल आला कहे फिर अल्लाहु अक्बर कहती हुई खड़ी हो जाए और बैठ कर सज्दा करे तब भी जायज़ है मगर सज्दा से पहले और पीछे तक्बीर छोड़नी न चाहिए।

मसला :– सज्दए तिलावत के लिए अल्लाहु अक्बर कहते वक़्त न हाथ उठाना है न उसमें तशहहुद है न सलाम। (तनवीरुल अबसार)

मसला :– आयते सज्दा नमाज़ के बाहर पढ़ी तो फ़ौरन सज्दा कर लेना वाजिब नहीं हां बेहतर है कि फ़ौरन करे और वुज़ू हो तो ताख़ीर मकरूह तंज़ीही है और उस वक़्त अगर किसी वजह से सज्दा न कर सके तो तिलावत करने वाली और सुनने वाली को यह कह देना मुस्तहब है।

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔ (ردالمحتار)

मसला :– एक मजलिस में सज्दा की एक आयत को बार-बार

Scanned by CamScanner

पढ़ा या सुना तो एक ही सज्दा वाजिब होगा। और एक मजलिस में सज्दा की चन्द आयतें पढ़ें तो इतने ही सज्दे करे एक सज्दा काफ़ी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- जो चीजें नमाज़ को फ़ासिद कर देती हैं उन से भी सज्दा फ़ासिद हो जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- आयते सज्दा पढ़ने वाले पर उस वक़्त सज्दा वाजिब होता है कि वह बे वुजू नमाज़ का अहल हो यानी अदा या क़ज़ा का उसे हुक्म हो लेहाज़ा नाबालिग लड़के या लड़की ने या हैज़ व निफ़ास वाली औरत ने आयते सज्दा पढ़ी तो उन पर सज्दा वाजिब नहीं (अगरचे हैज़ व निफ़ास वाली औरत को कुरआन मजीद पढ़ना, देखकर ख़्वाह ज़बानी, हराम है) हां मुसलमान आक़िल बालिग़ ने जो अहले नमाज़ है उनसे सुनी तो उस पर वाजिब हो गया बे वुजू या जुन्ब ने आयते सज्दा पढ़ी या सुनी तो सज्दा वाजिब है।

नशे वाली ने आयत पढ़ी या सुनी तो सज्दा वाजिब है।

यूंही नशा वाले ने या सुनने वाले ने आयत पढ़ी तो सुनने वाले पर सज्दा वाजिब होगया। (आलमगीरी)

मसला :- औरत ने नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा न किया था कि हैज़ आ गया तो वह नमाज़ भी माफ़ और सज्दा भी साक़ित। (आलमगीरी)

मसला :- आयते सज्दा पढ़ी मगर काम में मशगूली के सबब न सुनी तो सज्दा वाजिब नहीं मगर बहुत से उलमा कहते हैं कि अगरचे न सुनी हो, सज्दा वाजिब हो गया। (दुर्रे मुख़्तार वगैरह)

लेहाज़ा कर लेना चाहिए कि तिलावत के वक़्त काम में मशगूल रहना उसका कुसूर है।

Scanned by CamScanner

मसला :– पूरी सूरत पढ़ना और आयते सज्दा छोड़ देना मक्रूह तहरीमी है और गुनाह है और सिर्फ़ आयते सज्दा पढ़ने में कराहत नहीं मगर बेहतर यह है कि दो–एक आयत पहले या बाद की मिला ले। (दुर्रे मुख़्तार)

फ़ायदा :– जिस मक़सद के लिए एक मजलिस में सज्दा की सब आयतें पढ़कर सब सज्दे करे और आजिज़ी व तवज्जोह से दिल लगाकर दुआ मांगे अल्लाह अज़्ज़ोजल उसका मक़सद पूरा फ़रमा देगा ख्वाह वह एक–एक आयत पढ़ कर उसका सज्दा करता जाए या सब आयतें पढ़कर आखिर में सब सज्दे करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

सज्दए शुक्र के बाज़ मवाक़े

दीनी या दुनियावी किसी नेमत के हासिल होने पर मसलन औलाद हुई या माल जायज़ पाया गुम हुई चीज़ मिल गई या मरीज़ ने शिफ़ा पाई या मुसाफ़िर वापस आया ग़र्ज़ किसी तरह खुशी व नेमत पर सज्दा शुक्र अदा करना मुस्तहब और कारे सवाब है और उसका तरीक़ा वही है जो सज्दए तिलावत का है। (आलमगीरी)

नमाज़ मुसाफ़िर का बयान

मर्द ख्वाह औरत अपने शहर या बस्ती से दूर कहीं और किसी दीनी या दुनियावी काम से जाये तो रोज़ मर्रा की बोल चाल में उसे सफ़र कहते हैं। लेकिन शरीअत में दस बीस मील जाने वाले को नहीं माना जाता। यानी उस के लिए सफर के अहकाम साबित नहीं होते बल्कि उसके लिए तमाम अहकाम मसलन रोज़ा नमाज़ उसी तरह अदा करना लाज़िम है जैसे अपने वतन अपनी बस्ती में। शरीअत

Scanned by CamScanner

की रू से मुसाफ़िर वह शख़्स है जो तीन दिन या (तीन मंज़िल) की राह तक जाने के लिए अपनी बस्ती से निकल गया खुशकी में मुरव्वजा मील के हिसाब से एक मंज़िल की मिक़दार १९ मील एक फ़रलांग है। और तीन मंज़िल की मिक़दार ५७-३/८ मील या ५७ मील तीन फ़रलांग है। (दुर्रे मुख़्तार फ़तावा रिज़विया)

मसला :- तीन दिन की राह यानी तीन मंज़िल को तेज़ सवारी मसलन मोटरकार, रेल गाड़ी या हवाई जहाज़ वग़ैरह पर दो एक दिन या और कम मसलन चन्द घंटों में तै कर लिया तो आदमी मुसाफ़िर ही है और मुसाफ़िर के अहकाम इसके लिए साबित हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसला :- स्टेशन जहां आबादी से बाहर हों तो स्टेशन पर पहुंचने से मुसाफ़िर हो जाएगी जबकि सफ़र की मुसाफ़ात जाने का इरादा हो। (बहारे शरीअ़त)

मसला :- सफ़र के अहकाम साबित होने के लिए भी ज़रूरी है कि जहां से चली वहां से तीन दिन की राह (तक़रीबन ५७-१/२ मील) का इरादा हो, और अगर दो दिन की राह के इरादे से निकली वहां पहुंच कर दूसरी जगह का इरादा हुआ कि वह भी तीन दिन से कम का रास्ता है। या यूं इरादा किया कि मसलन दो दिन की राह पर पहुंच कर कुछ काम करना है वह करके फिर एक दिन की राह पर जाऊंगी तो यह तीन दिन की राह का इरादा न हुआ और यह शरअ़न मुसाफ़िर न हुई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- मुसाफ़िर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे यानी चार रकअ़त वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े। उसके हक़ में दो ही रकअ़तें पूरी नमाज़ है और जान बूझकर चार पढ़े और दो रकअ़त पर क़ाअ़दा

Scanned by CamScanner

कर लिया तो फ़र्ज़ अदा हो गयी। और पिछली दो रकअतें नफ़िल हुईं। मगर गुनाहगार हुई कि वाजिब छोड़ दिया। लेहाज़ा तौबा करे और दो रकअत पर क़अदा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और नमाज़ नफ़िल हो गई। लेहाज़ा फ़र्ज़ फिर पढ़े। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला :– सुन्नतों में क़स्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जायेंगी। हां अगर आदमी घबराहट या जल्दी में है तो माफ़ है। लेकिन सुबह की सुन्नतें जहां तक बने पढ़ ले कि अज़ीम सवाब पाएगी। (आलमगीरी)

मसला :– फ़ज्र व मग़रिब और वित्र की नमाज़ में क़स्र नहीं बल्कि जैसे हमेशा पढ़ती है सफर में भी पूरी पढ़े। (आमए कुतुब)

मसला :– मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में वापस न पहुंच जाये या अपने शहर व बस्ती से दूर पूरे पंद्रह दिन ठहरने की नीयत न कर ले। यह उस वक़्त है जब तीन दिन की राह तै कर चुकी हो। और अगर तीन मंज़िल से पहले ही वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा। (आलमगीरी)

मसला :– किसी आबादी या बस्ती में इक़ामत की नीयत की यानी पंद्रह दिन वहां ठहरने का पुख़्ता इरादा कर लिया मसलन एक जगह दस दिन और दूसरी जगह पांच दिन तो यह नीयत मुतअबर नहीं। वह बदस्तूर मुसाफ़िर है। (आलमगीरी)

मसला :– नमाज़े क़स्र और पूरी पढ़ने में आख़िर वक़्त का एतबार है जबकि पढ़ न चुकी हो। फ़र्ज़ करो कि किसी ने नमाज़ न पढ़ी थी और वक़्त इतना बाक़ी रह गया है कि अल्लाहु अक्बर कह ले अब मुसाफ़िर हो गई यानी तीन मंज़िल के मुत्तसिल सफ़र की नीयत से बस्ती से बाहर हो गई तो क़स्र करे। और मुसाफ़िर थी उस वक़्त इक़ामत यानी ठहरने की नीयत की तो चार

Scanned by CamScanner

रकअत यानी पूरी नमाज़ पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :- औरत ब्याह कर सुसराल गई और यहीं रहने-सहने लगी तो अब मेका उसका वतन असली न रहा। यानी अगर सुसराल तीन मंज़िल पर है वहां से मैके आई और पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत न की तो नमाज़ क़स्र पढ़े। और अगर मैके रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल आरज़ी तौर पर गई थी (जैसा कि अमूमन शादी के शुरू दिनों में होता है कि लड़की सुसराल जाती है और फिर मैके आकर रहने-सहने लगती है।) तो मैके आते ही सफ़र ख़त्म हो गया। औरत मुक़ीम हो गई लेहाज़ा नमाज़ पूरी पढ़े। (बहारे शरीअत)

चन्द नफ़ीस फ़ायदे

१. सफ़र के लिए घर से निकले तो चलते वक़्त आयतल कुर्सी और कुल या अय्युहल काफ़िरून से कुलअऊज़ु बिरब्बिनासि तक तब्बत के सिवा पांच सूरतें सब मअ बिस्मिल्लाह पढ़े फिर आख़िर में एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ ले, रास्ता भर आराम से रहेगी। नेज़ उस वक़्त إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ (बेशक जिस ने तुझ पर कुरआन फ़र्ज़ किया तुझे वापसी की जगह की तरफ़ वापस करने वाला है) एक बार पढ़ ले बिलख़ैर वापस आएगी।

२. जिस मंज़िल पर उतरे वहां यह दुआ पढ़े हर नुक़सान से बचेगी। اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

(इलाही तु हमको बरकत वाली मंज़िल में उतार और तू बेह्तर उतारने वाला है।)

बेह्तर यह है कि वहां दो रकअत नमाज़ पढ़ ले।

३. जब किसी को रुख़सरत करें तो यह दुआ पढ़ें।

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

Scanned by CamScanner

(अल्लाह के सुपुर्द करता हूं तेरे दीन और तेरी अमानत को और तेरे अमल के ख़ात्मा को)

ज़रूरी तम्बीह :– औरत को बग़ैर महरम के तीन दिन या ज़्यादा की राह जाना, नाजायज़ है। बल्कि एक दिन की राह जाना भी। नाबालिग़ बच्चा के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती। हमराही में बालिग़ महरम या शौहर का होना ज़रूरी है। (आलमगीरी) और महरम हमराह हो तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि खुदा तरस हो। जिस मरहम को खुदा व रसूल का ख़ौफ न हो और शरीअत के अहकाम का उसे पास व लिहाज़ न हो ऐसे महरम के साथ भी सफ़र पर जाना दुरुस्त नहीं। और तीन दिन से कम का सफर अगर किसी मर्द सालेह या बच्चे के साथ करे तो जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला :– सफ़र हज जिस में क़दम–क़दम पर नेकियां ही नेकियां और मग़फ़िरत व बख़्शिश की दौलतों पर दौलतें नसीब होती हैं। उस मुबारक सफ़र में भी औरत को मक्का तक जाने में तीन दिन या ज़्यादा रास्ता हो तो उसके हमराह शौहर या महरम होना शर्त है ख़्वाह वह औरत जवान हो या बुढ़िया। महरम से मुराद वह मर्द है जिससे हमेशा के लिए उस औरत का निकहा हराम है ख़्वाह निसबत की वजह से हराम हो या दूध का रिश्ता से निकाह की हुरमत हो या सुसराली रिश्ता से हुरमत आई (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) शौक़ ख़्वाह कितना ही गालिब़ क्यों न हो औरत अगर बग़ैर शौहर या महरम के हज को गई तो सख़्त गुनाहगार होगी। क़दम–क़दम पर गुनाह लिखा जाएगा। अगरचे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। (फ़तावा रिज़विया, जोहरा)

Scanned by CamScanner

बीमारी का बयान

बीमारी एक बहुत बड़ी नेमत है। उसके फ़ायदे बे शुमार हैं अगरचे आदमी को बज़ाहिर उससे तकलीफ़ पहुंचती है। मगर हकीकतन उसकी बदौलत राहत व आराम का एक बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। यह ज़ाहिरी बीमारी जिसे आदमी बीमारी समझता है, हकीकतन में रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। हकीकी बीमारी, रूहानी बीमारियां हैं जिनसे हमेशा डरते रहना चाहिए और इन्हीं को मुहलिक बीमारी समझना चाहिए।

बहुत मोटी सी बात जिसे हर शख़्स समझ सकता है बल्कि जानता है कि कोई कितना ही ख़ुदा व रसूल से ग़ाफ़िल हो मगर जब बीमार पड़ जाता है तो ख़ुदा और रसूल का नाम लेता और तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है और यह तो बड़े रुत्बे वाली शान है कि तकलीफ़ का भी उसी तरह इस्तकबाल करते हैं जैसे राहत व आराम का। मगर हम जैसे कम से कम इतना तो करें कि सब्र व इस्तकलाल से काम लें और जज़ाअ व फज़अ करके, रो पीट कर आते हुए सवाब को हाथ से न जाने दें और इतना तो हर शख़्स जानता है कि बेसब्री से आती हुई मुसीबत जाती नहीं, फिर उस बड़े सवाब से महरूमी दोहरी मुसीबत है। इस दुनिया में भी और आलमे आख़िरत में भी।

बहुत से नादान जिनमें मर्द भी हैं औरतें भी, बीमारी या किसी जिस्मानी तकलीफ़ में बहुत बे जा बातें बोल उठते हैं और ना ज़ेबा हरकतें करने लगते हैं बल्कि बाज़ औक़ात ज़बान से ऐसे कलिमात निकाल देते हैं जिनसे ईमान ही ख़तरे में पड़ जाता है और अंदेशा होता है कि कहीं यह बात कुफ़्र तक न पहुंच जाये। बल्कि अल्लाह

Scanned by CamScanner

अपनी पनाह में रखे। अल्लाह अज़्ज़ोजल की तरफ़ जुल्म की निस्बत कर देते हैं ऐसे लोग तो बिल्कुल ही خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ मिस्दाक बन जाते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने प्यारे और बरगुजीदा रसूल की प्यारी-प्यारी हदीसें दिल लगाकर पूरी तवज्जोह से सुनें उन्हें याद रखें और उन पर अमल करें। अल्लाह अज़्ज़ोजल तौफ़ीक ख़ैर अता फ़रमाए। आमीन !

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं :-

१. मुसलमानों को जो लकलीफ़ व मलामत और अज़ीयत व ग़म पहुंचता है यहां तक कि कांटा जो उसको चुभा था अल्लाह तआ़ला उनके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

२. मुसलमान को जो अज़ीयत पहुंचाती है मर्ज़ हो या उसके सिवा कुछ और अल्लाह तआला उसके सबब उसकी बुराईयां गिरा देता है जैसे दरख़्त से पत्ते झड़ते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. बुखार को बुरा न कहो कि वह आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे के मैल को। (मुस्लिम शरीफ़)

४. जब मुसलमान किसी जिस्मानी तकलीफ़ में मुबतला होता है तो फ़रिश्ते को हुक्म होता है लिख जो काम पहले किया करता था। तो अगर अल्लाह उसे शिफ़ा देता है तो धो देता और पाक कर देता है और मौत देता है तो उसे बख़्श देता है और रहम फ़रमाता है। (शरह सुन्ना)

५. बन्दा के लिए इल्म इलाही में कोई मर्तबा मुकर्रर होता है और वह अपने आमाल के सबब उस रुतबा को पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह तआला उसके बदन या माल या औलाद को बला व अज़ीयत

में डाल देता है फिर उसे सब्र अता फ़रमाता है यहां तक कि उसे उस मर्तबा तक पहुंचा देता है जो उसके लिए इल्मे इलाही में है। (अहमद व अबूदाऊद)

मसला:– रंज व मुसीबत से घबरा कर, दुनिया की तकलीफ़ों और अज़ीयतों से बचने के लिए मौत की तमन्ना नाजायज़ है। ऐ अज़ीज़! वहां के लिए क्या जमा किया कि यहां से भागता है। अगर मौत की सख़्ती से वाकिफ़ हो आरज़ू करे काश तमाम दुनिया की तकलीफ़ मुझ पर हो और चन्द रोज़ मौत से मोहलत मिले।

सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, रंज के सबब से मौत की आरज़ू न करो। अगर नाचार हो जाओ तो कहो "खुदाया मुझे ज़िन्दा रख जब तक ज़िन्दगी मेरे हक में बेहतर है और मुझे वफ़ात दे जिस वक़्त मौत मेरे हक में बेहतर हो।"

हां जब दीन में फ़ित्ना देखे और दीनी नुकसानात का खौफ़ हो तो अपने मरने की दुआ जायज़ है। हदीस में है "तुम में से कोई मौत की आरज़ू करे मगर जबकि एतमाद नेकी करने पर न रखता हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मरीज़ की अयादत को जाना सुन्नत है। इसकी भी बड़ी फ़ज़ीलत है। चन्द अहादीस दर्ज की जाती हैं।

१. जो मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत (मिज़ाज पुर्सी) के लिए सुबह को जाए तो शाम तक उसके लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तग़फार करते हैं और शाम को जाये तो सुबह तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग़ होगा। (तिर्मिज़ी)

२. जब तू मरीज़ के पास जाए तो उससे कह कि वह तेरे लिए

Scanned by CamScanner

दुआ करे कि उसकी बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ की मानिन्द है। (इब्ने माजा)

३. बेहतरीन अयादत यह है कि आदमी मरीज़ के पास से जल्द उठ जाए। (बैहेकी)

४. जब मरीज़ के पास जाओ तो उम्र के बारे में दिल खुशकुन बात करो कि यह किसी चीज़ को रद्द न कर देगा और उसके जी को अच्छा मालूम होगा। (तिर्मिज़ी)

५. जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत को जाए तो सात बार यह दुआ पढ़े। और मौत नहीं आई है तो उसे शिफ़ा हो जाएगी। (अबूदाऊद)

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

अल्लाह अज़ीम से सवाल करता हूं जो अर्शे करीम का मालिक है कि वह तुझे शिफ़ा दे।

मसला:- मरीज़ की अयादत करना सुन्नत है। हां अगर मालूम है कि अयादत को जाएगी तो उस बीमार पर गिरां गुज़रेगा। तो ऐसी हालत में न जाए और कोशिश करे कि उससे ताल्लुक़ात में जो तलख़ी पैदा हो गई है वह खत्म हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन (यानी किसी मुसलमान मर्द व औरत) के लिए यह हलाल नहीं कि दूसरे मुलसमानों को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे। अगर तीन दिन गुज़र गये मुलाक़ात करले और सलाम करे और दूसरे ने सलाम का जवाब दे दिया तो सवाब में दोनों शरीक हो गए। और अगर जवाब नहीं दिया तो गुनाह उसके ज़िम्मा है और यह शख्स छोड़ने के गुनाह से निकल गया। (अबूदाऊद) हां अगर उस जाने वाले में कोई ऐसी बुराई पाई जाती है जो शरअन

Scanned by CamScanner

भी बुराई है और उसने उसी वजह से उससे कता ताल्लुक कर लिया है तो आदमी को खुदा व रसूल की रिज़ा जूई के लिए तौबा करना और उस बुराई से बचना चाहिए कि बन्दे भी खुश रहें और खुदा व रसूल भी राज़ी।

मसला:– अयादत को जाए और मर्ज़ की सख्ती को देखे तो मरीज़ के सामने यह ज़ाहिर न करे कि तुम्हारी हालत खराब है और न इस तरह सर हिलाए जिससे हालत का खराब होना समझा जाता है। मरीज़ के सामने तो ऐसी बातें करनी चाहियें जो उसके दिल को भी भली मालूम हों। उससे मिज़ाज पूछे और तसल्ली दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते करीमा यह थी कि जब किसी मरीज़ की अयादत को तशरीफ ले जाते तो ये फरमाते لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى यानी कोई घबराहट की बात नहीं। इन्शाअल्लाह तआला यह मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है।

बीमारियों का इलाज

मसला:– किसी बीमारी का इलाज करना ज़रूरी नहीं यानी अगर उसने इलाज न कराया और दवा दारू किये बग़ैर मर गई तो यह न कहा जाएगा कि वह गुनाहगार हुई। हां उसके मानी यह भी नहीं कि आदमी बीमारी का इलाज ही न कराए। इलाज कराए और एतकाद यह रखे कि शिफा देने वाला अल्लाह है उसी ने दवा को बीमारी मिटाने का सबब बना दिया है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला ने हर बीमारी के लिए दवा पैदा फरमाई है जब वह दवा बीमार को पहुंच जाएगी बीमार अल्लाह के हुक्म से अच्छा हो जाएगा। सिवा एक बीमारी के कि वह बुढ़ापा है। (आलमगीरी वग़ैरह)

Scanned by CamScanner

मसला:- इंसान के बदन के किसी हिस्से को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना हराम है। (आलमगीरी) और हराम चीज़ों को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना भी नाजायज़ है कि हदीस में इरशाद फ़रमाया जो चीज़ें हराम हैं उनमें अल्लाह ने शिफ़ा नहीं रखी है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार) अंग्रेजी दवायें बकसरत ऐसी हैं जिनमें स्प्रीट और शराब (अल्कोहल) की आमेज़िश होती है। ऐसी दवायें हरगिज़ इस्तेमाल न की जायें।

मसला:- शराब से खारजी इलाज भी ना जायज़ है। मसलन ज़ख़्म में शराब लगाई या किसी जानवर को ज़ख़्म है उस पर शराब लगाई या बच्चा के इलाज में शराब इस्तेमाल की यह सब गुनाह की सूरतें हैं और उनमें गुनाहगार वह है जिसने इस्तेमाल कराया। (आलमगीरी) बच्चों की चाहत में, मां बाप बाज़ बीमारियों ख़ुसूसन निमुनियां में डाक्टर के कहने पर शराब इस्तेमाल करा देते हैं और यह समझते हैं कि वह बच्चा है। बेशक बच्चा गुनाहगार नहीं मगर तुम तो जान बुझ कर गुनाह कमा रहे हो।

मसला:- बाज़ औरतें बच्चों को अफ़यून खिलाया करती हैं और उनकी ग़र्ज़ यह होती है कि उसके नशा में पड़ा रहेगा। परेशान नहीं करेगा और सारे काम इतमीनान से हो जायेंगे। यह भी नाजायज़ है। क्योंकि बच्चा को अफ़यून अगरचे थोड़ी मिकदार में दी जाती है मगर वह इतनी ज़रूर होती है कि उसकी अक़्ल में फतूर आजाये। (बहारे शरीअत)

मसला:- खुश्क चीज़ें जो नशा लाती हैं जैसे भंग अफ़यून वग़ैरह यह नजिस नहीं हैं। लेहाज़ा लेप वग़ैरह में खारजी तौर पर उन्हें इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं कि इस तरह के इस्तेमाल में नशा

Scanned by CamScanner

नहीं पैदा होगा। फिर नाजायज़ क्यों हो। (बहारे शरीअत)

मसला:- इसकाते हमल (हमल गिराने) के लिए दवा इस्तेमाल करना या दाई से हमल साकित कराना मना है। बच्चा की सूरत बनी हो या न बनी हो दोनों का एक हुक्म है हां अगर कोई वाक़ई उज़्र हो मसलन औरत के दुध पीता बच्चा है और बाप के पास इतना पैसा नहीं कि दाया मुकर्रर करे या पैसा है मगर दाया दस्तयाब नहीं होती और हमल से दूध खुश्क हो जायेगा जिससे बच्चा के हलाक होने का अन्देशा है तो उस मजबूरी से हमल साकित किया जा सकता है बशर्ते कि उसके बदन के आज़ा हाथ पाँव नाक कान वग़ैरह न बने हों और उसकी मुद्दत एक सौ बीस दिन है यानी चार महीने। (दुर्रे मुख़्तार)। लेहाज़ा इससे पहले इस्क़ात जायज़ है

फ़ायदा:- १. किसी शख़्स को बीमारी या ऐसी हालत में देखे जिसे पसन्द नहीं किया जाता तो यह दुआ पढ़े।

इन्शाअल्लाह तआला उससे महफ़ूज़ रहेगा।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا ط

यानी अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे इस बला से बचाया जिस में तुझे मुबतला किया और अपनी मख़लूक़ में बहुत सों पर मुझे फ़ज़ीलत दी।

फ़ायदा:- (२) जब कोई शख़्स ऐसी चीज़ देखे जो ना पसन्द है यानी बुरा शगुन पाए तो यह कहे।

Scanned by CamScanner

اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّاٰتِ اِلَّا اَنْتَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط

इलाही तेरे सिवा न कोई भलाईयां लाता है और तेरे सिवा न कोई बुराईयां टालता है और बुराईयों से फिरना और नेकियों की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह बरतर अज़ीम है।

मौत आने का बयान

हर शख्स की जितनी उम्र मुकर्रर है न उससे कुछ घटे न बढ़े। आदमी लाख जतन करे जब वह मुकर्ररह उम्र पूरी हो जाती है तो मलकुलमौत (मौत का फ़रिश्ता) यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते और उसकी जान निकाल लेते हैं उसी का नाम मौत है।

रूह कब्ज़ होने का वक़्त बहुत सख़्त वक्त है कि उसी पर तमाम आमाल का दारोमादार है और ईमान के तमाम नतीजे जो आख़िरत में ज़ाहिर होंगे उसी पर मुतरत्तिब होते हैं कि एतबार खात्मा ही का है और शैतान लईन ईमान लेने की फिक्र में है जिसे अल्लाह तआला उसके मकर से बचाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए वही अपनी मुराद को पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं जिस का आख़िर कलाम लाइला इल्लल्लाह यानी कलिमा तैयबा हो वह जन्नत में दाख़िल हुआ। अब इस बारे में मुख्तसर मसाइल सुनें।

जब मौत का वक़्त करीब आये और यह अलामतें पाई जायें यानी सांस उखड़ने और जल्दी जल्दी चलने लगे पाँव सुस्त हो जायें कि

Scanned by CamScanner

खड़े न हो सकें। नाक टेढ़ी और मुंह की खाल सख़्त हो जाए और दोनों कंपटियां बैठ जायें तो सुन्नत यह है कि दाहिनी करवट पर लिटा कर क़िबला की तरफ उसका मुंह कर दें। और यह भी जायज़ है कि चित लिटायें और क़िबला को पांव करें कि यूं भी क़िबला को मुंह हो जायेगा मगर उस सूरत में सर को कदरे ऊंचा रखें और क़िबला को मुंह करना दुशवार हो कि उसको तकलीफ होती हो तो जिस हालत पर है उस हालत पर छोड़ दें।

मसला:- जांकनी की हालत में जब तक रूह गले को न आई हो उसे तलक़ीन करें यानी उसके पास बुलंद आवाज़ से कलिमा तैयबा या कलिमा शहादत पढ़ें कि वह सुन कर पढ़े। मगर उससे यह न कहें कि कलिमा पढ़ो तुम्हें क्या मालूम वह किस तकलीफ और सख़्ती में है। मुबादा इसके मुंह से कोई ग़लत बात निकल जाये तो उम्र भर की कमाई मिट्टी में मिल जायेगी, तलक़ीन के वक़्त उसके पास नेक और परहेज़गार लोगों का होना बहुत अच्छी बात है और उस वक़्त वहां सूरः यासीन शरीफ की तिलावत और खुश्बू होना मुस्तहब है मसलन लुबान या अगरबत्तियां सुलगा दें। (आलमगीरी) और जब वह दोनों जुज़ कलिमा तैयबा के कह ले तो उससे दोबारा कहने का इसरार न करें कि कहीं उकता न जाये। हां अगर कलिमा पढ़ने के बाद कोई और बात उसने की तो फिर तलक़ीन करें कि उसका आखिरी कलाम लाइलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो कि लाइलाह इल्लल्लाह बे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मक़बूल नहीं। (हुलिया वग़ैरह)

मसला:- मौत के वक़्त हैज़ व निफ़ास वाली औरतें उसके पास हाज़िर हो सकती हैं। (आलमगीरी) मगर जिसका हैज़ व निफ़ास ख़त्म

Scanned by CamScanner

हो गया और गुस्ल नहीं किया उसे और जुनुब को न आना चाहिए कोशिश करें कि मकान में कोई तस्वीर और कुत्ता न हो कि जहां यह होते हैं रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नज़अ के वक़्त अपने और उसके लिए दुआए खैर करते रहें। कोई बुरा कलिमा जुबान से न निकालें कि उस वक़्त जो कुछ कहा जाता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं नज़अ में सख़्ती देखें तो सूर: यासीन और सूर: रअद पढ़ें। (बहारे शरीअत)

मसला:– जब रूह निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुंह खुला न रहे और आंखें बन्द कर दी जायें और उंगलियां और हाथ पांव सीधे कर दिए जायें यह काम इसके घर वालों में जो ज़्यादा नर्मी के साथ कर सकता है बाप या बेटा वह करे। (जोहरा नैयरा) और उसके पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल न जाए। (आलमगीरी) मगर ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी न हो कि बाइसे तकलीफ़ है। (दुर्रे मुख़्तार) मैयत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें और ज़मीन की सील से बचायें। (आलमगीरी)

मसला:– आंखें बन्द करते वक़्त यह दुआ पढ़ें–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ
عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَآئِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا
خَرَجَ عَنْهُ ط

अल्लाह के नाम के साथ और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर ऐ अल्लाह तू इसके काम को इस पर आसान कर और उसके माबाद को उस पर सहल कर और अपनी मुलाकात से तू उसे नेक बख़्त कर और जिसकी तरफ़ निकला (आख़िरत) इसे उससे बेहतर कर जिससे निकला (दुनिया)

मसलाः– उसके ज़िम्मा कर्ज़ या किसी माली मुतालबा हो जल्द से जल्द अदा करें कि हदीस शरीफ़ में है मैयत अपने दैन में गिरफ़तार रहती है और एक रिवायत में है कि उसकी रूह मुअल्लक रहती है। जब तक दैन अदा न कर दिया जाये। (रद्दुलमुहतार)

मसलाः– मैयत के पास तिलावत कुरआन मजीद जायज़ है। जब कि उसका तमाम बदन कपड़े से छुपा हो और तस्बीह व दीगर अज़्कार में मुतलकन कोई हर्ज नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसलाः– नागहानी मौत से कोई मरा तो जब तक मौत का यकीन न हो तजहीज़ व तकफ़ीन (कफन–दफन वग़ैरह) मुलतवी रखें। (आलमगीरी) हो सकता है कि यह सक्ता हो जो तूल पकड़ गया।

मसलाः– औरत मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बायें जानिब से पेट चाक कर के बच्चा निकाला जाए और अगर औरत ज़िन्दा है और उसके पेट में बच्चा मर गया और औरत की जान पर बनी हो तो बच्चा काट कर निकाला जाए और बच्चा भी ज़िन्दा हो तो कैसी ही तकलीफ़ हो बच्चा काट कर निकालना जायज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मालरः– पड़ौसियों और उसके दोस्त अहबाब को मौत की इत्तिला दे कि नमाज़ियों की कसरत होगी मैयत के लिए दुआ करेंगे कि उन पर हक है कि उसकी नमाज़ पढ़ें और दुआ करें। (आलमगीरी वग़ैरह)

Scanned by CamScanner

मसला:- मैयत के पास ज़मीन पर बैठना अफ़ज़ल है और चार पाई तख़्त कुर्सी वग़ैरह पर बैठे तो उसकी मुमानीअत भी नहीं। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- जिस घर में मौत हो जाये वहां चुल्हा जलाना खाना पकाना, शरअन मना नहीं है। न उसमें कोई गुनाह है। हां चूंकि मौत की परेशानी के सबब वह लोग पकाते नहीं। इसलिए यह सुन्नत है कि पहले दिन सिर्फ घर वालों के लिए खाना भेजा जाए और उन्हें बा इसरार खिलाया जाए न दूसरे दिन भेजें न घर से ज़्यादा आदमियों के लिए भेंजे, न और लोग उसमें से खायें। (फ़तावा रिज़विया)

मैय्यत का गुस्ल व कफ़न

मसला:- मैय्यत को नहलाना फ़र्ज़ किफाया है। बाज़ लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सबसे साकित हो गया। (आलमगीरी)

मसला:- जहां मौत हुई अगर वहां उसके सिवा कोई और भी नहलाने वाले हों तो नहलाने पर उजरत ले सकती है मगर अफ़ज़ल यह है कि न ले और अगर दूसरी नहलाने वाली न हो तो उजरत लेना जायज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- मैय्यत को नहलाने का तरीक़ा यह है कि जिस तख़्त या तख़्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पांच या सात बार धुनी दें यानी जिस चीज़ में वह खुशबू सुलगती है उसे इनती बार तख़्त या तख़्ते के गिर्द फिरायें और उस पर मैय्यत को लिटा कर नाफ़ से घुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दें। फिर नहलाने वाली हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले इस्तिंजा कराए फिर नमाज़ का सा वुज़ू कराए यानी पहले मुंह धोए फिर कुहनियों समेत हाथ

Scanned by CamScanner

धोए। फिर सर का मसह करे फिर पांव धोए मगर मैय्यत के वुज़ू में पहले गट्टों तक हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। कोई कपड़ा या रूई की फुरैरी भिगोकर दांतों और मसूड़ों और होटों और नथनों पर फेर दें फिर सर को गुले खैरू से धोएं। यह न हो तो पाक साबुन, इस्लामी कारखाने का बना हुआ या बेसन या किसी और चीज़ से वरना खाली पानी ही काफ़ी है। फिर बायें करवट से लिटा कर पांव तक बेरी में गर्म किया हुआ, वरना खालिस नीम गर्म (गुनगुना) पानी इस तरह बहायें कि तख़्ते तक पहुंच जाए फिर दाहिनी करवट लेटा कर यूं ही करें फिर टेक लगा कर बैठायें और नर्मी के साथ नीचे को हाथ फेरें अगर कुछ निकले धो डालें। फिर से वुज़ू व गुस्ल न दें। फिर आख़िर में सर से पांव तक काफूर का पानी बहायें फिर उसके बदन को किसी कपड़े से आहिस्ता से पोंछ दें। (आमए कुतुब)

मसला:- एक मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और तीन मर्तबा सुन्नत है। जहां गुस्ल दे मुसतहब यह है कि पर्दा कर लें नहलाने वाली और मद्दगार औरतों के सिवा दूसरा कोई न देखें। नहाते वक़्त इस तरह लिटायें जैसे क़ब्र में रखते हैं यानी मैय्यत को दाहिनी करवट पर लिटायें और उसका मुंह किबला को करें। यह न हो तो क़िबले की तरफ पांव करके या जो आसान हो। (आलमगीरी)

मसला:- नहलाने वाली बातहारत हो जुनुब या हैज़ वाली औरत ने गुस्ल दिया तो कराहत है। मगर गुस्ल हो जायेगा और अगर बे वुज़ू नहलाया तो कराहत भी नहीं। नहलाने वाली औरत ऐसी हो कि अच्छी तरह गुस्ल दे। और अच्छी बात देखे मसलन चेहरा चमक उठा, या मैय्यत के जिस्म से खुशबू आई तो उसे दूसरी औरतों के

Scanned by CamScanner

सामने बयान करे और कोई बुरी बात देखे तो किसी से न कहे। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– औरत मर जाए तो उसका शोहर न नहला सकता है न छू सकता है और देखने की मुमानिअत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार) और अवाम में जो यह मशहूर है कि शोहर, औरत के जनाज़े को कंधा दे सकता है न क़ब्र में उतार सकता है न मुंह देख सकता है यह महज़ ग़लत है सिर्फ़ नहलाना या उसके बदन को हाथ लगाना मना है जनाज़े को महज़ अजनबी हाथ लगाते कंधों पर उठाते और क़ब्र तक ले जाते हैं शोहर ने क्या कुसूर किया है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– जुनुब या हैज़ व निफ़ास वाली औरत को इंतकाल हुआ तो एक ही गुस्ल काफी है कि गुस्ल वाजिब होने के कितने ही असबाब हों सब एक ही गुस्ल से अदा हो जाते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– मैय्यत का बदन अगर ऐसा हो गया हो कि हाथ लगाने से खाल उधड़ेगी तो हाथ न लगायें सिर्फ़ पानी बहा दें। (आलमगीरी)

मसला:– नहलाने के बाद अगर नाक कान मुंह और दूसरे सुराख़ों में रूई रख दें तो हर्ज नहीं मगर बेहतर यह है कि न रखें। और मैय्यत के बालों में कंघा करना या नाख़ुन तराशना या किसी जगह के बाल मूंढना या कतरना या उखाड़ना नाजायज़ और मकरूह तहरीमी और गुनाह है और बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत में है उसी पर दफ़न कर दें और अगर नाख़ुन या बाल तराश लिये तो कफ़न में रखे दें। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– मैय्यत के दोनों हाथ करवटों में रखें सीने पर न रखें कि यह कुफ़्फ़ार का तरीक़ा है। बाज़ जगह नाफ़ के नीचे इस तरह रखते हैं जैसे नमाज़ के क़याम में यह भी न करें।

Scanned by CamScanner

मसला:– मैय्यत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े, लोटे की ज़रूरत नहीं। घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं। और बाज़ जिहालत करते हैं कि गुस्ल के बाद उन्हें तोड़ डालते हैं यह नाजायज़ व हराम है कि माल को ज़ाया करना है और यह ख़्याल कि वह नजिस हो गए यह फ़ुजूल बात है जिस तरह जिन्दों के गुस्ल व वुज़ू की छींटें बर्तन को नजिस नहीं करती यूं मैय्यत की छीटें बर्तन पर पड़ जायें तो वह नजिस नहीं होना और फर्ज कर लो कि नजिस पानी की छींटें पड़ीं तो धो डालें धोने से पाक हो जायेंगे और अकसर जगह घड़े लोटे मस्जिदों में रख देते हैं अगर यह नीयत हो कि नमाज़ियों को आराम और उसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा तो अच्छी नीयत और अगर ख्याल हो कि घर में रखना नहूसत है तो यह निरी हिमाकत है और बाज़ लोग घड़े का पानी फेंक देते हैं यह भी हराम है। इसे काम में लायें। (बहारे शरीअत)

मसला:– मैय्यत को कफ़न देना फर्ज़ किफ़ाया है। (आमए कुतुब)

मसला:– मर्द के लिए सुन्नत तीन कपड़े हैं। लिफ़ाफ़ा, अज़ार, कमीज़ और औरत के लिए सुन्नत यह है कि उसे पांच कपड़ों का कफ़न दिया जाये। लिफ़ाफा यानी चादर, अज़ार यानी तह बन्द कमीज़ जिसे कफ़नी कहते हैं। औढ़नी और सीना बन्द (आमए कुतुब) उनके सिवा कफ़नी में कोई तह बन्द या रूमाल रखना बिदअत व ममनूअ है।

मसला:– लिफ़ाफा यानी चादर की मिक़दार यह है कि मैय्यत के क़द से इस क़द्र ज़्यादा हो कि दोनों तरफ बांध सकें। और अज़ार यानी तह बन्द चोटी से क़दम तक यानी लिफाफे से इतनी छोटी जो बांधने के लिए ज़्यादा था। और क़मीज़ यानी कफ़नी गर्दन से

Scanned by CamScanner

घुटनों के नीचे तक और यह आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हों और जाहिलों में जो रिवाज है कि पीछे कम रखते हैं यह गलती है चाक और आस्तीन उसमें न हों और औरत के लिए कफ़नी सीना की तरफ चीरें और औढ़नी तीन हाथ यानि डेढ़ गज़ की होनी चाहिए। सीना बन्द पिस्तान से नाफ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो। (आलमगीरी रददुलमुहतार वग़ैरह) सुर्मा कंघी अगर फक़ीर को बतौर सदक़ा दें तो कोई हरज नहीं और कफ़न में रखना हराम है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- कफ़न पहनाने का तरीक़ा यह है कि मैय्यत को गुस्ल देने के बाद, उसका बदन क़िसी पाक कपड़े से आहिस्तगी से पोंछ लें कि कफ़न तर न हो और कफ़न को एक या तीन या पांच बार या सात बार धुनी दे लें उससे ज़्यादा नहीं। फिर कफ़न यूं बिछाये कि पहले बड़ी चादर, फिर तह बन्द फिर कफ़नी। फिर मैय्यत को उस पर लिटायें और कफ़नी पहनाऐं और तमाम बदन पर खुशबू मलें और माथे नाक हाथ घुटने कदम पर-काफ़ूर लगायें। कफ़नी पहना कर औरत के सर के बाल के दो हिस्से करके कफ़नी के ऊपर सीना पर डाल दें एक हिस्सा दायें जानिब और एक हिस्सा बायें तरफ़, और औढ़नी, आधी पीठ के नीचे से बिछा कर, सर पर लायें और मुंह पर नकाब की तरह डाल दें कि सीना पर रहे कि उसकी लम्बाई, निस्फ़ पुश्त से सीना तक है और चौड़ाई एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक और यह जो बाज़ औरतें करती हैं कि ज़िन्दगी की तरह औढ़ाती हैं यह महज़ बेजा और खिलाफे सुन्नत है। फिर अज़ार यानी तहबन्द लपेटें। पहले बायें जानिब से फिर दायें जानिब से फिर लिफाफ़ा लपेटें। पहले बायें तरफ़ से फिर दाहिनी तरफ से

Scanned by CamScanner

ताकि दाहिना ऊपर रहे और सर और पांव की तरफ बांध दें ताकि उड़ने का अन्देशा न रहे। फिर सबके ऊपर सीना बन्द पिसतान के ऊपर से रान तक लाकर बांध दें। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– सुन्नत के मुताबिक़ कफ़न का इन्तज़ाम न हो सके तो औरत के लिए, लिफ़ाफ़ा, अज़ार, औढ़नी, या लिफ़ाफ़ा कमीज़ औढ़नी तीन ही कपड़े काफी हैं और यह भी न हो सके तो जो मयस्सर आ जाए और कम अज़ कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाए। (आलमगीरी) और बिला ज़रूरत औरत को तीन कपड़ों से कम में कफ़न देना नाजायज़ व मकरूह है। (आमलगीरी)

मसला:– कफ़न अच्छा होना चाहिए यानी औरत जैसे कपड़े पहन कर मैके जाती थी उस क़ीमत का होना चाहिए। हदीस शरीफ़ में है कि मर्दों को अच्छा कफ़न दो कि वह बाहम मुलाक़ात करते और अच्छे कफ़न से ख़ुश होते हैं। सफेद कफ़न बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "अपने मुर्दे सफेद कपड़ों में दफ़नाओ। (रद्दुल मुहतार वग़ैरह) पुराने कपड़े का भी कफ़न हो सकता है। जबकि धुला हुआ हो कि कफ़न साफ सुथरा होना मरग़ूब व मतलूब है। (जोहरा)

मसला:– बाज़ मोहताज और ज़रूरत मन्द, वुरसा कफ़ने ज़रूरत पर क़ादिर होते हैं। (यानी कम अज़ कम इतना जिससे सारा बदन ढक जाए) मगर सुन्नत के मुताबिक कफ़न देना उन्हें मुयस्सर नहीं होता। वे कफ़न मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं। यह नाजायज़ है कि सवाल बिला ज़रूरत जायज़ नहीं और यहां ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर कफ़ने ज़रूरत पर भी क़ादिर न हों तो बक़द्रे ज़रूरत सवाल करें। ज़्यादा नहीं हां बग़ैर मांगे मुसलमान खुद कफ़न

Scanned by CamScanner

मसनून पूरा कर दें तो इन्शाअल्लाह तआला पूरा सवाब पायेंगे। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– कुसुम या ज़ाफरान का रंगा हुआ या रेशम का कफ़न मर्द को ममनूअ है, और औरत के लिए जायज़ यानी जो कपड़ा मर्द ज़िन्दगी में पहन सकता है उसक कफ़न दिया जा सकता है और जो ज़िन्दगी में नाजायज़ उसका कफ़न भी नाजायज़। (आलमगीरी)

मसला:– कफ़न के लिए सवाल करके उसमें से कुछ बच रहा तो अगर मालूम है कि यह फ़लां शख़्स ने दिया है तो उसे वापिस कर दें वरना दूसरे मोहताज के कफ़न में सर्फ़ कर दें। यह भी न हो तो सदक़ा कर दें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– फूलों की चादर बालाए कफ़न डालने में शरअन कोई हर्ज नहीं। बल्कि नीयत हसन से हसन है जैसे क़ब्रों पर फूल डालना कि वह जब तक तर हैं तस्बीह करते हैं उससे मैय्यत का दिल बहलता है और रहमत उतरती है। यूंही तबर्रुक के लिए ग़िलाफ़े काअबा मोअज़्ज़मा का क़लील टुकड़ा सीने या चेहरे पर रखना बिला शुबा जायज़ है। उसे राफ़ज़ियों का रिवाज बताना महज़ झूठ है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– जो नाबालिग़ लड़की हदे शहवत को पहुंच गई (कि उसे देख कर मर्द को उसकी तरफ़ मीलान पैदा हो और उसका अन्दाज़ा लड़कियों में नौ बरस है) वह बालिग़ के हुक्म में है यानी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं उसे भी दिये जायें और उससे छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते हैं और बेहतर यह है कि पूरा कफ़न अगरचे एक दिन का बच्चा हो। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:– किताबिया जो किसी मुसलमान के निकाह में है उसका

Scanned by CamScanner

या मुसलमान औरत का बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ यानी अक्सर हिस्सा बाहर आ जाने के वक़्त ज़िन्दा था फिर मर गया उसका गुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ेंगे वरना ऐसे वैसे ही नहला कर एक कपड़े में लपेट कर दफन कर देंगे। उसके लिए गुस्ल व कफ़न बतरीक़ा मसनून नहीं। और नमाज़ भी उसकी नहीं पढ़ी जायेगी। अक्सर की मिक्दार यह है कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अक्सर है और पांव के जानिब से हो तो कमर तक। (रददुलमुहतार)

मसला ज़रूरिया

पाकिस्तान व हिन्दुस्तान में आम रिवाज है कि कफ़न मसनून के अलावा ऊपर से एक और चादर उढ़ाते हैं वह तकियादार या किसी मिसकीन पर सदक़ा करते हैं और एक जा नमाज़ होती है जिस पर इमाम जनाज़ा की नमाज़ पढ़ता है। वह भी सदक़ा देते हैं अगर यह चादर व जा नमाज़ मैय्यत के माल से न हो बल्कि किसी ने अपनी तरफ़ से दिया है और आदतन वही देता है जिसने कफ़न दिया। बल्कि कफ़न के लिए जो कपड़ा लाया जाता है वह उसी अन्दाज़ से लाया जाता है जिसमें यह दोनों भी हो जायें जब तो ज़ाहिर है कि उसकी इज़ाजत है और उसमें कोई हरज नहीं और अगर मैय्यत के माल से है तो दो सूरतें हैं एक यह कि वारिस बालिग़ हों और सबकी इजाज़त हो जब भी जायज़ है अगर इजाज़त से न हो तो जिसने मैय्यत के माल से मंगाया और तसदीक किया और उसके ज़िम्मा यह दोनों चीज़ें हैं उनमें जो कीमत सर्फ हुई तर्के में शुमार की जायेगी और वह कीमत खर्च करने वाला अपने पास से देगा।

दूसरी सूरत यह है कि वुरसा में कुल या बाज़ नाबालिग़ हैं तो

Scanned by CamScanner

अब वह दोनों चीज़ें तर्के से हरगिज़ नहीं दी जा सकती। अगरचे उस नाबालिग़ वारिस ने इजाज़त भी दे दी हो कि नाबालिग़ के माल को सर्फ़ कर लेना हराम है।

उसी तरह घर में लोटे घड़े होते हुए खास मैय्यत के नहलाने के लिए खरीदे तो उसमें भी यही तफ़सील है। तीजा, सातवां, दसवां, चालीसवां, शशमाही, बरसी, के मसारफ़ में भी यही तफ़सील है कि अपने माल से जो चाहे खर्च करे और मय्यत को सवाब पहुंचाए और मैय्यत के माल से यह मसारिफ़ उसी वक़्त किये जायें कि सब वारिस बालिग़ हों और सबकी इजाज़त हो वरना नहीं, मगर जो बालिग़ हो अपने हिस्से से कर सकता है।

एक सूरत और भी है कि मैय्यत ने वसीयत की हो तो दैन (माली मुतालबा) अदा करने के बाद जो बचे उसकी तिहाई में वसीयत जारी होगी। अक्सर लोग इससे ग़ाफ़िल हैं या ना वाकिफ़ कि इस क़िस्म के तमाम मसारिफ लेने के बाद अब जो बाकी रहता है उसे तर्का समझते हैं। उन मसारिफ़ में न वारिसों से इजाज़त लेते हैं न वारिस के नाबालिग़ होने का कुछ ख्याल रखते हैं और यह सख़्त ग़लती है।

इन बातों से कोई यह न समझे कि तीजा वग़ैरह को मना किया जा रहा है कि यह तो ईसाले सवाब है उससे कौन मना करेगा मना वह करे जो वहाबी हो बल्कि नाजायज़ तौर पर उनमें जो खर्च किया जाता है उससे मना किया जा रहा है। कोई अपने माल से करे या सब वारिस बालिग़ हों और उनसे इजाज़त ले कर करे तो मुमानिअत नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला:- औरतों को जनाज़े के साथ जाना, नाजायज़ व ममनूअ है और नौहा करने वाली साथ में हो उसे सख़्ती से मना किया जाए।

Scanned by CamScanner

अगर न माने तो मर्द उसकी वजह से जनाज़ा के साथ जाना न छोड़े कि उसके नाजायज़ फ़ेल से वे क्यों सुन्नत तर्क करें बल्कि दिल से उसे बुरा मानें और शरीक हों। (दुर्रे मुख़्तार सग़ीरी)

नमाज़ जनाज़ा और क़ब्र व दफ़न से मुताल्लिक़ बाज़ मसाइल

इन अबवाब से मुताल्लिक़ मसाइल का ज़्यादा तर ताल्लुक चूंकि मुर्दों से है इसलिए मुख़्तसर चन्द मसाइल ज़िक्र किये जाते हैं ताकि औरतें उनसे ना वाक़िफ़ न रहें।

मसला:– हर मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी। अगरचे वह कैसा ही गुनाहगार और बदचलन क्यों न हो (बशर्ते कि कोई क़ौल या फ़ेल खिलाफे इस्लाम ज़ाहिर न किया हो) मगर चन्द क़िस्म के लोग हैं कि उनकी नमाज़ नहीं मसलन जो लोग ना हक़ पासदारी में लड़ें और मरजायें या जिसने अपने मां या बाप को मार डाला। डाकू कि डाका में मारा गया कि न उसे गुस्ल दिया जाये, न नमाज़ पढ़ी जाये। (आलमगीरी)

मसला:– जिसने ख़ुदकशी की हलांकि यह बहुत बड़ा गुनाह है। मगर उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाएगी अगरचे क़सदन ख़ुदकशी की हो। (आलमगीरी)

मसला:– मैय्यत को बग़ैर नमाज़ पढ़े दफ़न किया गया और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें जब तक कि फटने का गुमान न हो और मिट्टी न दी गई हो तो निकालें और नमाज़ पढ़ कर दफ़न करें और क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने में

Scanned by CamScanner

दिनों की ताअदाद मुकर्रर नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- बग़ैर ग़ुस्ल नमाज़ पढ़ी गई तो न हुई। उसे ग़ुस्ल दे कर फिर पढ़े और अगर क़ब्र में रख चुके मगर मिट्टी अभी नहीं डाली गई तो क़ब्र से निकालें और ग़ुस्ल देकर नमाज़ पढ़ें कि पहली नमाज़ न हुई थी और अब चुंकि ग़ुस्ल देकर नमाज़ पढ़ें और मिट्टी दे चुके तो अब नहीं निकाल सकते। लेहाज़ा अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें कि पहली नमाज़ न हुई थी और अब चुंकि ग़ुस्ल ना मुमकिन है लेहाज़ा अब हो जायेगी। (रद्दुलमुहतार)

तम्बीह ज़रूरी

ईमान व दुरुस्तगी अक़ाइद के बाद जुमला अल्लाह के हक़ों में सबसे अहम व आज़म नमाज़ है जिसने क़सदन एक वक़्त की छोड़ी हज़ारों बरस जहन्नम में रहने का मुस्तहिक़ हुआ। जब तक तौबा न करे और उसकी क़ज़ा न कर ले। मुसलमान अगर उसकी ज़िन्दगी में उसे यक लख़्त छोड़ दें। उससे बात न करें। उसके पास न बैठें तो ज़रूर वह उसका सज़ावार है। मगर बाद मौत हर सुन्नी अक़ीदा मर्द ख़्वाह औरत को ग़ुस्ल व कफ़न देना उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ना (अलावा उसके जो शरअन उसके हुक्म से मुसतस्ना है) फ़र्ज़ क़तई अललकिफ़ाया है अगर सब छोड़ दें जिन जिन को इत्तला थी। सब गुनाहगार फ़र्ज़ के तारिक और मुस्तहिक़ अज़ाब होंगे बेनमाज़ी कि नमाज़ फ़र्ज़ जानता हो। उसकी तहक़ीर न करता हो अगरचे नफ़स व शैतान के फन्दों में आकर न पढ़ता हो। गुनाह कबीरा का मुरतकिब है। अज़ाब जहन्नुम का मुस्तहिक़ है मगर काफ़िर नहीं बाग़ी नहीं। डाकू नहीं, एक तबाह कार मुसलमान है उसके जनाज़े

Scanned by CamScanner

की नमाज़ मुसलमानों पर फर्ज़ है। उसने फर्ज़ तर्क किया यह क्यों तारिके फर्ज़ बनें। हां अगर ज़जर के लिए कि दूसरों को तंबीह हो उलेमा खुद न पढ़े दूसरों से पढ़वा दें तो बेजा नहीं और अगर उनके न पढ़ने से और भी कोई न पढ़े या उनको भी मना करें तो यह भी मुस्तहिक अज़ाब जहन्नुम होंगे बल्कि जाहिलों से ज़्यादा (फतावा रिज़विया) अल्लाह तआला हम सबको अपनी पनाह में रखे और सच्चा नमाज़ी बनाए। आमीन०

मसला:– हामला औरत मर गई और दफन कर दी गई किसी ने ख़्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ। तो महज़ उस ख़्वाब की बिना पर क़ब्र खोदना जायज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसला:– जुमा के दिन किसी का इंतकाल हुआ तो अगर जुमा से पहले तजहीज़ व तकफीन हो सके तो पहले ही कर लें। इस ख़्याल से रोके रखना कि जुमा के बाद मजमा ज़्यादा होगा मकरूह है। (आलमगीरी)

मसला:– ऐसे मक़बरा में दफन करना बेहतर है जहां सालेहीन की क़ब्रें हों। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– औरत को किसी वारिस ने ज़ेवर समेत दफन कर दिया और बाज़ वारिस मौजूद न थे तो उन वुरसा को क़ब्र खोदने की इज़ाज़त है। यूंही किसी का कुछ माल क़ब्र में गिर गया मिट्टी देने के बाद याद आया तो क़ब्र खोद कर निकाल सकते हैं। (आलमगीरी)

मसला:– अपने लिए कफन तैयार रखे तो हर्ज नहीं। और क़ब्र खुदवा रखना बे मानी है क्या मालूम मौत कहां आएगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– औरतों के लिए भी बाज़ उलेमा ने ज़ियारत कबूर को जायज़ फरमाया है। दुर्रे मुख़्तार में यही क़ौल अख़्तियार किया मगर

Scanned by CamScanner

अज़ीज़ों की क़ब्र पर जायें तो रोना पीटना मचायेंगी लेहाज़ा ममनूअ है और सालेहीन की कब्रों पर जायेंगी तो ताअज़ीम में हद से गुज़र जायेंगी या बे अदबी करेंगी कि औरतों में यह दोनों बातें बकसरत पाई जाती हैं। लेहाज़ा आफ़ियत व सलामती की राह यही है कि औरतों को रोका जाये। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- औरतों के लिए जिन उलमाए किराम ने ज़ियारत कबूर या और ऐसे ही दूसरे दीनी या दुनियावी उमूर में शिर्कत को जायज़ बताया है। उनके नज़दीक भी ज़रूरी है कि उन मौकों पर बे परदगी न हो। वहां फ़ासिकों और ना ख़ुदा तरसों का मजमा न हो। मर्दों से ख़लत मलत न हों। वह तकरीब शरअन ममनूअ न हो। नाच गाने की महफ़िल न हो, बेबाक व बे लिहाज़ औरतें मौजूद न हों। ब्याह शादियों की महफ़िलों में शैतानी गीत न हों। समधनों की गालियां सुनना सुनाना न हो तजगे वग़ैरह में ढोल बजाना गाना न हो। ऐसी महफ़िलों में जाने से शोहर दार औरतों को उनका शोहर रोक सकता है बल्कि रोके और न जाने दे। और जो लड़कियां नाकतख़ुदा हैं उनके मां बाप उन्हें रोकें हरगिज़ हरग़िज न जाने दें कि नाजुक शीशियां हैं। ज़रा सी ठेस में मोल जायेंगी। (फ़तावा रिज़विया) ग़ालिबन इन्हीं हालात के पेशे नज़र मशहूर उलमाए किराम से सवाल हुआ कि क्या औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है? जवाब दिया कि ऐसी बात में जायज़, नाजायज़ नहीं पूछते यह पुछो कि जायेगी तो उस पर कितनी लाअनत होगी। तो सुना! जब वह जाने का इरादा करती है अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस पर लाअनत करते हैं और जब वह घर से चलती है। सब तरफ़ शैतान उसे घेर लेते हैं और जब क़ब्र पर आती है। मैय्यत की रूह उसे लाअनत

Scanned by CamScanner

करती है और जब पलटती है अल्लाह की लाअनत के साथ पलटती है। (तातार खानिया)

एक सच्ची हिकायत

हज़रत आतिका रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा बड़ी सालेह आबिदा ज़ाहिदा बीबी थीं। इन पाक बीबी को मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इश्क़ था। पहले अमीरुलमोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आयीं क़ुबूल निकाह में अमीरुलमोमिनीन से शर्त कराली कि मुझे मस्जिद नबवी से न रोकें। (यह वह वक़्त था कि उस वक़्त मस्जिद की हाज़िरी बीबीयों को जायज़ थी। अब ममनूअ व नाजायज़ है) ग़र्ज़ इस वजह से अमीरुलमोमिनीन ने उनकी शर्त क़ुबूल कर ली फिर भी चाहते यही थे कि यह मस्जिद न जायें यह कहतीं आप मना कर दें तो मैं न जाऊंगी। अमीरुलमोमिनीन बपाबंदी शर्त मना न फ़रमाते। अमीरुलमोमिनीन के बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से निकाह हुआ। वह मना फ़रमाते यह न मानतीं। एक रोज़ उन्होंने यह तदबीर की कि इशा के वक़्त अंधेरी रात में उनके जाने से पहले ही किसी दरवाज़े की ओट में छुपे रहे। और जब यह आयीं और उस दरवाज़े से आगे बढ़ीं थी कि उन्होंने पीछे से निकल कर उनके सर मुबारक पर हाथ मारा और छुप रहे। हज़रत आतिका ने कहा इन्ना लिल्लाह लोगों में फ़साद आ गया। यह फ़रमा कर वापस आयीं, फिर जनाज़ा ही निकला। दरअसल हज़रत ज़ुबैर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें यह तम्बीह फ़रमाई कि औरत कैसी ही सालेह हो उसकी तरफ़ अंदेशा न सही फ़ासिक़ मर्दों की तरफ़ से उस पर खौफ़ का क्या इलाज तो यह औरतों को

Scanned by CamScanner

फांसी पर लटकाना नहीं बल्कि उनकी इज़्ज़त को शरीरों के शर से बचाना है। (फ़्तावा रिज़विया)

मसला :– मुर्दा के साथ चीनी या कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, या रोटी या ग़ल्ला ले जाना, एक अबस व लायानी फ़ेल है। मकान पर जिस कद्र चाहे सदका व ख़ैरात करें। कब्रिस्तान में अक्सर देखा गया है कि अनाज तक़सीम होते वक़्त बच्चे और औरतें वग़ैरह गुल मचाते और मुसलमानों की क़ब्रों पर दौड़ते फिरते हैं और यह हराम है कि इससे मुर्दों को सख़्त ईज़ा (तक्लीफ़) होती है और वहां मिठाई वग़ैरह चीटियों को उस नीयत से डालना कि मैय्यत को तकलीफ़ न पहुंचाए महज़ जिहालत है और नीयत न भी हो जब भी बजाए उसके मसाकीन, सालेहीन पर तकसीम करना बेहतर है। (मलफ़ूज़ात रिज़विया)

मसला:– कब्र पर कुरआन करीम पढ़ने के लिए हाफ़िज़ मुकर्रर करना जायज़ है (दुर्रे मुख़्तार) यानी जबकि पढ़ने वाले उजरत पर न पढ़ते हों कि उजरत पर कुरआन करीम पढ़ना और पढ़ाना, ना जायज़ है। देने वाला लेने वाला दोनों गुनहगार हैं। उजरत सिर्फ़ यही नहीं कि पेशतर मुकर्रर करलें कि यह लेंगे या यह देंगे। बल्कि अगर मालूम है कि यहां कुछ मिलता है अगरचे उससे तय न हुआ हो यह भी नाजायज़ है। हां अगर कहदे कि कुछ नहीं दूंगा और कुछ नहीं लूंगा फिर पढ़े और और उसकी ख़िदमत करें तो उसमें हर्ज नहीं और अगर इस तरह कुछ पढ़ने वाला न मिले और उजरत पर ही पढ़वाना पड़े तो उससे अपने काम–काज के लिए उजरत ठहरा लें। फिर यह काम उससे लें और वक़्त की पाबंदी की उजरत दे दें। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

Scanned by CamScanner

मसला:- शजरा या अहद नामा कब्र में रखना जायज़ है। और बेहतर यह है कि मैय्यत के मुंह के सामने किबला की जानिब ताक खोद कर उसमें रखें बल्कि दुर्रे मुख़्तार में कफन पर अहद नामा लिखने को जायज़ कहा है और फरमाया उससे मग़फिरत की उम्मीद है और मैय्यत के सीना और पेशानी पर *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* लिखना जायज़ है। एक शख्स ने उसकी वसीयत की थी। इंतकाल के बाद सीना और पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिख दी गयी फिर किसी ने उसे ख़्वाब में देखा हाल पूछा तो जवाब दिया कि जब मैं कब्र में रखा गया अज़ाब के फ़रिश्ते आये फरिश्तों ने जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ देखी तो अज़ाब से बच गया। (दुर्रे मुख़्तार गुनीया ता़तार ख़ानिया) यूं भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिखें और सीने पर कलिमा तैयबा ला-इला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मगर नहलाने के बाद कफ़न पहनाने से पेशतर कलिमा की उंगली से लिखें। रोशनाई से न लिखें। (रददुलमुहतार)

मसला:- सुना गया है कि बाज़ जाहिलों में मरा हुआ बच्चा किसी के पैदा होता है तो उसे हांडी में रख कर कब्रिस्तान से अलग कब्रों से दूर दफ़न कर देते हैं और कहते हैं कि यह पक्का मसान है उससे हिंदुओं की तरह बचते हैं। अगर ऐसा है तो शैतानी ख़्याल है उसे मुसलमानों के क़ब्रिस्तान ही में दफ़न करें और इस ख़्याल व फ़ेल बद से बाज़ आयें। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- कब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे और मय्यत का दिल बहलेगा (रददुलमुहतार) यूंही जनाज़े पर फूलों की चादर डालने में हर्ज नहीं (बहारे शरीअत) और

क़ब्र पर से तर घास नोचना न चाहिए कि उसकी तस्बीह से रहमत उतरती है। और मय्यत को उन्स होता है और नोचने में मय्यत का हक़ ज़ाया करना है। (रद्दुलमुहतार) और क़ब्र में गुलाब वक़्ते दफ़न छिड़कने में हर्ज नहीं और ऊपर छिड़कना फ़िज़ूल और माल का ज़ाया करना है।

मसला:- औद लोबान वग़ैरह कोई चीज़ ख़ास क़ब्र पर रख कर जलाना न चाहिये अगरचे किसी बरतन में हो और क़ब्र के क़रीब सुलगाना कि जो लोग वहां मौजूद हैं या ज़ियारत के लिये आने वाले हैं उन्हें सुकून व उन्स हासिल हो। बेशक बेहतर व मुस्तहसन है इसे ख़्वाह मख़्वाह बिदअत बताने वाले नई शरीअत गढ़ते हैं। (फ़तावा रिज़विया)

तम्बीह ज़रूरी

बाज़ औरतें बल्कि नावाक़िफ़ मुसलमान कहते हैं कि फ़लां दरख़्त पर शहीद मर्द हैं और फ़ुलाने ताक़ में शहीद रहते हैं और उस दरख़्त और उस ताक़ के पास जाकर हर जुमेरात को फ़ातिहा शीरीनी चावल वग़ैरह पर दिलाते हैं। हार लटकाते हैं, लोबान सुलगाते हैं, मुरादें मांगते हैं यह सब वाही तबाही बातें, ख़ुराफ़ात और जाहिलाना हिमाक़तें हैं, इस क़िस्म के अफ़आल व हरकात से हमेशा बचते रहना चाहिए और जाहिलों की बातों में आकर ख़िलाफ़े शरअ कोई बात न करनी चाहिए।

ताज़ियत का बयान

किसी मुसीबत ज़दह मुसलमान भाई या बहन के पास जाकर

Scanned by CamScanner

उसकी तसल्ली व तशफ़्फ़ी के लिए मुनासिब अलफ़ाज़ कहना और मय्यत के हक़ में दुआए खैर करना ताज़ियत है और यह ताज़ियत नबी करीम सल्ल० की सुन्नते करीमा है और कारे सवाब भी। हदीस शरीफ़ में है जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में ताज़ियत करे कयामत के दिन अल्लाह तआला उसे करामत का जोड़ा पहनाएगा और दूसरी हदीस में है जो किसी मुसीबत ज़दह की ताज़ियत करे उसे उसके मिस्ल सवाब मिलेगा (इब्ने माजा) यानी जबकि मुसीबत ज़दह सब्रो शुक्र से काम ले।

मसला:- मुस्तहब है कि मय्यत के तमाम अकारिब छोटे बड़े मर्द औरत सब की ताज़ियत करें और ताज़ियत में यह अलफ़ाज़ कहें "अल्लाह तआला मय्यत की मग़फ़िरत फ़रमाए उसे अपनी रहमत में ढांके" तुम को सब्र अता करे और उस मुसीबत पर सवाब अता फ़रमाए (आलमगीरी)

मसला:- मय्यत के पड़ौसी या दूर के रिश्तेदार अगर मय्यत के घर वालों के लिए उस दिन खाना लाएं तो बेहतर है और उन्हें इसरार करके खिलाएं। (रददुलमुहतार)

मसला:- मय्यत के क़रीबी रिश्तेदारों का घर में बैठना कि लोग उनकी ताज़ियत को आएं इसमें कोई हर्ज नहीं। हां मकान के दरवाज़ों या आम गुज़रगाहों पर बिछौने बिछाकर बैठना बुरी बात है। (आलमगीरी)

मसला:- मय्यत के घर वाले तीजा, दसवां, चालीसवां वग़ैरह के दिन रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब की दावत करें यह नाजायज़ और बिदअते क़बीहा है कि दावत तो खुशी के मौक़े पर की जाती है न कि ग़मी के मौक़ों पर कि अफ़सोस के दिन हैं तो जो खुशी में होता

है ऐसे मौकों के लायक नहीं। (फतहुलकदीर)

उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमाअत ऐसी ही दावतों के मुताल्लिक फरमाते हैं कि यह सब दिखावे और नामवरी के काम हैं। इनसे बचना लाज़िम व ज़रूरी है कशफुलग़िता में फरमाया कि ताज़ियत के लिए अकसर औरतें रिश्तेदार जमा होती हैं और रोती पीटती नौहा करती हैं उन्हें खाना न दिया जाए कि गुनाह पर मदद देना है" हदीसों में आया है कि हज़राते सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहुम अहले मय्यत के यहां जमा होने और उनके खाना तैयार कराने को मुर्दे के लिए नौहा करने में शुमार करते थे। (इब्ने माजा वग़ैरह) और ज़ाहिर है कि नौहा हराम है हां अगर मुहताजों को देने के लिए खाना पकवाएं तो हर्ज नहीं बल्कि ख़ूब है। बशर्ते कि यह काम कोई आकिल बालिग़ अपने माले खास से करे या तरका से करें तो सब वारिस मौजूद व बालिग़ व राज़ी हों। और अगर वारिसों में कोई यतीम या और कोई बच्चा नाबालिग़ हो या बालिग़ हैं मगर सब मौजूद नहीं, या मौजूद हैं और सबसे इजाज़त न ली और खाना पकवाना और ख़ैर ख़ैरात करना शुरू कर दिया तो यह बात और भी ज़्यादा हराम और सख़्त नाजायज़ है कि यतीमों का माल यूं बे दरेग़ उड़ाना दूसरों का माल बिला इजाज़त तसर्रुफ में लाना है और यह खुद नाजायज़ व हराम है और अगर इनमें कोई यतीम हुआ तो आफ़त और सख़्त तर है। (फतावा रिज़विया)

मसला:– हिंदो-पाक के अकसर घरानों में रिवाज है कि मय्यत के रोज़े वफात से उसके अइज़्ज़ा व अकारिब या अहबाब की औरतें उसके यहां जमा होती हैं। फिर कुछ दूसरे दिन कुछ तीसरे दिन वापिस चली जाती हैं और बाज़ चालीसवें तक बैठी रहती हैं।

इस मुद्दते इक़ामत में औरतों के खाने पीने और पान छालिया का एहतमाम अहले मय्यत करते हैं जिसके बाइस वह ज़ेरे बार होते हैं। उनके मुताल्लिक़ उलमाए किराम ने फ़रमाया कि यह औरतें कि जमा होती हैं, नापसंदीदा व ख़िलाफ़े शरअ काम करती हैं। मसलन चिल्लाकर रोना-पीटना, बनावट से मुंह ढांपना वग़ैरह वग़ैरह और यह सब नौहा है और हराम, मय्यत के अज़ीज़ों और दोस्तों को भी जायज़ नहीं कि उन्हें खाना भेजें कि गुनाह की इमदाद होगी, न यह कि अहले मय्यत खाने वग़ैरह का एहतमाम करें कि सिरे से नाजायज़ है तो इस नाजायज़ मजमा के लिए और ज़्यादा नाजायज़ होगा। फिर अक्सर लोगों को इस रस्मे शनीअ और बेहूदा रिवाज के बाइस अपनी ताक़त से ज़्यादा ज़ियाफ़त का एहतमाम करना पड़ता है। यहां तक कि मय्यत वाले बेचारे अपने ग़म अपनी मुसीबत को भूल कर इस आफ़त में मुबतिला हो जाते हैं कि इस मेले के लिए खाना, पान-छालियां कहां से लाएं और बारहा ज़रूरत क़र्ज़ लेने की पड़ती है। ऐसा तकल्लुफ़ शरीअत को किसी जायज़ काम, किसी अम्रे मुबाह के लिए भी पसंद नहीं और हरगिज़ पसंद नहीं न कि एक रस्मे ममनूअ के लिए।

फिर इसके बाइस जो दिक़्क़तें पड़ती हैं बिल्कुल ज़ाहिर हैं। फिर अगर सूदी क़र्ज़ मिला तो हराम ख़ालिस हो गया और मआज़ल्लाह लानते इलाही से पूरा हिस्सा मिला कि बिला ज़रूरते शरअी सूद देना भी सूद लेने के मानिंद, बाइसे लानत है, ग़र्ज़ इस बेहूदा रस्म की मुमानिअत में कोई शक शुबहा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ोजल मुसलमानों को तौफ़ीक़ बख़्शे कि ऐसी तमाम रस्में यकलख़्त तर्क करदें जिनमें उनके दीन व दुनिया का नुक़सान है और तान बेहूदा का लिहाज़

न करें।

तम्बीह:- अगरचे सिर्फ एक दिन यानी पहले ही रोज़, अज़ीज़ों व हमसायों को मसनून है कि अहले मय्यत के लिए इतना खाना पकवाकर भेजें जिसे वह दो वक़्त खा सकें और इसरार करके उन्हें खिलाएं। मगर यह खाना सिर्फ अहले मय्यत ही के काबिल होना सुन्नत है उस मेले के लिए हरगिज़ भेजने का हुक्म नहीं, और उनके लिए भी फकत रोज़े अव्वल का हुक्म है, आगे नहीं जैसा कि फतावा आलमगीरी, कशफुलाग़ता और फ़तावा रिज़विया में मज़कूर है। वल्लाहुल हादी।

सोग और नौहा का बयान

मसला:- नौहा यानी मय्यत के औसाफ मुबालग़ा के साथ बयान करके आवाज़ से रोना जिसको बैन कहते हैं। सबके नज़दीक हराम है। यूंही वावेला, वा मुसीबता कहकर चिल्लाना, (जोहरा नय्यरा) गरेबां फाड़ना, मुंह नोचना, बाल खोलना, सिर पर खाक डालना, सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, एड़ियां रगड़ना गर्ज़ इज़हारे ग़म के लिए ऐसी ही वाही तबाही हरकतें करना यह सब ज़माने जाहिलियत के काम हैं और सख़्त हराम (आलमगीरी) और सोग तीन दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं मगर औरत शौहर के मरने पर चार महीने दस दिन सोग करेगी। (हदीस)

मसला:- आवाज़ से रोना मना है और आवाज़ बुलंद न हो तो इसकी मुमानिअत नहीं बल्कि हुज़ूर अकदस सल्ल० ने अपने साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ि० की वफात पर बुका फरमाया कि मुबारक आंखों से आंसू रवां हुए। (जौहरा)

मसला:- शौहर की मौत या तलाके बाइन की इद्दत में आक़िला बालिग़ा मुसलमान औरत पर जो सोग वाजिब है उसके मायने यह हैं कि औरत, ज़ीनत को तर्क करदे यानी हर क़िस्म के ज़ेवर चांदी सोने जवाहर वग़ैरहा के, और हर क़िस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगरचे सियाह हों, न पहने, और ख़ुश्बू, बदन या कपड़ों में इस्तेमाल न करे और न तेल का इस्तेमाल करे अगरचे उसमें ख़ुश्बू न हो जैसे रौग़न ज़ैतून। यूं ही कंघा करना और सियाह सुर्मा लगाना या सफ़ेद ख़ुश्बूदार सुर्मा लगाना और मेंहदी लगाना और ज़ाफ़रान या कुसुम या गेरु, या गुलाबी, धानी, चम्पई और तरह-तरह के रंग जिनमें ज़ीनत पाई जाती है उन में रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है। औरत पर वाजिब है कि इन सब चीज़ों को ज़मान-ए-इद्दत में छोड़े रखे। (दुर्रे मुख़्तार और आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- ऊज़्र अगर वाक़ई हो तो उसकी वजह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है मगर इस हाल में इसका इस्तेमाल ज़ीनत के क़स्द से न हो। मसलन दर्दे सर की वजह से तेल लगा सकती है या तेल लगाने की आदी है जानती है न लगाने में दर्दे सर हो जाएगा, तो लगाना जायज़ है। यूंही दर्दे सर के वक़्त कंघा कर सकती है मगर उस तरफ़ से जिधर के दंदाने मोटे हैं उधर से नहीं जिधर बारीक हों कि यह बाल संवारने के लिए होते हैं और यह ममनूअ है। या सुर्मा लगाने की ज़रूरत है कि आंखों में दर्द है तो सुर्मा लगा सकती है, या खारिश है तो रेशमी कपड़े पहन सकती है, या उसके पास और कपड़ा नहीं है तो यही रेशमी और रंगा हुआ, तो यही पहन सकती है। मगर यह ज़रूर है कि इनकी इजाज़त ज़रूरत के वक़्त बक़दरे ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा ममनूअ, मसलन आंख की

Scanned by CamScanner

बीमारी में सुर्मा लगाने की ज़रूरत है तो यह लिहाज़ ज़रूरी है कि सियाह सुर्मा उसी वक़्त लगा सकती है, जब सफ़ेद सुर्मा से काम न चले, और अगर सिर्फ़ रात में लगाना काफ़ी है तो दिन में लगाने की इजाज़त नहीं। (आलमगीरी और रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- नाबालिग़ा पर सोग नहीं हां अगर दौराने इद्दत, नाबालिग़ा, बालिग़ा हो गयी तो जो दिन बाक़ी रह गये हैं उनमें सोग करे। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- किसी क़रीबी रिश्तेदार के मर जाने पर औरत को तीन दिन तक सोग करने की इजाज़त है, इससे ज़ायद की नहीं, और औरत शौहर वाली हो तो उससे भी मना कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- इद्दत के अन्दर औरत चारपाई पर सो सकती है कि यह ज़ीनत में दाख़िल नहीं (बहारे शरीअत)

इस मौक़ा पर बाज़ अहादीस जो नौहा वग़ैरह के बारे में वारिद हैं ज़िक्र की जाती हैं ताकि औरतें बग़ौर देखें और उनपर अमल करें और अपनी पराई दूसरी औरतों को सुनाएं कि यह बला अकसर औरतों में हिंदुओं की तक़लीद से पाई जाती है। फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम:-

१. जो मुंह पर तमांचा मारे और गरेबां फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे (नौहा करे) वह हम में से नहीं (बुख़ारी व मुस्लिम)

२. जो सर मुंडाए (यानी किसी के मरने पर जैसे हिन्दू भद्रा करते हैं) और नौहा करे और कपड़े फाड़े, मैं उससे बरी (व बेज़ार) हूं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. आंख के आंसू और दिल के ग़म के सबब अल्लाह तआला अज़ाब

Scanned by CamScanner

नहीं फरमाता (और ज़बान की तरफ इशारा करके फरमाया) लेकिन इसके सबब मय्यत पर अज़ाब होता है। (बुखारी व मुस्लिम) यानी जबकि उसने वसीयत की हो कि उसके मरने के बाद खूब रोया जाए। या यह कि उसने वसीयत तो नहीं की लेकिन उसके खानदान में रोने नौहा करने का रिवाज था उसके इल्म में यह बात थी लेकिन उसने उससे मना न किया। वल्लाहु आलम। या यह मुराद है कि मय्यत के घर वालों के रोने से उसे तकलीफ होती है कि दूसरी हदीस में आया- ऐ अल्लाह के बन्दो! अपने मुर्दे को तकलीफ न दो जब तुम रोने लगते हो वह भी रोता है। (बहारे शरीअत)

४. जब कोई मर जाता है और रोने वाला (मर्द ख्वाह औरत) उसकी खूबियां बयान कर करके रोता है तो अल्लाह तआला उस मय्यत पर दो फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जो उसे कोंचे देते हैं और कहते हैं कि क्या तू ऐसा ही था। (तिर्मिज़ी शरीफ)

५. नौहा करने वाली ने अगर मरने से पहले तौबा न की तो कियामत के दिन इस तरह खड़ी की जाएगी कि उस पर एक कुर्ता कतरान का होगा और खारिश्त का (मुस्लिम) (क़तरान, कोलतार के मानिंद एक चीज़, खारिश्त, खारदार दरख़्त)

६. अल्लाह अज़्ज़ोजल फरमाता है। ऐ इब्ने आदम ! अगर तू अव्वल सदमा के वक्त सब्र करे और सवाब का तालिब हो तो तेरे लिए जन्नत के सिवा किसी सवाब पर मैं राज़ी नहीं (इब्ने माजा)

७. जिस मुसलमान मर्द या औरत को कोई मुसीबत पहुंची उसे याद करके वह إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ कहे अगरचे मुसीबत का ज़माना दराज़ हो गया तो अल्लाह तआला उस पर नया सवाब अता फरमाता है और वैसा ही सवाब फरमाता है जैसा उस दिन कि मुसीबत

Scanned by CamScanner

आई थी (और उसने सब्र किया था) बैहेकी।

शहादत का बयान

हक़ के लिए हक़ की हिमायत में क़त्ल किया जाना बड़े नसीबे वालों को मयस्सर आता है लेकिन मौत की बहुत सी वह सूरतें हैं जिन में शहादत का सवाब मिलता है, लेकिन उन्हें गुस्ल भी दिया जाएगा और कफ़न भी। अल्लाह अज़्ज़ोजल कम अज़ कम ऐसी ही शहादत नसीब फ़रमाए। आमीन०

हदीस शरीफ़ में आया कि जो ताऊन[1] से मरा वह शहीद, जो[2] डूब कर मरा वह शहीद, जो[3] ज़ातुलजुनब (इससे मुराद इस्तिस्क़ा है या दस्त आना) में मरा वह शहीद, जो[4] पेट की बीमारी में मरा वह शहीद, जो[5] जल कर मरा वह शहीद, जिस के ऊपर दीवार वग़ैरह गिर गई, जिस[6] से मौत वाक़ेअ हो गई वह शहीद, वह[7] औरत जो पैदा होने और कुवांरेपन में मर जाए वह शहीद, और जो[8] मुसाफ़त में मर जाए वह शहीद।(अबूदाऊद इब्ने माजा वग़ैरह) इनके अलावा बाज़ सूरतें यह हैं- सिल की बीमारी में मरा, सवारी[10] से गिर कर या मिर्गी[11] में मरा, जो[12] चाश्त की नमाज़ पढ़े और हर महीने रोज़े रखे, फ़सादे[13] उम्मत के वक़्त सुन्नत पर अमल करने वाला उसके लिए सौ शहीदों का सवाब है। जो[14] मर्ज़ में चालीस मर्तबा لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ पढ़े और ऐसे मर्ज़ में जाए और अच्छा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। जो[15] हर रात में सूरः यासीन शरीफ पढ़े। जो[16] बातहारत सोया और मर गया जो[17] नबी करीम सल्ल० पर हर रोज़ सौ बार दुरूद शरीफ़ पढ़े। जो[18] जुमा के दिन

मरे, जो[19] सुबह को أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم तीन बार पढ़ कर सूर: हश्र की पिछली तीन आयतें पढ़े। जो[20] हर रोज़ पचीस बार यह पढ़े اللهم بارك لي في الموت وفي ما بعد الموت۔ वल्लाहु जुलफज़लिल अज़ीम والله ذو الفضل العظيم۔

ईसाले सवाब का बयान

कुरआन करीम का इर्शादे गिरामी है تعاونوا على البر والتقوى नेकी और परहेज़गारी में आपस में एक दूसरे की मदद करो और अहादीसे करीमा इस बाब में ब कसरत वारिद है कि मुसलमान मुसलमान भाई हैं उन्हें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहना चाहिए एक दूसरे के काम आना चाहिए एक दूसरे के साथ नेक सुलूक करना चाहिए। एक दूसरे की हाजत रवाई में शरीक बनना चाहिए। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "दीन खैरख्वाही का नाम है" इसको तीन मर्तबा फ़रमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया "किस की खैर ख्वाही" फ़रमाया अल्लाह व रसूल और उसकी किताब की और आइम्मा अहले इस्लाम और आम मुसलामनों की। (मुस्लिम शरीफ) मुस्लिम शरीफ़ की एक रिवायत में है कि हुजूर पुरनूर सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुममें जिस से हो सके कि अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुंचाए तो ज़रूर पहुंचाए। लेकिन सवाल यह है कि जब जिस्म व जान का ताल्लुक खत्म हो जाए। मरने वालों का ज़िन्दों से राब्ता व इलाका खत्म हो जाए। मौत के बाद ज़िन्दों और मरने वालों में आहिनी दीवार हायल हो जाए और उनमें हिस्सी व माद्दी तआउन और नफ़ा रिसानी व खैर ख्वाही बज़ाहिर खत्म नज़र आए तो ज़िन्दों के नेक आमाल से

Scanned by CamScanner

मुर्दों को फ़ायदा पहुंच सकता है या नहीं। और दीनी व रूहानी ताल्लुक बाकी रहता है या नहीं और मय्यत के वुरसा व अइज़्ज़ा व अहबाब बल्कि आम्मतुल मुस्लिमीन के नेक आमाल से मुर्दे फ़ैज़ पाते हैं या नहीं।

हमारे नज़दीक शरीअते इस्लामिया इसका जवाब इस बात में देती है। यानी हां ज़िन्दों के आमाल से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है और ज़िन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दे फ़ैज़ पाते और फ़ायदा उठाते हैं।

मसलन अहादीसे करीमा में आया है कि जो ग्यारह बार कुल हुवल्लाह शरीफ़ पढ़ कर उसका सवाब मुर्दों को पहुंचाए तों मुर्दों की गिनती के बराबर उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार) खुद हुज़ूर सल्ल० की खिदमत में आप के इशर्दि गिरामी के मुताबिक दो मेंढे सींग वाले चितकबरे खस्सी किये हुए लाए गए आपने दस्ते मुबारक से उन्हें ज़िबह फरमाया और बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया कि "इलाही यह (एक) मेरी तरफ़ से है और (एक) मेरी उम्मत में उसकी तरफ़ से है जिसने कुरबानी न की (कि इसकी इस्तिताअत न पाई)" (अबू दाऊद इब्ने माजा)

एक और हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद ब नफ़से नफ़ीस बकरी ज़िबह फ़रमाते। और उसके टुकड़े हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेलियों में तकसीम फरमा देते। (बुखारी शरीफ़)

हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का इंतिकाल हुआ तो आपने हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमते अक्दस में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह साद की (यानी मेरी) वालिदा का इंतिकाल हो गया है। कौनसा सदका अफ़ज़ल है। इर्शाद फ़रमाया, पानी, उन्होंने

Scanned by CamScanner

कुंवां खोदा और एलान कर दिया कि हाज़िही लि उम्मि   सादिन यह साद की मां के लिए है। (अबूदाऊद) ग़र्ज़ ज़िन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है। फ़िक्हा व अकायद की किताबों में इस का ज़िक्र तफ़सील से मौजूद है यहां उसकी गुंजाइश नहीं।

फायदा:- कलिमा गो गुमराह फिरकों में एक फिरका जो मोअतज़िला के नाम से मशहूर हुआ। अगरचे उस फिरके का आज कहीं नाम व निशान नहीं। लेकिन उस गिरोह के बहुत से अकायद को बाद में पैदा होने वाले गुमराह फिरकों ने आपस में तकसीम कर लिया। मोअतज़िला के नज़दीक ज़िन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। आज फिरका वहाबिया भी यही अकीदा रखता है और बात बात पर मुसलमानाने अहले सुन्नत को बिदअती व मुश्रिक ठहराता है। औरतों और जाहिलों पर उनका जादू जल्दी चढ़ जाता है। लिहाज़ा अपना दीन व मज़हब अज़ीज़ है तो न उनकी किताबें पढ़ो न उनके वाज़ व नसीहत पर कान धरो न उनसे ताल्लुकात रखो। जहां तक बन पड़े ऐसों से दूर रहना ही सलामती, ईमान का रास्ता है।

मसला :- ईसाले सवाब यानी कुरआन मजीद या दुरूद शरीफ या कलिमा तय्यबा या नमाज़ रोज़ा, हज ज़कात ग़र्ज़ हर किस्म की माली या बदनी इबादत और हर अमले नेक, फ़र्ज़ व नफ़िल का सवाब मुर्दों को पहुंचा सकते हैं इन सब को पहुंचेगा और उस सवाब में कुछ कमी न होगी बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद कि सब को पूरा पूरा मिले। यह नहीं कि उसी सवाब को तकसीम हो कर टुकड़ा टुकड़ा मिले। (रद्दुलमुहतार) बल्कि उम्मीद यह है कि उस सवाब पहुंचाने वाले के लिए इन सब के मजमूए के बराबर मिले। मसलन कोई

नेक काम किया जिसका सवाब कम अज़ कम दस गुना मिले उसने इसका सवाब दस मुर्दों को बख़्श दिया तो हर एक को दस दस मिलेंगे और उसको एक सौ दस और हज़ार को पहुंचाया तो उसे दस हज़ार दस। व अला हाज़ल कियास (फ़तावा रिज़विया)

मसला :- नाबालिग़ ने कुछ पढ़ कर या कोई ने अमल करके उसका सवाब मुर्दा को पहुंचाया तो इन्शाअल्लाहु तआला पहुंचेगा। (फ़तावा रिज़विया)

यहां यह न समझना चाहिए कि फ़र्ज़ का सवाब मुर्दों को पहुंचा दिया तो अपने पास क्या रह गया। इस लिए कि सवाब पहुंचाने से अपने पास से कुछ न गया बल्कि इस ईसाले सवाब से फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे से साकित हो गया और यह अदाएगी फ़र्ज़ से फ़ारिग़ हो गया। फिर दो बारा उनको अदा न किया जाएगा, वरना सवाब किस चीज़ का पहुंचाया गया। वहां की बातें यहां के कियास पर नहीं कि एक चीज़ दूसरे को दे दें तो अपने पास ही न रहे। (फ़तावा रिज़विया, बहारे शरीअत)

मसला:- मुसलमान को दुनिया से जाने के बाद जो सवाब कुरआन की तिलावत या कलिमा शरीफ़ और दुरूद शरीफ़ की किरआत और दूसरे आमाले सालिहा का तनहा या खाने कपड़े वग़ैरह के साथ पहुंचाया जाता है। उर्फ़ में उसे फ़ातिहा कहते हैं कि इस में सूर: फ़ातिहा पढ़ी जाती है और औलिया किराम को जो ईसाले सवाब करते हैं उसे ताज़ीमन नज़र व नियाज़ कहते हैं । आम मुहाविरा है कि बड़ों के हुज़ूर जो हदिया पेश करते हैं। उसे नज़र कहते हैं चुनांचे कहा जाता है कि बादशाह ने दरबार किया, उसे नज़र गुज़ारीं। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- ईसाले सवाब का तरीक़ा यह है कि अव्वल ३ या ज़ायद

Scanned by CamScanner

बार दुरूद शरीफ पढ़ें फिर सूर: फातिहा व आयतल कुरसी और तीन या पांच या सात बार या ग्यारह बार सूर: इख्लास (कुल हुवल्लाह) पढ़ें फिर तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद दोनों हाथ उठा कर अर्ज़ करें कि-

इलाही मेरे इस पढ़ने पर (और अगर खाना कपड़ा वग़ैरह भी हों तो उनका नाम भी लें) और कहें कि इस पढ़ने और इन चीज़ों के देने पर जो सवाब मुझे आता हो उसे मेरे अमल के लायक न दे अपने करम के लायक अता फरमा और इसे मेरी तरफ से फलां वलीयुल्लाह मसलन हुजूर पुरनूर सय्यदना ग़ौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र पहुंचा और उनके आबा व किराम (जिनकी यह औलादें हैं) और मशायख किराम (जिनके यह मुरीदों में हैं) और औलाद व अमजाद, मुरीदीन व मुहिब्बीन और मेरे मां बाप और फलां और फलां (यहां उनका नाम लें जिन्हें ईसाले सवाब करना है) और सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से रोज़े कियामत तक जितने मुसलामन हो गुज़रे या मौजूद हैं या कियामत तक होंगे सब को इसका सवाब पहुंचा। इसके बाद दोनों हाथ चेहरे पर फेरले। या जो तरीका और अलफाज़ चाहें इस्तेमाल करें। बस इसका ख़्याल ज़रूर रखें कि हुजूर अक्दस सल्ल० और दूसरे अम्बिया व मुरसलीन और महबूनाने खुदा मसलन हुजूर सय्यदना ग़ौसे आज़म व हुजूर सुल्तानुलहिन्द ख्वाजा ग़रीब नवाज़ वग़ैरहुमा के लिए सवाब बख़्श नहीं कहते। यह लफज़ बहुत बेजा है। बख्शना बड़ों की तरफ से छोटों को होता है। यहां नज़र करना कहना चाहिए। (फतावा रिज़विया)

मसला:- और जो बाज़ किताबों में लिखा है कि खाना सामने

रख कर हाथ उठा कर कुरआन करीम वग़ैरह पढ़ कर सवाब बख़्शाना यह हिन्दूओं का तरीक़ा है। यह सिर्फ मुहमल व लायानी बात ही नहीं बल्कि वहाबिया की बेहूदगीगियों और गुमराहियों का एक नमूना है वरना हिन्दूओं में न कियामत का अकीदा है न वह सवाब व अज़ाब के कायल हैं तो उनके यहां ईसाले सवाब कहां। फिर कहां कुरआने अज़ीम की तिलावत और कहां वैदों की पढंत। "लाहौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम" हाजी इमदादुल्लाह शाह साहब मुहाजिर मक्की रह० ने यहां बड़ी अच्छी बात अपने रिसाला "फ़ैसलए हफ़्त मसायल" में लिखी वह फरमाते हैं "सल्फ में तो यह आदत थी कि मसलन खाना पकाकर मिस्कीन को खिला दिया और दिल से ईसाले सवाब की नीयत कर ली। मुताख्खिरीन (पहली सदी के बाद वाले उलमा) में किसी को ख्याल आया कि जैसे नमाज़ में नीयत हर चंद दिल से काफी है। मगर मुवाफ़िक़ते क़ल्ब व लिसान (ज़बान व दिल की मुवाफ़िक़त) के लिए अवाम को ज़बान से कहना भी मुस्तहसन (अच्छा) है उसी तरह अगर यहां ज़बान से कह लिया जाए कि या अल्लाह इस खाने का सवाब फलां शख़्स को पहुंच जाए तो बेहतर है फिर किसी को ख्याल हुआ कि लफ्ज़ "इसका" मुशारुन इलैह (जिस की तरफ इशारा किया गया है)अगर रूबरू मौजूद हो तो ज़्यादा इस्तेहज़ारे क़ल्ब (हुजूरी दिल) हो खाना रूबरू लाने लगे। किसी को ख़्याल हुआ कि यह एक दुआ है इसके साथ अगर कुछ कलामे इलाही भी पढ़ा जावे तो कबूलियते दुआ की भी उम्मीद है और इस कलाम का सवाब भी पहुंच जाए कि जमा बैनुलइबादीन (दो इबादतों का यकजा होना) है।

चे ख़ुश बुवद कि बर आयद बयक करिश्मा दोकार

Scanned by CamScanner

कुरआन शरीफ की बाज़ सूरतें भी जो लफ़्ज़ों में मुख्तसर और सवाब में बहुत ज़्यादा हैं पढ़ी जाने लगीं। किसी ने ख्याल किया कि खाना जो मिस्कीन को दिया जावेगा उसके साथ पानी देना भी मुस्तहसन है। पानी पिलाना बड़ा सवाब है उस पानी को भी खाने के साथ रख लिया। पस यह हैयते कज़ाइया हासिल हो गई। यह है फातिहा मुरौविजा जिसे वहाबिया हराम बिदअत और गुनाह बताते हैं और उम्मते मरहूमा के सारे मुसलमानों को बिदअती ठहराते हैं। वलअयाज़ बिल्लाह

मसला:- किसी मुसलमान के इन्तिकाल के बाद तीसरे या सातवें या दसवें या चालीसवें दिन जो ईसाले सवाब के लिए मुकर्रर हैं यह महज़ रिवाजीं और उरफी बात है जो सुहूलियत की ख़ातिर सदियों से मुसलमानों में रायज है। इस तख्सीस को शरई कोई नहीं समझता और यह कोई नहीं कहता कि बस इसी दिन और तारीख को ईसाले सवाब किया जाए तो पहुंचेगा वरना नहीं बल्कि हक तो यह है कि इन्तिकाल के बाद ही से कुरआन मजीद की तिलावत और खैर खैरात का सिलसिला जारी हो जाता है और जिन्हें अल्लाह ने दिया है उनके यहां यह सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहता है। तो जो यह कहे कि इन मख्सूस दिनों के सिवा दूसरे दिनों में मुसलमान ईसाले सवाब को नाजायज़ मानते हैं वह मुसलमानों पर इफ़्तेरा करता और तुहमत जड़ता है और ज़िन्दों के मुर्दों को सवाब से महरूम करने की एक बेकार कोशिश करता है। (बहारे शरीअत) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर पीर को नफ़िल रोज़ा रखते। क्या इतवार या मंगल को रखते तो न होता। या इससे यह समझा गया कि मआज़ल्लाह हुज़ूर ने पीर का रोज़ा वाजिब

Scanned by CamScanner

समझा यही हाल तीजे चालीसवें वग़ैरह का है।

मसला:- सोम यानी तीजा मरने से दूसरे तीसरे रोज़ किया जाता है कि कुरआन मजीद या कलिमा तय्यिबा पढ़वा कर ईसाले सवाब करते हैं और बच्चों और अहले हाजत को चने बताशे या मिठाई वग़ैरह तक़सीम करते और खाना पकाकर गरीबों को देते या खिलाते हैं। फिर चालीसवें दिन खाना खिलाते हैं सब गरीबों या गरीब हाजतमंदों के घरों पर भेजते हैं यूंही हर जुमेरात को हस्बे हैसियत खाना पका कर उन्हें पहुंचाते हैं। फिर छ: महीने पर ईसाले सवाब करते हैं उसके बाद बरसी होती है। यह सब जायज़ व बेहतर है और इसी ईसाले सवाब की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। (फ़तावा रिज़विया, बहारे शरीअत)

मसला:- हर रोज़ एक ख़ूराक पर मय्यत की फ़ातिहा दिला कर मिस्कीन को देना और हर जुमेरात को चंद मसाकीन को खिलाना। चालीस रोज़ तक ऐसा ही करना और हो सके तो साल भर तक या हमेशा करना बेहतर है।

मसला:- बाज़ जाहिल घरानों में यह मामूल है कि चालीसवें दिन घड़े या मटके में पानी भर कर उस पर चादर रखते हैं कुछ पकाकर फ़ातिहा दिलाते हैं और उस को मकान से रूह निकालना करार देते हैं यह महज़ ज़िहालत हिमाक़त व बिदअत है। हां फ़ातिहा दिलाना अच्छा है। यूंही चावल में शक्कर डाल कर तक़सीम करते हैं। शक्कर चावल मसाकीन को तक़सीम करना ख़ूब है। मगर बिरादरी में मौत के लिए न बांटा जाए। यही हुक्म हलवा रोटी का है जो शबे बरात पर बिरादरी में तक़सीम की जाती है। हां बिरादरी में जो ग़रीब व मिसकीन हों उन्हें देना दूसरे मुहताजों के देने से अफ़ज़ल है और शबे बरात व अरफ़ा तक मय्यत की अलाहदा फ़ातिहा दिलाना और

Scanned by CamScanner

यह समझना कि अरफ़ा तक अलग का हुक्म है। यह भी ग़लत और जिहालत है। (फ़तावा रिज़विया)

ईसाले सवाब के लिए जो कुछ किया जाए यह ज़रूरी है कि अच्छी नीयत से किया जाए अपनी शोहरत या वाह वाह के लिए न हो। नुमूदो नुमाइश मकसूद न हो वरना सवाब और ईसाले सवाब कैसा, दिखावे के तौर पर अमल करना सब के नज़दीक हराम है और सख़्त गुनाह की बात।

ईसाले सवाब के ग़लत तरीक़े

ईसाले सवाब के नाम पर आज कल लोग इस किस्म की खैरात करते हैं कि छतों और कोठों पर से रोटियां और रोटियों के टुकड़े बिस्कुट वग़ैरह फेंकते हैं और सदहा आदमी उसको लूटते हैं। एक के ऊपर एक गिरता है। बाज़ के चोट लग जाती है और वह रोटियां या बिस्कुटों के टुकड़े नीचे ज़मीन पर गिर कर पांव से रौंदी जाती हैं बल्कि बाज़ औकात ग़लीज़ नालियों में भी गिरती हैं और रिज़्क की सख़्त बेअदबी व बेहुरमती होती है और बहुत कुछ बरबाद भी जाती हैं। यही हाल शरबत का है कि ऊपर से आबखोरों में लूट मचाई जाती है कि आधा आबखोरा भी शरबत का नहीं रहता। और तमाम शरबत गिर कर ज़मीन पर बहता और ज़ाया जाता है। यह न खैर खैरात है न सवाब न ईसाले सवाब। न इससे खुदा व रसूल राज़ी न उसपर किसी सवाब की उम्मीद सिर्फ़ नामवरी और दिखावे की सूरतें हैं जो हराम, और रिज़्क की बेअदबी और बरबादी का गुनाह अलग। काश कि यह चीज़ें इंसानियत के तरीके पर तकसीम की जाएं तो बेहुरमती भी न हो और लोग उससे फ़ायदा भी उठायें और करने

Scanned by CamScanner

वाले सवाब कमायें। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

मसला:- उजरत लेकर कुरआन मजीद की तिलावत भी रिया के मानिंद है कि जब ईसाले सवाब के लिये उजरत तै करली तो तिलावत में इख़्लास कहां रहा। बलिक तिलावत से मक़सूद तो अब वह पैसे हैं। वह पैसे न मिलते तो यह पढ़ना भी नहीं। इस पढ़ने में कोई सवाब नहीं। फिर मय्यत के लिए ईसाले सवाब का नाम लेना ग़लत है कि जब सवाब ही न मिला तो पहुंचाएगा क्या? इस सूरत में न पढ़ने वाले को सवाब, न मय्यत को, बल्कि उजरत देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- शबे बरात में हलवा पकता है और उस पर फ़ातिहा दिलाई जाती है। हलवा पकाना भी जायज़ और उस पर फ़ातिहा भी, इसी ईसाले सवाब में दाखिल (बहारे शरीअत) और यह हलवा चूंकि पकाया ही इस नीयत से जाता है कि अइज़्ज़ा व अक़ारिब में भी तक़सीम होगा और गुरबा को भी दिया जाएगा। इस लिए इसका खाना सब के लिए जायज़ है। शबे बरात में यह हलवा दर असल अइज़्ज़ा व अकारिब और मिलने मिलाने वालों में इस लिए तक़सीम किया जाता है कि इससे मुहब्बत खुलूस का इज़हार होता है और मुसलमानों का सीना, पंद्रहवीं शब की बरकात के लिए साफ शफ़्फ़ाफ आईना की मानिंद है। हदीस शरीफ़ में है कि एक दूसरे का हदिया तोहफ़ा दिया करो इससे बाहिमी मुहब्बत बढ़ती है।

मसला:- माहे रजब में बाज़ जगह सूरः मुल्क (तबार कल्लज़ी) चालीस मर्तबा पढ़कर रोटियों या छुवारों पर दम करते और उन्हें तक़सीम करतें और सवाब मुर्दों को पहुंचाते हैं यह भी जायज़ है कि ईसाले सवाब में दाख़िल है।

फ़ायदा:- नबी करीम सल्ल० जब तक الم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک न पढ़ लेते, सोते न थे, (तिर्मिज़ी) इर्शादे गिरामी है कि कुरआन करीम में तीस आयत की एक सूरत है आदमी के लिए शिफ़ाअत करेगी। यहां तक कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। वह तबारक-ल्लज़ी है। (तिर्मिज़ी)

मसला:- इसी माहे रजब में हज़रत जलाल बुखारी रह० और बाज़ जगह हज़रत सय्यदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ि० को ईसाले सवाब के लिए खीर पुरी पकाकर कूंडे भरे जाते हैं और फ़ातिहा दिला कर लोगों को खिलाते हैं यह भी जायज़ है। हां एक बात बुरी रिवाज पा गई है वह यह कि जहां कूंडे भरे जाते हैं वहीं खिलाते हैं वहां से हटने नहीं देते। यह बेजा पाबंदी है और एक लग़व हरकत है। मगर यह जाहिलों का तरीका है पढ़े लिखे लोगों में यह पाबंदी नहीं। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ि० की फ़ातिहा की मौका पर एक किताब भी पढ़ी जाती है जिसका नाम दास्ताने अजीब है उसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सुबूत नहीं लिहाज़ा न पढ़ी जाए। फ़ातिहा दिलाकर ईसाले सवाब करें। (बहारे शरीअत) अगरचे औलिया अल्लाह की करामातें बरहक़ हैं।

मसला:- माहे मुहर्रम में दस दिनों तक खुसूसन दसवीं को हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ि० व दीगर शुहदाए करबला को ईसाले सवाब करते हैं कोई शरबत पर फ़ातिहा दिलाता है। कोई शीरीनी पर, कोई मिठाई पर, कोई रोटी गोश्त पर, कोई खिचड़ा बरीख पकवाता है। बहुत से पानी और शरबत की सबील लगा देते हैं जाड़ों में चाय पिलाते हैं यह सब जायज़ है। जो कारे खैर करो और सवाब पहुंचाओ, हो सकता है। इनको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता है।

Scanned by CamScanner

मसला:- बाज़ जाहिलों में मशहूर है कि मुहर्रम में सिवाए शुहदाए करबला के दूसरों की फ़ातिहा न दिलाई जाए। उनका ख़्याल ग़लत है। जिस तरह दूसरे दिनों में सब की फ़ातिहा हो सकती है। इन दिनों में भी हो सकती है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- माहे रबीउल अव्वल की ग्यारहवीं तारीख़ बल्कि हर महीने की ग्यारहवीं को, हुज़ूर सय्यदना ग़ौसे आज़म रज़ि० की फ़ातिहा दिलाई जाती है यह भी ईसाले सवाब की एक सूरत है बल्कि ग़ौसे पाक रज़ि० की जब कभी फ़ातिहा होती है किसी तारीख में हो अवाम उसे ग्यारहवीं शरीफ़ की फ़ातिहा कहते हैं। इसी तरह माहे रजब की छटी तारीख बल्कि हर महीने की छटी तारीख को हुज़ूर ख्वाजा ग़रीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ि० की फ़ातिहा भी ईसाले सवाब में दाखिल है। (बहारे शरीअत)

मसला:- असहाबे कहफ का तोशा या हुज़ूर ग़ौस रज़ि० का तोशा या हज़रत शैख़ अहमद अब्दुलहक रदौलवी कुदुस सिर्रहुल अज़ीज़ का तोशा भी जायज़ है और ईसाले सवाब में दाखिल है। (बहारे शरीअत)

मसला:- बाज़ मुसलमान गाय बकरा मुर्ग जो इस लिए पालते हैं कि उनको ज़िबह करके खाना पकवाकर किसी वलीउल्लाह (मसलन हुज़ूर सय्यदना ग़ौस आज़म रज़ि०) की रूह को ईसाले सवाब किया जाएगा यह भी जायज़ है और जानवर भी हलाल, मुसलमान के मुताल्लिक यह ख्याल करना कि उसने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत व तक़रीब की नीयत की है। हट धरमी और बद गुमानी है, अक़ीक़ा वलीमा और खतना वग़ैरह की तक़रीबों में जिस तरह जानवर ज़िबह किये जाते हैं और बाज़ मर्तबा पहले ही से नामज़द

कर देते और मुतअय्यन करलेते हैं कि फ़लां मौका और फ़लां काम के लिए ज़िबह किया जाएगा जिस तरह यह हराम नहीं वह भी हराम नहीं कि बवक़्ते ज़िबह तो उन पर फ़क़त अल्लाह अज़्ज़ोजल का नाम लिया जाता है। किसी और का नहीं अल्लाह तआला वहाबिया की सी औंधी मत किसी को न दे।

मसला:- वह खाना जो हज़रात अम्बिया व मुरसलीन अलै० और औलियाए किराम रज़ि० की अरवाह तय्यबा को नज़र किया जाता है और अमीर व ग़रीब सब को बतौर तबर्रुक दिया जाता है। यह सब को बिला तकल्लुफ रवा है और बाइसे बरकत है, बरकत वालों की तरफ जो चीज़ निस्बत की जाती है उसमें बरकत आ जाती है यही वजह है कि मुसलमान उसे तबर्रुक जानते और ऐसे खानों की ताज़ीम का एहतिमाम करते हैं।(फ़तावा रिज़वयिा)

फ़ातिहा पर कपड़ा डाल कर फ़ातिहा दिलाना और उसमें यह क़ैदें लगाना कि सिवाए शौहर वाली औरत, बेवा या अक्दे सानी वाली औरत, या मर्द या खाना न खायें यह सब औरतों की जिहालतें हैं जिनको मिटाना चाहिए किसी नियाज़ पर परदा डालने का कहीं हुक्म नहीं यह महज़ बे सुबूत और निरी एख्तराई बातें हैं। (फ़तावा रिज़विया) हां मक्खी मच्छर वग़ैरह से हिफ़ाज़त की ख़ातिर खाने पीने की चीज़ों पर कपड़ा डाल दिया जाए तो कोई मुज़ाएका नहीं बल्कि बेहतर है।

मसला:- बाज़ ग़रीब और नादार घरानों में औरतों का मामूल है कि आटा जो रोज़ मर्रा पकाने के लिए निकाला जाता है उसमें से एक चुटकी या मुट्ठी भर आटा जमा करती जाती हैं और जब तीस दिन महीने के पूरे हो जाते हैं और ग्यारहवीं शरीफ का दिन आता है तो उस आटे या उसकी रोटी या हलवे वग़ैरह पर ग्यारहवीं शरीफ

Scanned by CamScanner

की फ़ातिहा दिलाई जाती है। यह तरीका बहुत बरकत का बाइस है और उसमें आसानी रहती है। रोज़ के आटे में से एक चुटकी निकालना मालूम भी नहीं होता और महीने भर में खासी मिक्दार जमा हो जाती है।

मसला:- सोयम के चने बाज़ लोग शरमा हुजूरी ले लेते हैं और बाज़ दफ़ा ग़ैर मुस्लिमों को दे देते हैं यह गुनाह है। लेने वाला फ़्क़ीर है तो खुद खाले और जो नहीं खाते वह न लें और ले लिए हों तो किसी मुसलमान फ़्क़ीर को दे दें और वालिदैन ग़नी हों तो अपने बच्चों को मना करदें कि वह यह चने न लें। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- जब ईद बक़रईद या जुमा या आशूरा का दिन या शबे बरात होती है अमवात की रूहें आकर अपने घरों के दरवाज़े पर खड़ी होती और कहती हैं, है कोई कि हम पर तरस खाए, है कोई कि हमारी गुरबत की याद दिलाए।(खज़ानतुरिवायात)

मसला:- ईसाले सवाब के लिए मीलाद शरीफ़ भी पढ़वाया जाता है, यह भी जायज़ है और अज्र व सवाब का काम। इसका सवाब भी मय्यत को पहुंचता है। ग़र्ज़ नेक नीयती से जो खैरात की जाती है और उसका सवाब मय्यत को पहुंचाया जाता है तो वह मरने वाला इससे ऐसा खुश होता है जैसे दुनिया में दोस्तों के तोहफ़े हदिये से बल्कि किताबों में आया कि फ़रिश्ते इन सवाबों को नूर के तबाक़ में रख कर मय्यत के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐ गहरी क़ब्र वाले। यह सवाब तेरे फ़लां अज़ीज़ या दोस्त ने तुझे भेजा है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- लोगों में मशहूर है कि तआमुल मय्यिति युमय्यितुल क़ल्ब यानी मय्यत का खाना क़ल्ब स्याह कर देता है। उलमाए किराम

Scanned by CamScanner

ने इस के यह मानी बयान फ़रमाए हैं कि जो लोग मय्यत के खाने की तमन्ना और इन्तिज़ार में रहते हैं कि कब कोई मरे और उसका खाना मिले और उसके न मिलने से नाखुश और मलूल होते हैं उनका कल्ब स्याह यानी दिल मुर्दा हो जाता है और इबादत व बंदगी, ज़िक्र अज़कार और नेक कामों के लिए शौके इंहिमाक दिलचस्पी चुस्ती उनमें बाक़ी नहीं रहती इस लिए कि वह अपनी शिकम सैरी और ज़बान के ज़ायके की खातिर मुसलमानों की मौत का इन्तिज़ार करते रहते हैं और खाना खाते वक़्त उसकी लज़्ज़तों और ज़ायकों में खो कर मौत व कब्र को भूल जाते हैं उन्हें सिर्फ़ अपने हलवे मांडे से काम होता है किसी और से कोई ग़र्ज़ नहीं रहती। ज़ेहन में यह बात न आती हो अब तजुर्बा करके देख ले तजुर्बा व मुशाहिदा से बढ़ कर और क्या दलील चाहिए। वल्लाहु आलम। ग़ालिबन इसी बुनियाद पर बहुत से लोग अगरचे शरअन ग़रीब होते हैं सोम व चहल्लुम वग़ैरह के मौक़ों पर की जाने वाली दावतों में शिरकत से गुरेज़ करते हैं उनका यह इक़दाम सही है। उन्हें बिरादरी या पंचायत के क़ानून में घसीटना मज़मूम हरकत है।

हां औलियाए किराम की नज़र व नियाज़ तआमे मय्यत नहीं वह तबर्रुक है उसे फ़क़ीर भी खाएं और ग़नी भी, नीयत बख़ैर हो तो दीन व दुनिया में उसकी बरकतें भी ज़ाहिर हो जाती हैं। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

वालिदैन के हुकूक़ वफ़ात पाजाने के बाद

१. सबसे पहला हक बाद मौत उनके जनाज़े की तजहीज़, गुस्ल कफ़न, नमाज़, दफ़न और उन कामों में ऐसे सुनन व मुस्तहबात (शरीअत के अहकाम) की रिआयत जिससे उनके लिए हर ख़ूबी व बरकत व रहमत व वुस्अत की उम्मीद हो।

२. उनके लिए दुआ व इस्तग़फ़ार हमेशा करते रहना इससे कभी ग़फ़लत न बरतना।

३. सदक़ा व ख़ैरात आमाले सालिहात का सवाब उन्हें पहुंचाते रहना हस्बे ताक़त इसमें कमी न करना बल्कि जो नेक काम करें सब का सवाब उन्हें और सब मुसलमानों को पहुंचा देना कि उन सब को सवाब पहुचं जाएगा और उसके सवाब में कमी न होगी। बल्कि बड़ी तरक़्क़ियां नसीब होंगी।

४. उन पर कर्ज़, किसी का आता हो तो उसे अदा करने में हद दर्जा की जल्दी व कोशिश करना और अपने माल से उनका अदा होने को दोनों जहां की सआदत समझना आप में कुदरत न हो तो अज़ीज़ों करीबों फिर बाकी अहले ख़ैर से उसकी अदा में इमदाद लेना।

५. उन पर कोई फ़र्ज़ रह गया तो जहां तक बस में हो उसके अदा में कोशिश करना। हज न किया हो तो खुद उनकी तरफ़ से हज करना या हज बदल कराना। ज़कात या उशर का मुतालिबा उन पर रहा हो तो उसे अदा करना। नमाज़ या रोज़ा बाकी हो तो सका कफ़्फ़ारा देना व अला हाज़ल कियास हर तरह इस कोशिश में रहना कि उन पर कोई मुतालिबा शरीअत का बाकी न रह जाए।

Scanned by CamScanner

६. उन्होंने जो वसीयत (कि शरअन जायज़ हो) की हो उसके नाफ़िज़ करने में कोशिश करना अगरचे शरअन अपने ऊपर लाज़िम न हो, अगरचे अपने ऊपर बार हो। मसलन वह निस्फ़ जायदाद की वसीयत अपने किसी अज़ीज़ (जो वारिस नहीं) या अजनबी महज़ के लिए कर गए तो शरअन तिहाई माल से ज़्यादा वारिसों की इजाज़त के बग़ैर नाफ़िज़ नहीं मगर औलाद को मुनासिब है कि उन की वसीयत मानें और उनकी ख़ुशी पूरी करने को अपनी ख़्वाहिश पर मुक़द्दम जानें।

७. उनकी कसम बाद मर्ग भी सच्ची ही रखना। मसलन मां बाप ने कसम खाई थी कि मेरा बेटा (या मेरी बेटी) फ़लां जगह न जाएगा, या फ़लां से न मिलेगा तो उनके बाद यह ख़्याल करना कि अब वह तो हैं नहीं उनकी कसम का क्या ख़्याल। नहीं बल्कि उसका वैसा ही पाबंद रहना जैसा कि उनकी हयात में रहता। जब तक कि कोई हर्ज शरई मानेअ न हो। और कुछ कसम पर मौक़ूफ़ नहीं हर तरह नेक कामों में बाद मर्ग उनकी मर्ज़ी का पाबंद रहना।

८. उनके रिश्तेदारों के साथ उम्र भर नेक सुलूक किए जाना।

९. कभी किसी के मां या बाप को बुरा कह कर जवाब में उन्हें बुरा न कहलवाना।

१०. और सब में सख़्त तर, आम तर जिसका हमेशा लिहाज़ रखा जाए यह हक है कि कभी कोई गुनाह करके उन्हें कब्र में रंज न पहुंचाना। औलाद के सब आमाल की मां बाप को ख़बर पहुंचती है। नेकियां देखते हैं तो ख़ुश होतें हैं और उनका चेहरा ख़ुशी से दमकने लगता है और गुनाह देखते हैं तो रंजीदा होते हैं। उनके क़ल्ब पर सदमा पहुंचता है। मां बाप का यह हक नहीं कि कब्र में उन्हें रंज

Scanned by CamScanner

दिया जाए। हदीस में फ़रमाया कि हर जुमा मां बाप पर औलाद के एक हफ़्ते के आमाल पेश किये जाते हैं नेकियों पर ख़ुश होते हैं। बुराइयों पर रंजीदा होते हैं तो अपने गुज़रे हुवों को रंजीदा न करो ऐ अल्लाह के बन्दो।

११. उनके दोस्तों से दोस्ती निबाहना। हमेशा उनका एज़ाज़ व इकराम रखना। उनके हुकूक में बेटा बेटी सब बराबर हैं और खास मर्दों पर यह हक़ है कि हर जुमा को उनकी ज़ियारत कब्र के लिए जाना, वहां कुरआन शरीफ़ ऐसी आवाज़ से कि वह सुनें पढ़ना और उसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाना। राह में जब कभी उनकी कब्र आए बग़ैर सलाम व फ़ातिहा न गुज़रना। अल्लाह ग़फ़ूरुर्रहीम करीम जल्ल जलालुहू सदका अपने हबीब रऊफ़ व रहीम अलैहि व अला आलिही अफ़ज़लुस्सलात वत्तस्लीम हम सब मुसलमानों को नेकियों की तौफ़ीक बख़्शे, गुनाहों से बचाए, हमारे अकाबिर की कब्रों में हमेशा नूर व सुरूर पहुंचाए कि वह कादिर है और हम आजिज़, वह ग़नी है और हम मुहताज।

बिलजुमला वालिदैन का हक़ वह नहीं कि इंसान उससे कभी बरीउज़्ज़िम्मा हो सके। वह उसकी हयात व वुजूद के सबब हैं तो कुछ नेमतें दीनी व दुनियावी पाएगा सब उन्हीं के तुफ़ैल में हुयीं कि हर नेमत व कमाल, वुजूद पर मौकूफ़ है और वुजूद के सबब वह हुए, तो सिर्फ़ मां बाप होना ही ऐसे अज़ीम हक़ का मूजिब है जिस से बरिउज़्ज़िम्मा कभी नहीं हो सकता। न कि उसके साथ उसकी परवरिश में, उनकी कोशिशें, उसके आराम के लिए उनकी तकलीफ़ें खुसूसन पेट में रखने पैदा होने, दूध पिलाने में मां की अज़ीयतें उनका शुक्र कहां तक अदा हो सकता है।

Scanned by CamScanner

खुलासा यह यह कि मां बाप औलाद के लिए, अल्लाह व रसूल जल्ल जलालुहू व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम के साए और उन की रबूबियत व रहमत के मज़हर है। वलि हाज़ा कुरआन अज़ीम में जल्ल जलालुहू ने अपने हक के साथ उनका हक ज़िक्र फरमाया। اَنِ اشْكُرْلِیْ وَلِوَالِدَیْكَ हक़ मान मेरा और अपने मां बाप का।

हदीस में है कि एक सहाबी रज़ि० ने हाज़िर हो कर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह! एक राह में ऐसे गरम पत्थरों पर कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन पर डाला जाता, कबाब हो जाता छः मील तक अपनी मां को अपनी गरदन पर सवार करके ले गया हूं। क्या अब उन के हक से अदा हो गया।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया "तेरे पैदा होने में, जिस कद्र दर्दों के झटके, उसने उठाए हैं, शायद यह उनमें एक झटके का बदला हो सके।" (तबरानी)

अल्लाह अज़्ज़ोजल उकूक व नाफरमानी वालिदैन से बचाए और अदाए हुकूक व हुसने खिदमत की तौफीक अता फरमाए आमीन। (अफादाते रिज़विया)

ज़कात का बयान

ज़कात सन् २ हिजरी में मुसलमानों पर फर्ज़ हुई। नबी करीम सल्ल० नेक और रहम दिल पहले ही मिसकीनों के हमदर्द ग़रीबों के बही ख्वाह दर्दमंदों के ग़मगुसार थे और इस्लाम में शुरू ही से मसाकीन और गुरबा की दस्तगीरी पर, मुसलमानों को खुसूसियत से तवज्जोह दिलाई जाती थी उनकी हमदर्दी को गुरबा का रफीक बताया

जाता था और मुसलमान उस पाक तालीम की बदौलत, गुरबा व मसाकीन के लिए बहुत कुछ किया भी करते थे ताहम कोई ऐसा कायदा मुक़र्रर न था जिस पर बतौरे आईन व ज़ाबता के अमल किया जाता हो। इस लिए दौलतमंद जो कुछ भी करते थे अपनी फैयाज़ी और नेक दिली से करते थे। अल्लाह तआला ने ज़कात को फर्ज़ और इस्लाम का तीसरा रुक्न (कलिमा शहादत और नमाज़ के बाद) करार दिया। ज़कात दर हक़ीक़त उस सिफ़्ते हमदर्दी व रहम के बाक़ायदा इस्तेमाल का नाम है जो इंसान के दिल में अपने हम जिंसों के साथ कुदरतन फ़ितरतन मौजूद है। ज़कात अदा करने से अदा करने वाले को यह फ़ायदा भी होता है कि माल की मुहब्बत अख़्लाके इंसानी को मग़लूब नहीं कर सकती और बुख़्ल और कंजूसी के उयूब से इंसान पाक रहता है और यह फ़ायदा भी कि गुरबा व मसाकीन को वह अपनी कौम का जुज़ समझता रहता है और इसलिए बेहद दौलत का जमा होना भी उस में तकब्बुर व गुरूर पैदा नहीं होने देता और यह फ़ायदा भी है कि गुरबा के गिरोह कसीर को उसके साथ एक उन्स मुहब्बत और उसकी दौलत व सरवत के साथ हमदर्दी व खैरख़्वाही पैदा हो जाती है चूंकि वह उसके माल में अपना एक हिस्सा मौजूद व कायम समझते हैं गोया दौलतमंद मुसलमान की दौलत एक ऐसी कम्पनी की दौलत की मिसाल पैदा कर लेती है जिस में अदना और आला हिस्से के हिस्सेदार शामिल हैं। कौम को यह फ़ायदा है कि ज़कात की बदौलत, भीख मांगने की रस्म कौम से बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाती है। (माख़ूज़)

ज़कात अरकाने इस्लाम में एक अहम रुक्न है कुरआने अज़ीम में बीसीयों जगह नमाज़ के साथ इसका ज़िक्र फ़रमाया और तरह तरह

Scanned by CamScanner

से इस फर्ज़े आज़म की तरफ बुलाया और साफ साफ फरमा दिया कि हरगिज़ यह न समझना कि ज़कात दी तो माल में से इतना कम हो गया बल्कि उससे माल बढ़ता है बाज़ दरख्तों में कुछ अज्ज़ाए फासिदा इस किस्म के पैदा हो जाते हैं कि पेड़ की उठान को रोक देते है। अहमक नादान उन्हें न तराशेगा कि मेरे पेड़ में से इतना कम हो जाएगा मगर आकिल होश्मंद तो जानता है कि उनके छांटने से यह नौ निहाल, लहलहा कर दरख्त बनेगा वरना यूं ही मुरझा जाएगा।

यही हिसाब उस माल का है जिस पर ज़कात फर्ज़ हो चुकी कि ज़कात अदा कर दी जाएगी। माल महफूज़ रहेगा बढ़गा। परवरिश पाएगा और ज़कात अदा न की जाएगी तो खुदा व रसूल के फरमान के तहत "ज़कात का माल जिस माल में मिला होगा, उसको तबाह व बरबाद कर देगा।"

हुजूर वाला सल्ल० फरमाते हैं "खुशकी व तरी में जो माल तल्फ होता है वह ज़कात न देने ही से तल्फ होता है।"

अज़ीज़ बहनो और बीबियो ! एक बेअक्ल गंवार को देखो कि तुख्मे गन्दुम अगर पास नहीं होता बहज़ार दिक्कत कर्ज़ दाम से हासिल करता और उसे ज़मीन में डाल देता है उस वक्त तो वह अपने हाथों से खाक में मिला दिया मगर उम्मीद लगी है कि खुदा चाहे तो यह खोना बहुत कुछ पाना हो जाएगा। तुम्हें उस गंवार किसान के बराबर भी अक्ल नहीं। या जिस कद्र ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा है अपने मालिक जल्ल व अला के इर्शाद पर इतना इत्मिनान भी नहीं कि अपना माल बढ़ाने और एक एक दाना का एक एक पेड़ बनाने को ज़कात का बीज नहीं डालती हो। वह फरमाता है "ज़कात दो तुम्हारा माल

Scanned by CamScanner

बढ़ेगा।"

अगर मआज़ल्लाह,दिल में उस फ़रमान पर यक़ीन नहीं जब तो खुला कुफ़्र है और अगर दिल में तो यक़ीन है मगर ग़फ़लत व लापरवाही के बाइस इधर तवज्जोह नहीं तो तुम से बढ़ कर अहमक़ कौन कि अपने यक़ीनी नफ़ा दीन व दुनिया की ऐसी भारी तिजारत को छोड़ कर दोनों जहां का नुकसान मोल लेती हो।

हदीस शरीफ़ में है कि दो औरतें हुज़ूर सल्ल० की खिदमते वाला में सोने के कंगन पहने हाज़िर हुयीं। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया इन की ज़कात दोगी। अर्ज़ किया, न, फ़रमाया क्या चाहती हो कि अल्लाह तआला तुम्हें आग के कंगन पहनाए। अर्ज़ किया, नहीं, फ़रमाया तो ज़कात दो। (तिर्मिज़ी)

एक और हदीस में है कि एक बीबी चांदी के छल्ले पहने थीं, फ़रमाया इनकी ज़कात दोगी, उन्होंने कुछ इंकार सा किया। फ़रमाया यही तुझे जहन्नम में ले जाने को काफी हैं। ग़र्ज़ ज़कात न देने की जानकाह आफतें वह नहीं जिन की ताब आसके। फिर उससे बढ़कर अहमक़ कौन कि अपना माल झूटे सच्चे नाम की खैरात में सर्फ़ करे और अल्लाह अज़्ज़ोजल का फ़र्ज़ और उस बादशाह कहार का वह भारी क़र्ज़ गरदन पर रहने दे। यह शैतान का बड़ा धोका है कि आदमी को नेकी के परदे में हलाक करता है।

औरतें गहना ज़ेवर और भारी जोड़े तो बड़े अरमान से बनवाती और शौक़ से पहनती हैं। लेकिन जब ज़कात का नाम आता है तो तरह तरह के हीले बहानों से उसे टालती हैं कुछ ज़्यादा ग़ैरतमंद होती हैं तो वह कहती हैं कि हम कहां से लायें। हम क्या कोई कमाई करती हैं। शौहर ही दें या न दें।

Scanned by CamScanner

हालांकि औरत और शौहर का मुआमला दुनिया के एतबार से कितना ही एक हो मगर अल्लाह तआला के हुक्म में वह जुदा जुदा हैं। जब औरत के पास ज़ेवर है और ज़कात के क़ाबिल ज़ेवर है तो औरत पर ज़कात ज़रूर वाजिब है। ख़्वाह कहीं से और किसी तरह अदा करें। अगरचे उसे अ करने के लिए ज़ेवर क्यों न बेचना पड़े कि ज़ेवर खुद माल है उसमें से ज़कात अदा की जाए या फिर शौहर से उस ज़रूरत के लिए रक़म की दरख़्वास्त की जाए।

हां शौहर से जो कुछ खर्च बच्चों के लिए मिलता है उसमें से ज़कात देने का हरगिज़ अख़्तियार नहीं। तुम्हारे ज़ाती खर्च को वह जो कुछ तुम्हें देते हैं उसमें से ज़कात दे सकती हो।

मसाइल ज़कात

मसला:– आदमी (मर्द ख़्वाह औरत) जिनकी औलाद में खुद है यानी मां बाप, दादा दादी, नाना नानी, या जो अपनी औलाद में हैं यानी बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, और शौहर व ज़ौजा, इन रिश्तों के सिवा अपने जो अज़ीज़ क़रीब हाजतमंद हों, मसरफ ज़कात हैं अपने माल की ज़कात उन्हें दे, जैसे भाई बहन, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, मामूं, खाला, चचा, फूफी, कि इन्हें देने में दूना सवाब है और नफ़्स पर बार भी कम होगा कि अपने सगे बहन भाई या भतीजें भांजे को दिया हुआ आदमी अपने ही काम में उठना जानता है।

फिर यह भी कुछ ज़रूरी नहीं कि उन्हें ज़कात जता कर ही दे बल्कि दिल में ज़कात की नीयत और उन्हें ईदी वग़ैरहा या शादियों की रसूम, ख़्वाह किसी बात का नाम कर के, उस रक़म का

Scanned by CamScanner

मालिक करदे ज़कात अदा हो जाएगी। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– बहू और दामाद और सौतेली मां या सौतेले बाप या ज़ौज की औलाद कि उसके बतन से नहीं को औरत ज़कात दे सकती है। यूंही शौहर अपनी ज़ौजा की औलाद को जो उसके नुतफ़े से नहीं ज़कात दे सकता है। (रददुलमुहतार)

मसला:– ज़कात की रकम के एवज़ मुहताजों को कपड़ा बना देना या उस रुपये के एवज़ बाज़ार के भाव से उस कीमत का ग़ल्ला मुहताज को दे कि बनीयते ज़कात मालिक बना देना जायज़ व काफी है। ज़कात अदा हो जाएगी मगर जिस कदर चीज़ मुहताज की मिल्क में गई बाज़ार के भाव से जो कीमत उसकी है वह मुजरा होगी। बालाई खर्च मसलन ग़ल्ला वग़ैरह इजनास की पल्ला बरदारी,या खाना पकाकर दिया तो पकवाई की उजरत, या कपड़ा सिलवा कर दिया तो उसकी सिलाई, यह उसमें शुमार न किए जायेंगे (फ़तावा रिज़विया) हां अगर ज़कात की रकम से खाना पकाकर फ़कीरों मिसकीनों को मसलन अपने घर बुलाकर बतरीके दावत खिला दिया तो हरगिज़ ज़कात न होगी कि इस सूरत में मालिक कर देना न पाया गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– शरीअते मुताहिरा ने सोने चांदी के निसाब पर कि हाजत असलिया (जिसकी तरफ़ ज़िंदगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है) जैसे रहने का मकान, जाड़े गरमियों में पहनने के कपड़े, खानादारी का सामान, सवारी के जानवर या मोटर वग़ैरह से फ़ारिग़ हो ख्वाह वह रुपया अशरफ़ी हो या गहना ज़ेवर या बरतन। ख्वाह उनका इस्तेमाल जायज़ हो या नाजायज़, जब उस निसाब पर चांदी के हिसाब से बारह महीने गुज़र जायेंगे यानी जिस दिन तारीख वक़्त पर आदमी

Scanned by CamScanner

साहबे निसाब हुआ जब तक निसाब रहे वही दिन वही तारीख वही वक़्त जब आएगा। उसी वक़्त कमरी साल का उस पर गुज़र जाना समझा जाए और ज़कात अदा करना फ़ौरन वाजिब होगा अब उसके अदा करने में जितनी देर लगाएगी गुनहगार होगी। (आमए कुतुब)

मसला:– साल भर तक खैरात करती रही अब ज़कात की नीयत की कि अबतक जो कुछ दिया है वह ज़कात है तो यह नीयत मोतबर नहीं लिहाज़ा ज़कात अदा न हुई। ज़कात देते वक़्त या ज़कात के माल अलहदा करते वक़्त नीयत ज़कात शर्त है।

मसला:– सोने का निसाब साढ़े सात तोला है और चांदी का निसाब साढ़े बावन तोला। (आमए कुतुब)

मसला:– ज़कात साल तमाम होने से पहले पेशगी अदा करे। तो उसके लिए बेहतर माहे रमज़ानुल मुबारक है जिस में नफ़िल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सत्तर फ़र्ज़ों के बराबर। लिहाज़ा अगर बनीयत ज़कात थोड़ी थोड़ी रक़म, उसके मसरफ़ में खर्च करती रही तो साल तमाम पर हिसाब करले उस वक़्त जो वाजिब निकले अगर पूरा दे चुकी फ़बिहा, और अगर कम गया है तो बाक़ी फ़ौरन अब देदे और ज़्यादा पहुंच गया तो उसे आइन्दा साल में मुजरा करले।(फ़तावा रिज़विया)

मसला:– सय्यद को ज़कात लेना भी हराम और उसे देना भी हराम। न सय्यद को ज़कात देने से ज़कात अदा हो कि ज़कात माल का मैल है और सादात किराम कि पाक सुथरे लतीफ़ और अहले बैते नबुव्वत से हैं। उनकी शान इससे आला है कि उन्हें ऐसी चीज़ें दी जाएं। मुसलमानों पर लाज़िम है कि हाजतमंद सादात की इआनत करें। कि यह चीज़ उनके लिए

दोनों जहां में सआदत की मूजिब है। (फ़तावा रिज़विया)

मसलाः- नाबालिग़ लड़कियों का जो ज़ेवर बनाय गया और अगर उन्हें अभी मालिक न किया गया बल्कि अपनी ही मिल्क पर रखा और उनके पहनने के सर्फ़ में आता है अगरचे नीयत यह कि हो कि ब्याह होने पर उनके जहेज़ में देदेंगे जब तो वह ज़ेवर मां बाप जिसने बनाया है उसी की मिल्क है। अगर तनहा या उसके और माल से मिल कर क़द्रे निसाब है तो उसी मालिक पर उसकी ज़कात है और अगर नाबालिग़ लड़कियों की मिल्क कर दिया गया तो उसकी ज़कात किसी पर नहीं। मां बाप पर तो यूं नहीं कि उनकी मिल्क नहीं और लड़कियों पर यूं नहीं कि वह नाबालिग़ा हैं जब जवान होंगी उस वक़्त से उन पर एहकाम ज़कात वग़ैरह के जारी होंगे। (फ़तावा रिज़विया)

मसलाः- वह ज़ेवर जो औरत की मिलकियत है। उसकी ज़कात हरगिज़ शौहर के ज़िम्मे नहीं अगरचे वह कसीर माल रखता हों न शौहर को उस ज़ेवर की ज़कात देने का उस शौहर पर कोई वबाल व गुनाह। हां मुनासिब तरीक़ा पर तंबीह व ताकीद करदे और उसे समझाये कि ज़कात न देना कितना बड़ा गुनाह है और वह ज़ेवर कि शौहर ने औरत को दे दिया और उसकी मिल्क कर दिया उस पर भी यही हुक्म है और अगर मिल्क न किया बल्कि अपनी ही मिल्क में रखा और औरत को सिर्फ़ पहनने बरतने को दिया जैसा कि बाज़ घरानों में रिवाज है तो बेशक उसकी ज़कात मर्द के ज़िम्मे है। जबकि खुद या दूसरे माल से मिल कर क़द्रे निसाब हो और हाजत असलिया से फ़ारिग़। (फ़तावा रिज़विया)

वह दैन (जैसे उर्फ़े आम में क़र्ज़ उधार से ताबीर करते हैं) जो

Scanned by CamScanner

किसी माल का बदल न हो जैसे औरत का महर कि हुकूके ज़ौजियत अदा करने का एवज़ है अगरचे कितना ही कसीर हो चूंकि आदतन उसका मुतालिबा नहीं किया जाता इस लिए औरत इसकी वजह से साहबे निसाब करार न दी जाएगी। न उस दैन महर की ज़कात उस पर वाजिब होगी। अगरचे दस बीस बरस गुज़र जायें। खुसूसन महर मुवख़्ख़र जो आम तौर पर यहां रायज है जिस की अदा की मीआद मुकर्रर नहीं होती। इसके मुतालबे का तो औरत को अख़्तियार ही नहीं जब तक मौत या तलाक वाकेअ न हो। हां हक्के महर वसूल कर लिया और बकद्रे निसाब पर साल पूरा हो गया तो अब ज़कात वाजिब हो गई। यूंही दैन महर के अलावा और कोई निसाब ज़कात उसी की जिंस से उसके पास मौजूद थी उस पर साल चल रहा था तो जो वसूल हुआ उसमें मिला लिया जाएगा और उसी माल के साले तमाम पर कुल ज़कात लाज़िम होगी। (रददुलमुहतार फ़तावा रिज़विया)

सदक़ए फ़ित्र का बयान:– हुजूर अक़दस सल्ल० का इर्शादे गिरामी है कि बन्दे का रोज़ा आसमान व ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहता है जब तक सदकाए फ़ित्र अदा न करे। (इब्ने असाकर)

मसला:– ईद के दिन सुबह सादिक होते ही सदक़ाए फ़ित्र, हर मुसलमान मालिके निसाब मर्द व औरत पर जिसकी निसाब, हाजते असलिया से फ़ारिग़ हो वाजिब होता है और मसनून यह है कि नमाज़े ईद से पहले अदा कर दिया जाए। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– आकिल बालिग़ होना सदकए फ़ित्र में शर्त है उनका वली उनके माल से अदा करे (रददुलमुहतार)

Scanned by CamScanner

मसला:– मर्द मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चे की तरफ से सदकाए फ़ित्र वाजिब है जबकि बच्चा खुद साहब निसाब न हो और मां पर खुद अपना सदक़ा वाजिब है जबकि मालिके निसाब हो। छोटे बच्चों की तरफ से सदक़ा देना मां पर वाजिब नहीं। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

रोज़े का बयान

रोज़ा शरीअत में उसे कहते हैं कि इंसान, सुबह सादिक़ से, गुरूबे आफ़ताब तक बनीयत इबादत, अपने आप को क़सदन खाने पीने और अमले ज़ौजियत से रोके रखे।

इस्लाम के जैसे और अहकाम बतदरीज (वक़्फ़ा वक़्फ़ा से) फ़र्ज़ किये गये उसी तरह रोज़ा की फ़र्ज़ियत भी बतदरीज आयद की गई। नबी करीम सल्ल० ने इब्तिदा में मुसलमानों को सिर्फ हर महीने तीन दिन के रोज़े रखने की हिदायत फ़रमाई थी। मगर यह रोज़े फ़र्ज़ न थे। फिर सन् २ हि० में रमज़ान के रोज़ों का हुक्म कुरआने करीम में नाज़िल हुआ। और साल में एक महीने के रोज़े रखना इस्लाम का चौथा रुक्न करार पाया मगर इसमें इतनी रियायत रखी गई कि जो लोग रोज़ा रखने की ताक़त रखने के बावजूद रोज़ा न रखना चाहें वह हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करें। बाद में दूसरा हुक्म नाज़िल हुआ और आम लोगों के लिए यह हिदायत मन्सूख कर दी गई और यह रिआयत सिर्फ उन लोगों के हक़ में बाक़ी रखी गई जो रोज़ा रखने को तो रख लें लेकिन भूख प्यास की बरदाश्त उन पर दुश्वार हो मुशक्कत बहुत उठानी पड़े। मसलन ज़्यादा बूढ़े मर्द या बूढ़ी औरतें या हामिला

और दूध पिलाने वाली औरतें।

इस्लामी रोज़े की ग़र्ज़ व ग़ायत कुरआन करीम ने यह बयान फ़रमाई है कि रोज़े खुदातरसी की ताकत इंसान के अन्दर मुस्तहकम कर देते हैं।

तकवा की मिसालों पर ग़ौर करो कि :-

गर्मी का मौसम है रोज़ादार को सख़्त प्यास लगी है। मकान तनहा है। कोई टोकने वाला, हाथ रोकने वाला नहीं। कोरी सुराही में साफ सुथरा निखरा हुआ ठंडा पानी उसके सामने मौजूद है मगर वह पानी नहीं पीता।

रोज़ेदार को सख़्त भूख लगी हुई है। भूख की वजह से जिस्म में ज़ोफ़ भी महसूस करता है। नफ़ीस खुश ज़ायका मुरग़्ग़न खाना मयस्सर है। कोई शख़्स उसे देख भी नहीं सकता। किसी को कानों कान खबर न होगी मगर वह खाना नहीं खाता।

प्यारी दिल पसंद बीवी घर में मौजूद है जहां न ख़्वेश है न बेगााना न अपना है न परायां मुहब्बत के जज़्बात उसे उभारते हैं। उलफ़्त ने दानों को एक दूसरे का शैदा बना रखा है लेकिन रोज़ेदार उससे पहलू तेही अख़्तियार करता है। वजह यह है कि खुदा के हुक्म की इज़्ज़त और अज़मत उसके दिल में इस कद्र जांगुज़ीं है कि कोई जज़्बा भी उस पर ग़ालिब नहीं आ सकता और रोज़ा ही उस अज़मत व जलाले इलाही के दिल में कायम होने का बाइस हुआ है। यह ज़ाहिर है कि जब एक ईमानदार आदमी खुदा के हुक्म की वजह से जायज़ हलाल पाकीज़ा ख़्वाहिशों को छोड़ देने की आदत कर लेता है तो वह बिलज़रूर खुदा के हुक्म की वजह से हराम नाजायज़ और गंदी आदतों और ख़्वाहिशों को छोड़ देगा

Scanned by CamScanner

और उनके इरतिकाब की कभी जुरअत न करेगा।

यही वह अख़्लाकी बरतरी है जिसका रोज़ेदार के अन्दर पैदा करना और उसे मुस्तहकम कर देना शरअ का मक्सूद है। इसी लिए ग़ीबत फुहश बद ज़बानी बद लगामी और बुरी बातों और तमाम गुनाहों से रोज़े में बचे रहने की सख़्त ताकीदें अहादीस में आई हैं। चुनांचे इर्शाद है कि जो रोज़ादार झूट कहना, लगू बकना और लंगू व फ़िज़ूल कामों को करना नहीं छोड़ता तो ख़ुदा को कुछ परवाह नहीं अगर वह खाना पीना छोड़ देता है।

एक और हदीस शरीफ़ में है कि "रोज़ा सपर है जबतक उसे फाड़ा न गया हो। अर्ज़ की गई, किस चीज़ से फाड़ेगा? इर्शाद फ़रमाया "झूट या ग़ीबत से"

अलग़र्ज़ गुनाह व मासियत किसी किस्म और किसी दर्जा की भी हो मुसलमान के लिए हर ज़माने और हर मौसम में हराम है लेकिन रमज़ान के माहे मुबारक में यही मुमानिअत और ज़्यादा मुवक्किदा व अशद हो जाती है। बद गोई, बद नज़री, बद ज़बानी हराम हमेशा ही हैं। रमज़ान में कहना चाहिये कि हराम तर हो जाती हैं और दिन तो ख़ैर इतनी बड़ी इबादत यानी हुक्मे इलाही के एहतराम में नफ़सानी लज़्ज़तों से दूरी में बसर होता ही है। रोज़ा दार की रात भी गोया इबादत में बसर होती है। तो पूरे महीने भर के, रात और दिन का एक एक घंटा यह समझना चाहिए कि इस्लाम के सिपाहियों की रूहानी परेड का ज़माना है। ग़फ़लत किसी लमहा न चाहिए।

फिर तिब्बे जदीद और तिब्बे कदीम सब का इस बात पर इत्तिफ़ाक है कि रोज़ा जिस्मानी बीमारियों के दूर करने का बेहतरीन इलाज और ज़िस्मे इंसानी की इस्लाह के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। रोज़ा

Scanned by CamScanner

आहिस्ता आहिस्ता भूख और प्यास की आंच से तमाम अन्दरूनी और बैरूनी बदन के फ़ुज़लात को जो बदन में बेकार पड़े रहते और सेहते इंसानी को बरबाद करते रहते हैं जला कर नेस्तो नाबूद कर देता है तो बदनी सेहत व तन्दुरुस्ती जैसी रोज़े की बदौलत हासिल होती है किसी और ज़रिए से मयस्सर नहीं आ सकती।(माखूज़)

ऐ हमारे रब हमें दीने हक़ पर इस्तेक़ामत अता फ़रमा। आमीन

चन्द मसाइल

मसला:– नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कहना शर्त नहीं। मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है रात में नीयत करे तो यूं कहे कि मैंने नीयत की कि अल्लाह तआला के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूंगी और दिन में यानी दोपहर से पहले पहले नीयत करे तो यह कहे कि "मैंने नीयत की कि अल्लाह तआला के आज रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूंगी।"

मसला:– रमज़ानुलमुबारक के रोज़े क़ज़ा हो गए। अब रखना चाहती है तो अब ऐन सुबह सादिक़ के वक़्त या रात में नीयत करना ज़रूरी हैं अगर दिन में नीयत करेगी तो यह रोज़ा नफ़ली होगा। फिर भी उसका पूरा करना ज़रूरी है। तोड़ देगी तो क़ज़ा लाज़िम आएगी। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

रोज़े में तेल या सुर्मा लगाया तो रोज़ा न गया अगरचे तेल या सुर्मा का मज़ा हलक़ में महसूस होता हो। बल्कि थूक में सुर्मा का रंग भी देखाई देता हो। जव भी नहीं टूटा। (रददुलमुहतार)

मसला:– जनाबत (यानी नापाकी) की हालत में सुबह की बल्कि अगरचे सारे दिन नापाक रही। रोज़ा न गया मगर इतनी देर तक

कस्दन गुस्ल न करना कि नमाज़ कज़ा हो जाए गुनाह व हराम है। हदीस में फरमाया "जुनब जिस घर में होता है उस में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते।" (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

बच्चा जैसे ही आठवें साल में कदम रखे उसके वली पर लाज़िम है कि उसे नमाज़ रोज़ा का हुक्म दे और जब उसे ग्यारहवां साल शुरू हो तो वली पर वाजिब है कि रोज़ा नमाज़ पर मारे ताकि वह आदी हों हां अगर रोज़ा से उसे नुकसान पहुंचता हो तो और बात है। (दुर्रे मुख़्तार फतावा रिज़विया)

मसला:– औरत का हैज़ व निफ़ास से ख़ाली होना रोज़े के लिए शर्त है। (आमए कुतुब)

मसला:– हैज़ व निफ़ास वाली औरत पाक हो गई तो जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोज़े के मिस्ल गुज़ारना वाजिब है और कज़ा उसकी फर्ज़। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– हैज़ व निफ़ास वाली औरत सुबह सादिक के बाद पाक हो गई। अगरचे जुहवए कुबरा (दोपहर से) से पहले पहले और रोज़ा की नीयत करली तो यह रोज़ा न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– औरत को मर्द ने जिमाअ पर मजबूर किया। फिर असनाए जिमाअ में अपनी ख़ुशी से मशगूल रही तो कुफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं कि रोज़ा तो पहले ही टूट चुका है। (जौहरा)

मसला:– औरत को मुअय्यन तारीख़ पर हैज़ आता था और आज हैज़ आने का दिन था उसने यह गुमान करके कि आज हैज़ आएगा कस्दन रोज़ा तोड़ दिया और हैज़ न आया तो कुफ़्फ़ारा साकित हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

Scanned by CamScanner

रोज़े की क़ज़ा

मसला:- औरत रोज़ेदार सो रही थी। सोते में उससे वती की गई तो इस सूरत में उस पर सिर्फ़ कज़ा लाज़िम है। कुफ़्फ़ारा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- यह गुमान था कि सुबह नहीं हुई और खाया पिया बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो सिर्फ़ कज़ा लाज़िम है यानी रोज़े के बदल एक रोज़ा रखना पड़ेगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- रोज़े की हालत में (रमज़ान ख्वाह ग़ैर रमज़ान) किसी ज़रूरत के तहत कोई दवा, खुश्क या तर, रोटी या कपड़ा ख्वाह कोई चीज़, औरत ने पेशाब के मकाम में इस तरह रखी कि शर्मगाह के अन्दरूनी हिस्से (फुरूजे दाखिल) के अन्दर बिल्कुल ग़ायब कर दी तो रोज़ा जाता रहा। और मसलन दवा किसी कपड़े में बांधकर शर्मगाह के बैरूनी परदे (फुरूज खारिज) में ग़ायब हो जाए तो रोज़ा न जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

खुश्क दवा कपड़े में बांध कर शर्मगाह में रखी कि वह कपड़े से छन कर अन्दरूनी हिस्से में गिरे। या दवा ऐसी तर हो कि कपड़े में से टपक कर फुरुज दाखिल में लगे। या हरकत के सबब कपड़ा चढ़ जाए कि बिल्कुल फुरुज दाखिल के अन्दर ग़ायब हो जाए तो इन सूरतों में रोज़ा जाता रहेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला.- आंसू मुंह में चला गया और निगल गई अगर कतरा दो कतरा हैं तो रोज़ा न गया। और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा जाता। पसीने का भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

Scanned by CamScanner

नथनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया। रोज़ा जाता रहा और पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा बाकी है। (आलमगीरी)

मसला:- डोरा बटा, उसे तर करने के लिए मुंह पर गुज़ारा। फिर दोबारा, सेह बारा यूंही किया रोज़ा न जाएगा। मगर जबकि डोरे से कुछ रतूबत जुदा हो कर मुंह में रही और थूक निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। यूंही मुंह में रंगीन डोरा रखा जिस से थूक रंगीन हो गया। फिर थूक निगल गई तो रोज़ा जाता रहा। (जौहरा आलमगीरी)

मसला:- कुल्ली कर रही थी बिला क़स्द पानी हलक़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ को चढ़ गया। रोज़ा जाता रहा। हां अगर वह अपना रोज़ादार होना भूल गयी तो न टूटेगा। अगरचे क़स्दन हो। (आलमगीरी)

मसला:- रोज़ा में दांत उखड़वाया और खून निकल कर हलक से नीचे उतरा अगरचे सोते में ऐसा हुआ तो रोज़ा जाता रहा। उसकी क़ज़ा लाज़िम है। (रददुलमुहतार)

मसला:- अगरबत्ती वग़ैरह की खुश्बू सुलगती थी उसने मुंह क़रीब करके धुवें को नाक से खींचा या खुद क़स्दन हलक तक धुवां पहुंचाया ख्वाह वह किसी चीज़ का धुवां हो और किसी तरह पहुंचाया हो रोज़ा जाता रहा। (रददुलमुहतार)

मसला:- खुश्क उंगली औरत ने शर्मगाह में रखी तो रोज़ा न गया। हां अगर उंगली शर्मगाह की अन्दरूनी रतूबत से ऐसी तर हो गई कि अब उससे छूट कर दूसरी चीज़ में लगे उसके बाद उंगली बाहर करके ऐसी ही तरी की हालत में फिर अंदर की कि तरी छूट कर शर्मगाह के अंदुरूनी हिस्से में लगी तो रोज़ा जाता रहा। यूंही

Scanned by CamScanner

अगर उंगली पानी या रोग़न या दूध या घी या लुआबे देहन में ऐसी तर थी कि उस की तरी छूट कर फुरुज दाखिल में लगे और औरत ने अपनी शर्म गाह में किसी बिना पर दाखिल न की तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। (रददुलमुहतार) यूंही अगर औरत ने अपनी शर्मगाह में पानी या तेल टपकाया तो रोज़ा जाता रहा। (आलमगीरी)

मसला:- कान से मैल निकाला और मैल लगी हुई सलाई दूसरी या तीसरी मर्तबा कान में की तो रोज़ा न जाएगा। कि कान कुरेदने में सलाई दिमाग तक नहीं जाती। (मराकीउलफ़लाह)

मसला:- मुबालिग़ा के साथ इस्तिंजा किया यहां तक कि हुकना रखने की जगह तक पानी पहुंच गया तो रोज़ा जाता रहा। और इतना मुबालिग़ा चाहिए भी नहीं कि उससे सख्त बीमारी का अंदेशा है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- पान खाकर सो गई और सुबह उठ कर रोज़ा की नीयत की तो अगर पान खा लिया था। मुंह में सिर्फ चंद दाने छालियों के, दांतों में इलगे रह गए तो रोज़ा सही हो जाएगा और अगर सुबह के बाद भी मुंह में उगाल मौजूद था कि उसके अरक़ का लुआब के साथ मुंह में जाने का ग़ालिब गुमान है तो अब रोज़ा न होगा। (फ़तावा रिज़विया)

सहरी में ज़्यादा खा लिया कि अब दिन में खट्टी डकारें आ रही हैं तो उससे रोज़ा नहीं जाता। (फ़तावा रिज़विया)

वह हालतें जिन में रोज़ा नहीं जाता

मसला:- बात करने में थूक से होंट तर हो गए और उसे पी गई या मुंह से राल टपकी मगर तार टूटा न था कि उसे चढ़ाकर

पी गई। या नाक में रेंठ आगई बल्कि नाक से बाहर हो गई, मगर अलग न हुई थी कि उसे चढ़ा कर पी गई, या खंकार मुंह में आई और खा गई, अगरचे कितनी ही हो रोज़ा न जाएगा। लेकिन यह चूंकि नफ़रत लाने वाली चीज़ें हैं और उनसे दूसरों को भी घिन आती है। इसलिए उनसे एहतियात चाहिए। (आलमगीरी)

मसला:- भूले से खाना खा रही थी याद आते ही फ़ौरन लुकमा फेंक दिया या सुबह सादिक से पहले खा रही थी और सुबह होते ही उगल दिया तो रोज़ा न गया और निगल लिया तो दोनों सूरतों जाता रहा। (आलमगीरी) और इन दोनों सूरतों में उस पर कुफ़्फ़ारा वाजिब।

मसला:- मक्खी हलक़ में चली गयी रोज़ा न गया और क़सदन निगली तो जाता रहा। (आलमगीरी)

मसला:- तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा न गया मगर जबकि उसका मज़ा हलक में महसूस हो तो रोज़ा जाता रहा। (फ़तहुलक़दीर)

मसला:- क़स्दन मुंह भर कै की और रोज़ा दार होना याद है तो रोज़ा जाता रहा ख्वाह उसमें कुछ मुंह ही से हलक में वापस चली जाए या न जाए और मुंह भर से कम की तो रोज़ा न गया। (दुर्रे मुख्तार)

बिला अख्तियार कै हो गई और मुंह भर है और उसने लौटा ली अगरचे उसमें से सिर्फ चने के बराबर हलक से उतरी तो रोज़ा जाता रहा वरना नहीं और मुंह भर न हो तो रोज़ा न गया अगरचे हलक में लौट गई या उसने खुद लौटाई (रददुलमुहतार)

मसला:- कै ख्वाह क़स्दन हो या बिला अख्तियार, उसमें बलग़म

Scanned by CamScanner

आया तो रोज़ा न टूटा अगरचे मुंह भर हो। (आलमगीरी)

मसला:- रोज़ादार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है चखने के लिए उज़्र यह है कि मसलन औरत का शौहर बद मिज़ाज है। हांडी में नमक कमो बेश होगा तो उसकी नाराज़गी का बाइस होगा तो चखने में हर्ज नहीं। चबाने के लिए यह उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नर्म ग़िज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाए। न हैज़ व निफ़ास वाली कोई औरत है न कोई और रोज़ेदार ऐसा है जो उसे चबा कर देदे तो बच्चे के खिलाने के लिए रोटी वग़ैरह चबाना मकरूह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- कोई चीज़ खरीदी और उसका चखना ज़रूरी है कि न चखेगी तो नुकसान होगा तो चखने में हर्ज नहीं वरना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार) चखने से मुराद यह है कि ज़बान पर रख कर मज़ा दरयाफ़्त करलें और उसे थूक दे। इसमें कुछ हलक में न जाने पाए।

मसला:- सहरी खाना और उसमें ताखीर करना मुस्तहब है और बाइसे सवाब मगर इतनी देर लगाना कि सुबह होने का शक हो जाए मकरूह है (आलमगीरी)

मसला:- इफ़्तार में जल्दी करना मुस्तहब है। मगर इफ़्तार उस वक़्त करे कि गुरूब का ग़ालिब गुमान हो जब तक गुमान ग़ालिब न हो इफ़्तार न करे अगर मुवज़्ज़िन ने अज़ान कह दी हो या किसी और तरीके पर इफ़्तार का एलान कर दिया जाए और बादल छाए हों तो इफ़्तार में जल्दी न करनी चाहिए। (रददुलमुहतार)

मसला:- ताज़ा खजूर कि खुश्क न हुई और यह न हो तो खुश्क

Scanned by CamScanner

छुवारे वरना पानी से रोज़ा इफ़्तार करना मसनून है। (आमए कुतुब)

रोज़ा न रखने की इजाज़त

मसला:– शरीअत मुताहहिरा ने बाज़ सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त अता फ़रमाई है तो अगर उन सूरतों में रोज़ा न रखा तो कोई गुनाह की बात नहीं मसलन–

१. हमल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या बच्चा का सही अंदेशा है तो इजाज़त है कि उस वक्त रोज़ा न रखे। ख़्वाह दूध पिलाने वाली बच्चा की मां हो या दाई। (रददुलमुहतार)

२. बीमार को बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने या खादिमा को नाकाबिले बर्दाश्त कमज़ोरी का ग़ालिब गुमान हो तो इन सब को इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा न रखें। बाद में रख लें। (जौहरा दुर्रे मुख्तार)

मसला:– जो सूरतें ऊपर मज़कूर हुई उनमें ग़ालिब गुमान का एतबार है। महज़ वहम व ख्याल काफी नहीं, और ग़ालिब गुमान की तीन सूरतें हैं। [१] उसकी ज़ाहिरी निशानी पाई जाती है, या [२] उसका ज़ाती तजुर्बा है, या [३] किसी मुसलमान माहिर तबीब ने जिसकी राय अवाम व ख्वास में वज़नी समझी जाती है उसकी खबर दी हो। और अगर न कोई अलामत हो न तजुर्बा, न इस किस्म के तबीब ने उसे बताया बल्कि किसी काफिर या नाकाबिले एतमाद तबीब ख्वाह डाक्टर के कहने से रोज़ा छोड़ दिया तो ख्वाह मख्वाह गुना ह कमाया और रोज़ा रख कर उनकी बातों में आकर तोड़ दिया तो क कफ्फ़ारा भी लाज़िम आएगा। आजकल अक्सर तबीबों और डाक्टरों का आलम यह है कि ज़रा ज़रा सी बात पर रोज़े से मना क़र देते हैं। हालांकि

Scanned by CamScanner

उन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं होती कि रोज़ा किस बीमारी में नुक़सान देता है और कहां मुफ़ीद होता है ऐसों की ऐसी बातें हरगिज़ क़ाबिले एतबार नहीं उनके दाम में न आयें (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

३. औरत को जब हैज़ व निफ़ास आ गया तो रोज़ा जाता रहा।

मसला:- औरत हैज़ से पूरे दस दिन रात में फ़ारिग हुई तो बहर हाल कल का रोज़ा रखे और कम में पाक हुई तो अगर सुबह होने को इतना अर्सा है कि नहा कर ख़फ़ीफ़ सा वक़्त बचेगा तो भी रोज़ा रखे अगरचे गुस्ल न किया हो और अगर नहा कर फ़ारिग़ होने के वक़्त सुबह चमकी तो रोज़ा नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- हैज़ व निफ़ास वाली औरत को अख़्तियार है कि छुप कर खाए या ज़ाहिरन रोज़ादार की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं (जौहरा) मगर छुप कर खाना बेहतर है। खुसूसन हैज़ वाली के लिए। (बहारे शरीअत)

४. भूख और प्यास ऐसी हो कि हलाक का खौफ़ सही, या नुक़साने अक़्ल का अंदेशा हो तो रोज़ा न रखे। (आलमगीरी)

५. रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया गया तो उसे अख़्तियार है और सब्र किया तो उसे अज्र मिलेगा। (रद्दुलमुहतार)

जिन लोगों ने इन उज़्रों के सबब रोज़ा तोड़ा उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें। और हुक्म यह है कि उज़्र जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख लें। हदीस में फ़रमाया जिस पर रमज़ान की क़ज़ा बाक़ी है और वह न रखे तो उसके उस रमज़ान के रोज़े क़बूल न होंगे और अगर रोज़े न रखे और दूसरा रमज़ान आ गया तो अब पहले उस रमज़ान के रोज़े रख ले। क़ज़ा रोज़े फिर बाद में रख लें। (दुर्रे मुख़्तार)

६. ऐसा बूढ़ा आदमी जिस की उम्र ऐसी हो गई कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जाएगा। जब वह रोज़ा रखने से आजिज़ हो यानी न अब रख सकता है न आइंदा उसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा तो उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले में सदकाए फित्र की मिकदार किसी मिस्कीन को देदे (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह) बल्कि यही बेहतर है कि बाज़ औकात खाना खिलाना दुशवार हो जाता है।

मसला:– अगर ऐसा बूढ़ा आदमी, मर्द ख्वाह औरत, गर्मियों में, बवजह गरमी के रोज़े नहीं रख सकता मगर जाड़ों में रख सकेगा तो अब रोज़े छोड़ दे और उनके बदले के रोज़े जाड़ों में रखना उस पर फ़र्ज़ है। (रददुलमुहतार)

मसला:– अगर फ़िदया देने के बाद इतनी ताकत आ गई कि रोज़े रख सकता है तो वह फ़िदया जो पहले दे चुका है सदकाए नफ़्लि हो कर रह गया लिहाज़ा अब रोज़ों की कज़ा रखे।(आलमगीरी)

मसला:– रोज़ा रखने की ताकत न होना एक तो वाकई होता है और एक कम हिम्मती से होता है। कम हिम्मती का कुछ एतबार नहीं। अक्सर औकात शैतान दिल में डालता है कि हम से यह काम हरगिज़ न हो सकेगा। और करेंगे तो मर जाएंगे बीमार पड़ जायेंगे। फिर जब खुदा पर भरोसा करके किया जाता है तो अल्लाह तआला अदा कर देता है कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। ७५ बरस की उम्र में बहुत लोग रोज़े रखते हैं हां ऐसे कमज़ोर भी हो सकते हैं कि सत्तर ही बरस की उम्र में न रख सकें तो शैतान के वसवसों से बच कर खूब सही तौर पर जांच कर लेनी चाहिए कि शरीअत में यहां कम हिम्मती का कोई एतबार है न शैतानी वसवसों का कहीं कोई लिहाज़।

Scanned by CamScanner

एक और बात यह है कि उन बूढ़ों में बाज़ ऐसे होते हैं कि लगातार महीने भर के रोज़े नहीं रख सकते मगर एक दो दिन बीच के नाग़ा करके, रख सकते हैं तो जितने रख सकें उतने रखना उन पर फ़र्ज़ है जितने क़ज़ा हो जायें। जाड़ों में रख लें (फ़तावा रिज़विया) यह बातें अच्छी तरह ज़ेहन नशीन करलें।

रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा

मसला:– रोज़ा तोड़ने का कुफ़्फ़ारा यह है कि आदमी पै दर पै लगातार साठ रोज़े रखे। यह भी न कर सके कि बीमार है और अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं या बहुत बूढ़ी है तो मसाकीन को पेट भर दोनों वक़्त खाना खिलाए और यह अख़्तियार है कि एक दम से साठ मिसकीनों को खिलादे या मुतफ़र्रिक़ तौर पर। और अगर एक वक्त साठ को खिलाया या दूसरे वक़्त उनके सिवा दूसरे साठ को खिलाया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ बल्कि ज़रूरी है कि पहलों या पिछलों को फिर एक वक्त खिलाए। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:– यह भी हो सकता है कि हर मिसकीन को बकद्रे सदक़ाए फ़ित्र यानी करीबन सवा दो सेर गेहूं या उनकी कीमत का मालिक कर दिया जाए। और यह भी हो सकता है कि सुबह को खिला दे और शाम के लिए कीमत देदे या शाम को खिलादे। या दो दिन तीस को देदे गर्ज़ यह कि साठ की तादाद जिस तरह चाहे पूरी करदे उसका अख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार– रद्दुलमुहतार)

नफ़ली रोज़े

रोज़े वग़ैरह आमाले सालिहा के लिए रमज़ानुल मुबारक के बाद

Scanned by CamScanner

सब दिनों से अफ़ज़ल ज़िलहिज्जह का पहला अशरा (पहली ज़िलहिज्जह से दस ज़िलहिज्जह तक) है रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं "इन दस दिनों से ज़्यादा किसी दिन का अमले सालिह (नेक काम) अल्लाह अज़्ज़ोजल को महबूब नहीं" इनके हर दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के और हर शब का कियाम (नवाफ़िल) शबे कद्र के बराबर है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

१. खुसूसन अरफा यानी नवीं ज़िलहिज्जह का रोज़ा कि साल में सब से अफ़ज़ल दिन है उसका रोज़ा सही हदीस की रू से हज़ारों रोज़ों के बराबर है और दो साल कामिल के गुनाहों की माफी। एक साले गुज़िश्ता, दूसरा साले आइंदा। (मुस्लिम शरीफ़)

२. फिर सब दिनों से अफ़ज़ल रोज़ा आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम का रोज़ा है। उस में एक साल गुज़िश्ता के गुनाहों की मग़फ़िरत है। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब मदीना में तशरीफ़ लाए यहूदियों को आशूरा के दिन रोज़ादार पाया। इर्शाद फ़रमाया "यह क्या दिन है कि तुम रोज़ा रखते हो" अर्ज़ किया कि यह अज़मत वाला दिन है कि इसमें मूसा अलै० और उनकी कौम को अल्लाह तआला ने नजात दी और फिरऔन और उसकी कौम को डुबो दिया। लिहाज़ा मूसा अलै० ने बतौर शुक्र उस दिन का रोज़ा रखा तो हम भी रोज़ा रखते हैं। इर्शाद फ़रमाया, मूसा अलै० की मुवाफ़िकत करने में बनिस्बत तुम्हारे हम ज़्यादा हक़दार और ज़्यादा करीब हैं, तो हुज़ूर सल्ल० ने खुद भी रोज़ा रखा और इसका हुक्म फ़रमाया। (बुख़ारी मुस्लिम)

Scanned by CamScanner

नफ़ीस फ़ायदा

इस हदीस शरीफ से यह मालूम हुआ कि जिस रोज़ अल्लाह अज़्ज़ोजल्ल कोई खास नेमत अता फरमाए उसकी यादगार कायम करना दुरुस्त व महबूब बल्कि शरअन मतलूब है कि उससे वह नेमते खासा याद आएगी और उस पर ज़बान से बेसाख्ता शुक्रे खुदा अदा होगा तो गोया यह यादगारे शुक्र अदा करने का भी ज़रिया हुआ। खुद कुरआने अज़ीम में इशदि बारी तआला है وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ खुदा (के इनाम) के दिनों को याद करो। दूसरी जगह फरमाया وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला दो।

यानी वह दिन जिन में बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुख्तलिफ कौमों को अता होती रहें। मसलन हुकूमत व इक्तेदार और दुश्मनों से गुलू खलासी आफतों से नजात या जो बड़ी बड़ी मुसीबतें मुख्तलिफ कौमों को कुदरत की तरफ से पेश आती रहीं मसलन वबा व कहत उनकी महकूमी व गुलामी या तबाही व बरबादी। ग़र्ज़ यह कि अय्याम अल्लाह के तहत ही किस्म के अहम तारीखी वाकियात आ जाते हैं।

और शक नहीं कि हम मुसलमानों के लिए हुजूर सल्ल० की विलादत बा सआदत से बेहतर कौन सा दिन होगा ज़िस की यादगार कायम करें कि दुनिया व आखिरत में ज़ाहिरी व बातिनी जिस्मानी व रूहानी तमाम नेमतें तमाम राहतें उन्हीं के तुफैल,उन्हीं के सदके में हैं। मीलाद पाक की महफिलें बरपा करने का एक अज़ीम व अहम मक्सद यह भी है। वहाबिया उसमें रुकावटें डाल कर हम मुसलमानों को गुमराह करने की तदबीरें करते हैं। अल्लाह पनाह में रखे।

मसला:- बेहतर यह है कि आशूरा के दिन रोज़े रखें तो उसके साथ नवीं का भी रखें हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "आशूरा का रोज़ा रखो और यहूदियों की मुखालिफ्त करो" (यूं कि) एक दिन पहले रोज़ा रखो और एक दिन बाद। (मिरकात)

रोज़े आशूरा के फज़ायल बहुत कुछ अहादीसे करीमा में आए। चुनांचे उलमाए किराम और सूफियाए किराम ने तहरीर फ़रमाया कि आशूरा का दिन वह दिन है जिस में अल्लाह तआला ने अम्बियाए किराम अलै० की एक जमाअत को इज़्ज़त व करामत से नवाज़ा यही वह दिन है जिस में अल्लाह तआला ने :-

१. हज़रत आदम अलै० को तमाम मखलूकात पर बरगज़ीदा किया।

२. हज़रत इदरीस अलै० को आसमान पर उठाया।

३. सय्यदना नूह अलै० की कश्ती को कोह जूदी पर ठहराया।

४. सय्यदना इबराहीम अलै० को अपना खलील बनाया उन पर नार नमरूद को गुलज़ार किया।

५. सय्यदना दाऊद अलै० की लग़ज़िश को माफ किया।

६. सय्यदना अय्यूब अलै० से बला को दफ़ा फ़रमाया।

७. सय्यदना यूनुस अलै० बतने हूत (मछली के पेट) से निकाला।

८. सय्यदना याकूब और यूसुफ अलै० को बाहम मिलाया।

९. सय्यदना ईसा अलै० को पैदा फ़रमाया और फिर आसमान पर उठाया।

१०. आदम व हव्वा अलै० को पैदा किया।

११. हज़रत मूसा अलै० और बनी इसराईल को फ़िरऔन के जुल्म से बचाया।

गर्ज़ आशूरा का दिन, बारगाहे इलाही में मकबूल दिनों में एक

दिन है और आमाले सालिहा व सदका व खैरात की कबूलियत का रोज़। इसी लिए हज़रात सूफ़ियाए किराम का इशदि गिरामी है कि:-

१. जो आज के रोज़ किसी फ़क़ीर पर सदक़ा करे गोया उसने तमाम फुकरा पर सदक़ा किया।

२. जो आज किसी भूले भटके राह रो को सीधे रास्ते पर डाल दे रब अज़्ज़ोजल्ल उसके दिल को नूरे ईमान से मामूर फ़रमाएं

३. जो आज गुस्से को ज़ब्त करे अल्लाह तआला उसे उनमें लिख दे जो राज़ी बरिज़ा हैं।

४. जो आज किसी मिस्कीन की इज़्ज़त बढ़ाए वह मालिक व मौला कब्र में उसे करामत बख्शे। यही वह दिन है जिस के मुताल्लिक नबी रहमत सल्ल० ने इर्शाद फरमाया।

१. जो शख्स आज अपने अहलो अयाल पर कुशादा दिली से खर्च करे। अल्लाह तआला उसे तमाम साल के लिए फ़राखी नसीब फ़रमाए। (बैहेकी) हज़रत सुफ़ियान बिन उऐना रज़ि० फ़रमाते हैं हम ने पचास साल इसका तजुर्बा किया और हर साल फ़राखी पाई।

२. जो शख्स आज के दिन गुस्ल करे मर्ज़ुलमौत के अलावा इस साल किसी और मर्ज़ में मुबतिला न हो और जो आज (ब हुस्ने नीयत) सुर्मा लगाए उसकी आंख रौशन रहे।

३. जो आशूरा की शब कियाम व ज़िक्र में और उसका दिन रोज़े में गुज़ारे जब मरेगा तो उसे अपनी मौत का पता भी न चलेगा। (यानी निज़अ की सख्ती से महफूज़ रहेगा।)

४. जो शख्स आशूरा के रोज़ (महज़ रिज़ाए इलाही के हुसूल की नीयत से) रोज़ा रखे गोया उसने तमाम साल रोज़े रखे।

५. जो मुसलमान आज के रोज़ सदका करे तो उसे एक साल

Scanned by CamScanner

के सदक़े के बराबर सवाब मिले।

६. जो शख़्स आज किसी यतीम के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरे (और उसकी दिल जूई करे उसकी हाजत बर लाए) अल्लाह तआला हर बाल के एवज़ जन्नत में उसका दर्जा बुलंद फ़रमाए।

७. जो आज के दिन सिलाए रहमी करे वह हज़रत याहया और हज़रत ईसा अलै० के साथ जन्नत में होगा। (और उनकी खिदमत का शर्फ पाएगा) (नुज़हतुल मजालिस वग़ैरह) अलगरज़ आशूरा का दिन वह मुबारक व बाबरकत दिन है जिसके फ़ज़ायल से किताबें माला माल हैं। मुबारक हैं वह बंदे जो इस माहे मुहर्रम का जिसे हदीस शरीफ में अल्लाह का महीना फरमाया एहतराम बजा लाएं और अपने ज़ाहिर व बातिन से खुदा व रसूल की तरफ मुतवज्जाह हों आमाले सालिहा में बेश अज़ बेश मशगूल रहें।

अज़ीज़ों ! उम्र का क्या एतबार और किसे मालूम कि उसे कब इस दुनिया से कूच करना है दुनिया में आदमी आता है तो अपने मुकद्दर का अपने साथ लाता है लेकिन जब जाता है तो आमाल के अलावा और कोई उसका साथी नहीं होता। आमाले नेक का तोशा साथ तो क़ब्र भी रौशन और हश्र में भी मुंह उजाला और बोल बाला।

यह है आशूरा के दिन रोज़ा रखने की असल जिस पर तमाम मुसलमानों का अमल आज तक है। अब कहीं कहीं यह आवाज़ें सुनाई देती हैं कि आशूरा के रोज़ यज़ीद की मां ने रोज़ा रखा था इस लिए आज रोज़ा न रखा जाए। यह और इस किस्म की सारी बातें मुहमल और बे असल हैं जो राफज़ियों ने मुसलमानों पर फैलायीं। मुसलमान बीबीयां हरगिज़ ऐसी बे सरोपा बातों पर ध्यान न दें कि उससे नेकियां बरबाद होती हैं। और गुनाह लाज़िम आता है।

Scanned by CamScanner

३. पंद्रहवीं शाबान का रोज़ा

३. रमज़ानुलमुबारक के बाद सब से अफ़ज़ल शाबान के रोज़े हैं हज़रत आयशा सिद्दिका रज़ि० फ़रमाती हैं कि हुजूर सल्ल० को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते मैंने नहीं देखा। खुसूसन पंद्रहवीं शाबान का रोज़ा। नबी करीम सल्ल० फ़रमाते हैं जब शाबान की पंद्रहवीं रात आजाए तो उस रात को कियाम करो (नवाफ़िल में मशगूल रहो) और दिन में रोज़ा रखो कि रब तआला गुरूब आफ़ताब से आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रमाता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूं, है कोई आफ़त रसीदा कि उसे आफ़ियत दूं, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, और यह उस वक़्त तक फ़रमाता है कि फ़ज्र तुलूअ हो जाए।

४ शश ईद के रोज़े

४. शव्वाल में छः दिन के रोज़े जिन्हें लोग शश ईद के रोज़े कहते हैं। इन रोज़ों के मुताल्लिक रसूल सल्ल० इर्शाद फ़रमाते हैं कि जिस ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इनके बाद छः दिन शव्वाल में रखे तो ऐसा है जैसे उसने दहर का रोज़ा रखा (मुतवातिर साल भर तक रोज़ादार रहा)

एक और हदीस शरीफ में है कि जिसने ईदुलफ़ित्र के बाद छः रोज़े रख लिए गोया उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। (और यह इस लिए कि) जो शख्स एक नेकी लाएगा उसे दस मिलेंगी तो माहे रमज़ान का रोज़ा दस महीने के बराबर है और उन छः दिनों के बदले में

Scanned by CamScanner

(६० दिन यानी) दो महीने। तो पूरे साल के रोजे रखे फिर उसके बाद छः दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ।

शश ईद के रोज़ों का एक फ़ायदा तो यही है कि साल भर के रोज़ों का सवाब आदमी को ज़रा सी मुशक्कत से हाथ आता है और एक फ़ायदा यह भी है कि रमज़ानुलमुबारक के महीने में जो रोज़े उनमें जो कोताहियां हो गयीं और खलल व नुकसान आया इन्शाअल्लाह तआला वह नुकसान इन रोज़ों से पूरा कर दिया जाएगा।

मसला:- यह रोज़े ईद के बाद लगातार रखे जाएं तब भी मुज़ायका नहीं और बेहतर यह है कि मुतफर्रिक रखे जायें यानी हर हफ़्ते में दो रोज़े और ईदुलफित्र के दूसरे रोज़ एक रोज़ा रख ले और पूरे माह में रखे तो और मुनासिब मालूम होता है।

५. २७ रजब का रोज़ा कि बाज़ हदीसों में इसकी बड़ी फज़ीलत आई। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० से मरवी है कि रजब में एक दिन और रात है जो उस दिन का रोज़ा रखे और वह रात नवाफ़िल में गुज़ारे। सौ बरस के रोज़ों ओर सौ बरस की शब बेदारी के बराबर हो और वह २७ रजब है। (बैहेकी)

एक और हदीस में है कि जो रजब की सत्ताइसवीं का रोज़ा रखे। अल्लाह तआला उसके लिए साठ महीने के रोज़ों का सवाब लिखे।" (मासबत बिस्सुन्न:)

६. हर महीने में तीन रोज़े खुसूसन अय्यामे बैज़ (रौशन दिनों) यानी १३/१४/१५/ रसूलुल्लाह सल्ल० फरमाते हैं जिस से हो सके हर महीने में तीन रोज़े रखे कि हर रोज़ा दस गुनाह मिटाता है और गुनाह से ऐसा पाक कर देता है जैसा पानी कपड़े को" दूसरी हदीस

Scanned by CamScanner

शरीफ़ में है कि जब महीने में तीन रोज़े रखने हों तो तेरह, चौदह, पन्द्रह को रखो, और एक मौका पर इर्शाद फ़रमाया कि रमज़ान के रोज़े और हर महीने के तीन रोज़े सीना की खराबी को दूर करते हैं। (अहमद इमाम व तबरानी)

७. पीर और जुमेरात के रोज़े

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं। पीर और जुमेरात को आमाल पेश होते हैं तो मैं पसंद करता हूं कि मेरा अमल उस वक़्त पेश हो कि मैं रोज़ा दार हूं (तिर्मिज़ी) और इब्ने माजा में रिवायत है कि हुज़ूर पीर और जुमेरात को ख्याल करके रोज़े रखा करते थे। इसके बारे में अर्ज़ किया गया तो फ़रमाया " इन दोनों दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमा देता है मगर वह दो शख़्स जिन्होंने बाहम जुदाई कर ली है उनकी निस्बत फ़रिश्तों से फ़रमाता है उन्हें छोड़ो यहां तक कि सुलह करलें और सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्ल० से पीर के दिन रोज़ा का सबब दरयाफ़्त किया गया। फ़रमाया इसी में मेरी विलादत हुई और इसी में मुझ पर वही नाज़िल हुई"

८. बाज़ और दिनों के रोज़े

हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया जिस ने चहार शम्बह, पंज शम्बह जुमा को रोज़े रखे अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाएगा जिस का बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देगा और अंदर का बाहर से और एक रिवायत में है कि उसके लिए जन्नत में मोती और याकूत और ज़बर जद का महल बनाएगा और उसके लिए दोज़ख़

Scanned by CamScanner

से बराअत (रिहाई) लिख देगा और एक रिवायत में है कि जो इन तीन दिनों के रोज़े रखे फिर जुमा को थोड़ा बहुत सदका करे तो जो गुनाह किया है बख्श दिया जाएगा। और वह ऐसा हो जाएगा जैसे उस दिन कि अपनी मां के पेट से पैदा हुआ" मगर खुसूसियत के साथ जुमा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है। इससे पहले जुमेरात को या उसके बाद हफ़्ता को भी जुमा के साथ मिला कर रोज़ा रखना चाहिए। (बुख़ारी मुस्लिम)

मसला:– शौहर सफ़र में है या बीमार है तो इस हालत में औरत, शौहर की इजाज़त के बग़ैर भी क़ज़ा रोज़े रख सकती है बल्कि अगर वह मना करे जब भी, और रमज़ान के लिए शौहर की इजाज़त की कुछ ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी मुमानिअत पर भी रखे यह अल्लाह का फ़र्ज़ और क़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– औरत किसी के यहां घरेलू मुलाज़िमत क़रती है और नफ़्ल रोज़ा रखेगी तो काम पूरा न कर सकेगी तो जिसके यहां मुलाज़िमत पर है उसकी इजाज़त की ज़रूरत है और काम पूरा कर सके तो कुछ ज़रूरत नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– औरत पर क़सम वग़ैरह का क़फ़्फ़ारा वाजिब है और माल से कफ़्फ़ारा अदा करने से आजिज़ है और रोज़ा रखना चाहती हो तो शौहर उसे रोज़ा रखने से रोक सकता है। (जौहरा)

मसला:– औरत अगर रोज़ा रखेगी तो कमज़ोर हो जाएगी, खड़े हो कर फ़र्ज़ नमाज़ अदा न कर सकेगी तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और बैठ कर नमाज़ पढ़े (दुर्रे मुख़्तार) जबकि खड़ा होना वाक़ई दुशवार हो।

मसला:– चुप रोज़ा जैसा कि कहीं कहीं कभी कभी औरतें रखती

हैं और उसमें चुप रहने को सवाब की बात समझती हैं यह मकरूह है और अगर चुप रहना सवाब की बात समझ कर न हो तो हर्ज नहीं। और बुरी बात से चुप रही तो यह मकरूह नहीं बल्कि यह तो आला दर्जे की चीज़ है क्योंकि बुरी बात ज़बान से न निकालना वाजिब है। यूंही बिला ज़रूरत बातें बनाना भी शरअन पसंद नहीं। ग़र्ज़ दारोमदार उसकी नीयत पर है और नीयत का हाल अल्लाह बेहतर जानता है।

नफ़ली रोज़ा

मसलाः– नफ़िल रोज़ा कस्दन शुरू करने से लाज़िम हो जाता है कि तोड़ेगी तो कज़ा वाजिब होगी और यह गुमान करके कि उसके ज़िम्मे कोई रोज़ा है। रोज़ा शुरू किया बाद को मालूम हुआ कि नहीं है। अब अगर फौरन तोड़ दिया तो कुछ नहीं और यह मालूम होने के बाद न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकतीं तोड़ेगी तो कज़ा वाजिब होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसलाः– नफ़ली रोज़ा कसदन नहीं तोड़ा बल्कि बिला अख़्तियार टूट गया मसलन असनाए रोज़ा में हैज़ आ गया। जब भी कज़ा लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– नफ़ल रोज़ा बिला ग़रज़ तोड़ देना नाजायज़ है और उज़्र हो तो जायज़ मसलन यह रोज़ादार है कि कोई मेहमान आ गया और ऐसा है कि अगर यह इसके साथ न खायेगी तो उसे नागवार होगा या खुद मेहमान रोज़ादार है और अगर मेज़बान के साथ खाना न खाएगा तो मेज़बान को अज़ीयत होगी तो इस हालत में रोज़ा तोड़ा जा सकता है। बशर्ते कि यह भरोसा हो कि उसकी कज़ा रख लेगी

और बशर्ते कि ज़ोहवऐ कुबरा (दोपहर) से पहले पहले तोड़ दे या मसलन किसी ने उसकी दावत की और जानती है कि न जाऊंगी तो उसपर गिरां गुज़रेगा ज़ोहवए कुबरा से क़ब्ल नफ़िल रोज़ा तोड़ देने की इजाज़त है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

मसला:– औरत बग़ैर शौहर की इजाज़त के, नफ़िल और मन्नत और क़सम के रोज़े न रखे और रख ले तो शौहर तुड़वा सकता है। मगर तोड़ देगी तो क़ज़ा वाजिब होगी और उसकी क़ज़ा में भी शौहर की इजाज़त दरकार है। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला:– मां बाप अगर बेटे बेटी को नफ़्ली रोज़ा रखने से मना करें इस वजह से कि मर्ज़ का अंदेशा है तो मां बाप की इताअत करे। (रददुलमुहतार)

मसला:– ईद बक़रईद या अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा नफ़िल रखा तो उस रोज़े का पूरा करना वाजिब नहीं न उसके तोड़ने से क़ज़ा वाजिब है बल्कि उसका तोड़ना वाजिब है। (रददुलमुहतार)

मन्नत के रोज़े

मसला:– औरत ने एक माह पै दर पै (लगातार) रोज़े रखने की मन्नत मानी तो अगर एक महीना या ज़्यादा तहारत का ज़माना उसे मिलता है तो ज़रूर है कि ऐसे वक़्त रोज़े शुरू करे कि हैज़ आने से पेश्तर तीस दिन पूरे हो जायें वरना हैज़ आने के बाद अब से तीस पूरे करने होंगे और महीना पूरा होने से पेश्तर उसे हैज़ आजाया करता है तो हैज़ से पहले जितने रोज़े रख चुकी है उन्हें शुमार कर ले जो बाक़ी रह गए हैं उन्हें हैज़ ख़त्म होने के बाद बिला नाग़ा पूरा कर ले कि पै दर पै रोज़ों की मन्नत में नाग़ा करना जायज़ नहीं

और मुतफ़र्रिक तौर पर मसलन दस रोज़े की मन्नत मानी तो लगातार रखना जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- किसी महीने मसलन रजब के रोज़े की मन्नत मानी और रजब में बीमार रही तो दूसरे दिनों में उन की क़ज़ा रखे और क़ज़ा में अख़्तियार है कि लगातार रोज़े हों या नागा दे कर। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- अक्सर औरतें मौला अली मुश्किल कुशा का रोज़ा रखती हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि रोज़ा ख़ास अल्लाह अज़्ज़ोजल्ल के लिए है अगर अल्लाह के लिए रोज़ा रखें और उसका सवाब मौला अली को नज़र करें तो हर्ज नहीं। मगर उसमें करती यह हैं कि रोज़ा आधी रात तक रखती हैं। शाम को इफ़्तार नहीं करतीं और आधी रात के बाद घर के किवाड़ खोल कर दुआ मांगती हैं। और उस वक़्त रोज़ा इफ़्तार करती हैं। यह शैतानी रस्म है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- ईदैन यानी मीठी ईद और बक़र ईद और अय्यामे तश्रीक़ यानी ज़िलहिज्जह की ग्यारह, बारह, और तेरह तारीख़ के रोज़े रखना हराम व गुनाह हैं। तो अगर इस महीने के रोज़े की मन्नत मानी और उसमें अय्यामे मनहैया (यानी वह पांच दिन जिन में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं) हैं तो उनमें रोज़े न रखे बल्कि उनके बदले बाद में रखे और अगर किसी मुतअय्यन महीने की मन्नत मानी मसलन रजब या शाबान की तो पूरे महीने का रोज़ा ज़रूर है। वह महीना उन्तीस का हो तो उन्तीस रोज़े और तीस का हो तो तीस रोज़े और नाग़ा न करे। फिर अगर कोई रोज़ा छूट गया तो उसको बाद में रख ले। पूरे महीने के लौटाने की ज़रूरत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

Scanned by CamScanner

मसला:- एक दिन के रोज़े की मन्नत मानी तो अख़्तियार है कि अय्यामे ममनूआ के अलावा जिस दिन चाहे रोज़ा रखले। यूंही दो दिन तीन दिन में भी अख़्तियार है। अलबत्ता उन में अगर पै दर पै की नीयत की तो पै दर पै रखना वाजिब होगा वरना अख़्तियार है कि एक साथ रखे या नाग़ा दे कर। और मुतफ़र्रिक़ की नीयत की और पै दर पै रख लिए तब भी जायज़ है। (आलमगीरी)

आधे दिन के रोज़े की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं है। (आलमगीरी)

हज का बयान

हज इस्लाम का पांचवां या इबादते इस्लामी का चौथा रुक्न या नमाज़ रोज़ा और ज़कात के बाद चौथा फ़रीज़ा है। जो उम्मते मुहम्मदिया के हर फ़र्द पर, ख़्वाह वह दुनिया के किसी इलाक़ा का बाशिंदा हो उम्र भर में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है। मगर सिर्फ़ उन लोगों पर जो वहां जाने की इस्तिताअत रखते हों। हज सन् ९ हि० में फ़र्ज़ किया गया। उसी फ़र्ज़ियत कत्तई है जो उसके फ़र्ज़ होने का इंकार करदे वह काफ़िर है।

यह याद रखना चाहिए कि इस्लाम जिस तरह आख़िरत में फ़लाह व नजात का ज़ामिन है उसी तरह दुनिया में भी कामयाबी व कामरानी का पैग़ाम है और उसकी फ़लाह दारैन की यह जामिइयत उसकी हर इबादत से बिल्कुल साफ़ ज़ाहिर हो रही है।

वुज़ू, नमाज़, नमाज़ बाजमाअत, रोज़ा, ज़कात यह सब रूह को जिला देने और अपने बातिन को पाकीज़गी से मामूर करने के साथ दुनियावी माद्दी जिस्मानी मआशी फ़ायदों और मस्लिहतों से भी कितने

लबरेज़ हैं। यह वही जो अक्ले कामिल और चश्म बीना की दौलत से माला माल हैं यही उसूल हज के बारे में भी काम कर रहे हैं।

उम्मत के मुख़्तलिफ़ तबक़ों का दुनिया के मुख़्तलिफ़ गोशों से मन्ज़िल दर मंज़िल, ख़ुश्की व तरी का यह सफ़रे हज और महज़ अज़ीमुश्शान इज्तिमा, एक ख़ुश्क इबादत और ज़िक्रे इलाही के लिए नहीं। फ़र्द व मिल्लत दोनों के लिए यानी इन्फ़िरादी व इज्तिमाई हर क़िस्म के फ़ायदे इससे हासिल किए जा सकते हैं और किए जाने चाहियें। हर मिज़ाज हर कुमाश और जुदागाना मुआशिरा रखने वाले, इस्लाम के शैदाइयों का यह इज्तिमा रंग रेलियां मनाने के लिए नहीं, जाहिल कौमों के मेलों ठेलों की तरह रौशनी और आतिश्बाज़ी के लिए नहीं ख़्वाबे ग़फ़लत में पड़े रहने के नहीं फ़ख़रिया कसीदों और शेरो शायरी में सर्फ़ करने के लिए नहीं, लगुव बात और मुहमिलात में गुज़ारने के लिए नहीं, कुरआने करीम बार बार याद दिलाता है कि यह इज्तिमा ज़िक्र व इबादते इलाही के लिए है।

तो यह कहना चाहिए कि हज गोया दुनियाए इस्लाम का बैनुलअकवामी सालाना इज्तिमा है। जिस से कौम व मिल्लते इस्लामिया के दीनी व दुनियावी मुफ़ाद वाबस्ता हैं। इसका मकसदे आज़म शौक्ते इस्लाम का इज़हार भी है और मुसलमानों को इस सफ़र से जो फवायद हो सकते हैं वह भी इस मकसूद के ज़िमन में दाख़िल हैं। इसी से इस्लामी आलम में दीनी राबते मज़बूत होते हैं और मुख़्तलिफ़ कौमों नसलों मुख़्तलिफ़ ज़बानों मुख़्तलिफ़ रंगतों और मुख़्तलिफ़ मुल्कों के अश्ख़ास को दीने वाहिद की वहदत में पिरो दिया जाता है।

हज में सब के लिए वह सादा, बिन सिला लिबास जो नस्ले इंसानी

Scanned by CamScanner

के पिदरे आज़म आदम अलै० का था तजवीज़ किया गया है ताकि एक ही रसूल, एक ही कुरआन, एक ही काबा पर ईमान रखने वाले एक ही सूरत में, एक ही लिबास में, एक ही सतह पर नज़र आयें और चश्मे ज़ाहिर (बीन को भी, इत्तिहादे मानवी रखने वालों के अंदर, कोई इख्तिलाफे ज़ाहिरी महसूस न हो सके। (माखुज़)

ज़रूरी मसाइल

मसला:- हज की फर्ज़ियत में औरत मर्द का एक ही हुक्म है। जो राह की ताकत रखता है उस पर हज फौरन फर्ज़ है यानी उसी साल में और अब ताखीर गुनाह है। मर्द हो या औरत जो अदा न करेगा अज़ाबे जहन्नम का मुस्तहिक होगा। औरत में इतनी बात ज़्यादा है कि उसे बगैर शौहर या महरम के साथ लिए सफर को जाना हराम है और उसमें कुछ सफरे हज की खुसूसियत नहीं कहीं भी एक दिन के रास्ते पर बे शौहर या महरम के जाएगी तो गुनाहगार होगी। हां जब फर्ज़ अदा हो जाए तो बार बार सफर करना औरत को मुनासिब नहीं कि वह जिस कद्र पर्दा के अंदर है उसी कद्र बेहतर है। हदीस में इस कद्र है कि रसूल सल्ल० ने उम्महातुल मुमिनीन (अज़वाजे मुताहहिरात) को हज करा कर फरमाया। "यह एक हज हो गया उसके बाद घर की चटाइयां" इस का मतलब यह नहीं कि औरत को दूसरा हज नाजायज़ है। बल्कि बेहतर है कि अब न जाए। (फतावा रिज़विया)

मसला:- औरत के हमराह सफर में महरम का होना शर्त है। ख्वाह वह औरत जवान हो या बुढ़िया, अफीफा हो ज़ईफा, यह अफीफा है तो जिन से उस पर अंदेशा है वह तो अफीफ नहीं और ज़ईफा

है तो जहाज़ या दूसरी सवारी पर चढ़ाने उतारने के लिए ज़ईफ़ा को दूसरे शख़्स की ज़्यादा हाजत है और महरम से मुराद वह मर्द है जिससे हमेशा के लिए उस औरत का निकाह हराम है ख़्वाह निस्बत की वजह से हराम हो जैसे बाप बेटा, भाई चचा मामूं वग़ैरह, या दूध के रिश्ते से निकाह की हुर्मत हो जैसे रज़ाई भाई बाप बेटा वग़ैरह या सुसराली रिश्ता से हुर्मत आई जैसे ख़ुसर, शौहर का बेटा वग़ैरह। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– महरम जिसके साथ औरत सफ़र कर सकती है उसका आक़िल बालिग़ होना भी शर्त है कि वह उसकी हिफ़ाज़त कर सके और यह भी शर्त है कि वह महरम बे ग़ैरत फ़ासिक़ न हो ऐसे बे हमिय्यत महरम के साथ भी औरत को सफ़र हराम है कि ना हिफ़ाज़िती का अंदेशा सामने मौजूद है तो उसका होना न होना बराबर है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– हज का जाना सवाब के लिए है और बेमहरम जाने या ऐसे बेग़ैरत के साथ रहने में या मुंह बोले बेटे या ऐसे बाप को साथ रखने में सवाब के बदले हर क़दम पर गुनाह लिखा जाएगा अगरचे बग़ैर महरम के चली गई और हज कर लिया तो फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

मसला:– औरत का न शौहर है न कोई क़ाबिले एतमाद महरम तो उस पर यह वाजिब नहीं कि हज पर जाने के लिए किसी से निकाह करे और जब महरम है तो हज फ़र्ज़ के लिए महरम के साथ जाए अगरचे शौहर इजाज़त न देता हो। हां नफ़्लि या सुन्नत का हज हो तो शौहर को मना करने का अख़्तियार है। (जौहरा)

मसला:– औरत हज को जाना चाहती है और महरम नहीं पाती

Scanned by CamScanner

या शौहर नहीं रखती तो उसका तरीका यह है कि किसी कफ़ू यानि ऐसे शख़्स से हज से वापसी तक के लिए निकाह करके साथ ले जाए और लाए, जो कौम या मज़हब या पैसे में या चाल चलन में ऐसा कम न हो कि उससे निकाह उसके वली के लिए बाइसे नंग व आर हो। फिर अगर निकाह को बाकी रखना चाहे और अंदेशा हो कि दूसरे की पाबंद हो जाएगी तो उसकी तदबीर यह है कि औरत गवाहों के रूबरू उस कफ़ू से कहे कि मैंने अपने नफ़्स को तेरे निकाह में दिया इस शर्त पर कि जब तू मुझे हज को ले जाए और वापस अपने मकान पर पहुंचते ही मुझ पर तलाक बाइन हो या अगर तू इस साल हज को मेरे साथ न जाए तो मुझ पर तलाक बाइन हो। मर्द कहे मैंने कुबूल किया इसी शर्त पर कि जब मैं तुझे हज को ले जाऊं। (इला आखिरा)

या इसी शर्त पर कफ़ू से निकाह के लिए किसी को वकील बनादे और यह वकील यूंही इसी शर्त पर उसका निकाह कर दे यानी उस कफ़ू से कहे कि मैंने फ़लाना बिन्त फ़लां बिन फ़लां अपनी मुवक्किला को इतने महर के एवज़, इस शर्त पर तेरे निकाह में दिया कि जब वह औरत बाद हज अपने घर वापस आए,मकान में दख़िल होते ही उस पर एक तलाक़ बाइन हो और शौहर कहे मैंने उसे इस शर्त पर कुबूल किया।" अब बाद वापसी घर में आते ही फ़ौरन उसके निकाह से निकल जाएगी जिसे वह किसी तरह नहीं रोक सकता।

मकसूद इस तदबीर से यह है कि बे महरम या बिला शौहर के जाना सादिक न हो। ज़ौजियत के मकासिद हासिल होने या न होने से बहस नहीं। लिहाज़ा सत्तर अस्सी साल के बूढ़े से भी इस सफ़र के लिए निकाह करना दुरुस्त है। (फ़तावा रिज़विया)

Scanned by CamScanner

हजे बदल

हज, बदनी और माली दोनों इबादतों का मजमूआ है। जिस पर हज फ़र्ज़ था और मआज़ल्लाह बे किए मर गई। ज़ाहिर है कि बदनी हिस्सा से तो आजिज़ हो गई। रब्बे अज़्ज़ो जल्ल की रहमत है कि सिर्फ माली हिस्सा से उसकी तरफ से हज बदल कुबूल फ़रमाता है। जबकि वह वसीयत कर जाए और रहमत पर रहमत यह कि वारिस का हज कराना भी कुबूल फ़रमा दिया जाता है अगरचे मय्यत ने वसीयत न की हो। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- ज़िंदगी में जो कोई हज बदल इज्ज़ो मजबूरी के वजह से कराए उस हज की सेहत के लिए शर्त है कि वह मजबूरी आख़िरी उम्र तक बाकी रहे। अगर हज बदल के बाद वह मजबूरी जाती रही तो बज़ाते ख़ुद हज करने पर कुदरत पाई तो इससे पहले जो हज बदल अपनी तरफ से कराए सब साकित हो गए। सब में हज नफ़िल का सवाब हो गया फ़र्ज़ अदा न हुआ अब इस पर फ़र्ज़ है कि ख़ुद हज करे फिर अगर ग़फ़लत की और वक़्त गुज़र गया और अब दोबारा मजबूरी लाहक़ हुई तो अज़ सरे नौ हज कराना ज़रूरी है हां अगर कोई मजबूरी ऐसी हो जो आदतन ज़ायल नहीं हुआ करती और उसने हज बदल करा दिया और उसके बाद कुदरते इलाही से मसलन किसी वली की करामत से वह नाक़ाबिले ज़वाल उज़्र ज़ायल हो गया। मसलन अंधे होने के बाइस हज बदल कराया और फिर रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आंखें दे दीं तो उस का वह पहला वाला हज बदल साकित न हुआ वही काफी हैं ख़ुद अगर हज कर सके सआदत है वरना फ़र्ज़ अदा हो गया। और अगर वह औरत हकीकतन ऐसी मजबूर न थी

Scanned by CamScanner

कि खुद न जा सकती या बीमारी कमज़ोरी वग़ैरह की वजह से मजबूर थी। बाद को वह मजबूरी दूर हो गई तो इन सूरतों में वह हज बदल या तो सिरे से नाकाफ़ी था या अब साकित हो गया और उसके लिए सिर्फ़ नफ़िल का सवाब रह गया। फ़र्ज़ बाकी है। खुद हज अदा करे और मजबूर व नाउम्मीद हो फिर हज बदल कराए। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- बेहतर यह है कि हज बदल के लिए ऐसा शख़्स भेजा जाए जो खुद हज्जे फ़र्ज़ अदा कर चुका हो। और हज के तरीके और उसके अफ़आल से आगाह हो और अगर ऐसे को भेजा जिसने खुद नहीं किया है जब भी हज बदल हो जाएगा और अगर खुद उस पर हज फ़र्ज़ हो और अदा न किया हो उसे भेजना मकरूह तहरीमी है। और मराहिक़ यानी करीबुलबुलूग़ बच्चे से हज कराया जब भी अदा हो जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- हज बदल वाले को उसी शहर से जाना चाहिए जो शहर मय्यत का था ताकि माली सर्फ़ पूरा हो। मक्का मुअज़्ज़मा से हज करा देना उसमें दाखिल नहीं। (आमए कुतुब)

हज में औरत के मख़सूस अहकाम

मसला:- हज अदा करने में औरत के लिए यह भी ज़रूरी है कि जाने के ज़माने में वह इद्दत में न हो। इद्दत वफ़ात की हो या तलाक़ की, बाइन की हो रजई की। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- अरकाने हज की अदाएगी में मर्द औरत के बराबर है। अलबत्ता औरत के लिए चंद मसायल में जुदागाना अहकाम हैं

१. मर्दों को हुक्म है कि वह अहराम के वक़्त, मीकात आने से

Scanned by CamScanner

पहले सिले हुए कपड़े और मोज़े उतार दें। एक चादर नई या धुली हुई ओढ़ें और ऐसा ही एक तह बंद बांधें। लेकिन औरत सिले हुए कपड़े और मोज़े पहन सकती हैं।

२. मर्द के लिए मुंह या सर किसी कपड़े से छिपाना, हालते एहराम में हराम है। लेकिन औरत अपना सर छिपा सकती है अलबत्ता ग़ैर महरम के सामने और नमाज़ में सर छिपाना फ़र्ज़ है।

तम्बीह:- अहराम में मुंह छिपाना औरत को भी हराम है उसे हुक्म है कि ग़ैर महरम के आगे कोई पंखा वग़ैरह मुंह से बचा हुआ सामने रखे।

३. गोंद वग़ैरह से बाल जामना, बहालते एहराम,मर्द को हराम है। लेकिन औरत गोंद या ऐसी ही किसी चीज़ से अपने बाल जमा सकती है।

४. एहराम की हालत में, मर्द के लिए सर या मुंह पर पट्टी बांधना या बाजू या गले पर तावीज़ बांधना, अगरचे बे सिले कपड़े में लपेट कर हो, मकरूह है। लेकिन औरत के लिए जायज़ है।

५.यूंही मर्द के लिए ग़िलाफ़े काबा में इस तरह दाखिल होना कि ग़िलाफ़े शरीफ सर या मुंह से लगे। मकरूह है और औरत के लिए खिलाफ़ं काबा के अंदर यूं दाखिल होना कि सर पर रहे मुंह पर न आए जायज़ है।

६.इस हालत में दस्ताने मोज़े या जुराबें जो पिंडली और क़दम के जोड़ को छिपाए मर्द को पहनना मकरूह है। औरत दस्ताने और जुराबें,मोज़े इस्तेमाल कर सकती है।

७. मर्द के लिए हुक्म है कि लब्बैक बआवाज़े बुलंद कहे। लेकिन औरत इतनी आवाज़ से लब्बैक न कहे कि ग़ैर महरम सुने। हां इतनी आवाज़ हर पढ़ने में हमेशा सब को ज़रूर है कि अपने कान तक

Scanned by CamScanner

आवाज़ आ सके।

८. मर्द को हुक्म है कि तवाफ़ शुरू करने से पहले इज़्तिबाअ करले यानी चादर की सीधी जानिब दाहिनी बग़ल के नीचे से निकाले कि सीधा शाना खुला रहे और दोनों आंचल बायें कंधे पर डाल ले मगर औरत को यह हुक्म नहीं।

९. मर्द तवाफ़े काबा में रमल करता चलेगा यानी जल्द जल्द छोटे कदम रखना, शाने हिलाता जैसे कौमी व बहादुर लोग चलते हैं न कूदना, दौड़ना, लेकिन औरत इससे मुस्तश्ना है।

१०. मर्द, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करेगा और जब पहला मील आएगा दौड़ना शुरू कर देगा मगर न हद से ज़ायद,न किसी को ईज़ा देते हुए यहां तक कि दूसरे मील से निकल जाए तो आहिस्ता हो कर मरवा पर पहुंचेगा। फिर सफ़ा को जाएगा फिर आएगा। यहां तक कि सातवां फेरा मरवा पर खत्म होगा। इसी का नाम सई है लेकिन इस में दौड़ना औरत के लिए नहीं।

११. संगे असवद का बोसा नसीब हो तो यह कमाले सआदत है। यकीनन तुम्हारे महबूब व मौला मुहम्मद रसूल सल्ल० ने बोसा दिया और रूए अकदस उस पर रखा है। ज़हे खुशनसीबी कि तुम्हारा मुंह वहां तक पहुंचे लेकिन उसके लिए मर्दों के हुजूम में घुसना, किसी तरह दुरुस्त नहीं। औरतों के लिए इतना ही काफी है कि हाथों से संगे असवद की तरफ इशारा कर के हाथों को बोसा दे लें। मुहम्मद सल्ल० के मुंह रखने की जगह निगाहें पड़ रही हैं यही क्या कम है।

१२. यही हुक्म मस्से रुक्ने यम्मानी का है।

१३. तवाफ़ में मर्द जिस कद्र खाना काबा से नज़दीक हो बेहतर है। लेकिन औरतें अगर ऐसा मौका न पाएं कि उन का बदन ग़ैर महरम से न छूए तो उन्हें अलग थलग रहना सबसे बेहतर है।

Scanned by CamScanner

१४. यूंही औरतें चाहे ज़मज़म से खुद पानी भरने की कोशिश न करें।

१५. और न चाहे ज़मज़म के अंदर नज़र करें अगरचे बहुक्मे हदीस, निफ़ाक़ को दूर करता है। हां संगे असवद का बोसा या मस्से रुक्ने यमानी या कुर्बे काबा या ज़मज़म के अंदर नज़र या उससे खुद पानी भरना यह बातें यूं मयस्सर आजायें कि ग़ैर महरम से बदन न छूए तो खैर वरना बात वही है कि अलग थलग रहना औरत के सबसे बेहतर है।

एक ज़रूरी नसीहत

सई में सत्रे औरत (यानी बदन के जिस हिस्से का छिपाना फ़र्ज़ है उसे छिपाना) सुन्नत है यानी अगरचे सत्र का छिपाना फ़र्ज़ है। मगर इस हालत में फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत भी है। कि अगर सत्र खुला रहा तो उसकी वजह से कुफ़्फ़ारा वाजिब नहीं मगर दो गुनाह उसके सर बंध गए एक गुनाह फ़र्ज़ के तर्क का और दूसरा फ़र्ज़ सुन्नत का। बाज़ औरतें निहायत बेबाकी से सई करती हैं कि उनकी कलाइयां और गला खुला रहता है। हालांकि आज़ाद औरतों के लिए सारा बदन औरत है। सिवा मुंह की टकली और हथेलियों और पांव के तलवों के। गरदन और कलाइयां भी औरत हैं और गला गरदन में दाखिल है। इन सब का छिपाना भी फ़र्ज़ है। मगर औरतें यह ख्याल नहीं करतीं कि मक्का मुअज़्ज़मा में गुनाह व मआसियत, दूसरी जगह से सख़्त तर है कि यहां जिस तरह एक नेकी लाख के बराबर है। यूंही एक गुनाह लाख गुनाहों के बराबर। हरम वह जगह है जहां गुनाह के इरादे पर पकड़ होती है।

Scanned by CamScanner

औरतों की यह बेबाकी और लापरवाही और भी ज़्यादा काबिले गिरफ़्त हो जाती है कि सई तो सई काबा मुअज़्ज़मा के सामने भी वह उसी हालत में रहती हैं बल्कि उसी हालत में तवाफ़ भी कर लेती हैं हालांकि तवाफ़ में सर छिपाना अलावा इस फर्ज़ के जो औरतों के लिए दायमी है, वाजिब भी है। तो यहां भी दो गुनाह उन से सादिर हुएं एक तर्के फर्ज़ और दूसरा तर्के वाजिब का। और वह भी, कहां बेतुल्लाह के सामने और खास तवाफ़ की हालत में।

बल्कि बाज़ औरतें तवाफ़ करने में खुसूसन हजरे असवद को बोसा देने में मर्दों के हुजूम में घुस जाती हैं,उनका बदन अजनबी मर्दों के जिस्म से मस होता रहता है मगर उनको इस की परवाह नहीं होती। खुदा की बंदियो ! सई तवाफ़ और संगे असवद का बोसा और दूसरे अफ़आले हज, उमूरे खैर हैं। सवाब के लिए किए जाते हैं और तुम सवाब की बजाए गुनाहों से अपना नामए आमाल स्याह करती हो। इन उमूर की जानिब हाजियों को खुसूसियत से तवज्जोह देनी चाहिए और जिन मर्दों के साथ औरतें रहती हैं उन्हें बताकीद ऐसी बातों से मना करना चाहिए और उन्हें ही नहीं दोनों को खुदा और रसूल जल्ल वअला सल्ल० से डरना और शरमाना चाहिए।

वमा तौफीकी इल्लाह बिल्लाह

१६. मर्द को हुक्म है कि कुरबानी के बाद किबला रू बैठ कर हल्क करें यानी सारा सर मुंडायें कि अफ़ज़ल है या बाल कतरवायें कि रुखसत है मगर औरतों को हल्क यानी सर मुंडाना हराम है वह सिर्फ एक पोरे बराबर बाल कतर वालें। (फ़तावा रिज़विया बहारे शरीअत)

Scanned by CamScanner

मसला:– औरतें अगर इज़्दहाम और मर्दों के हुजूम के सबब, दसवीं ज़िलहिज्जह को फ़र्ज़ तवाफ़ के लिए जिसे तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं न जा सकीं तो उसके बाद ग्यारहवीं तारीख़ को अफ़ज़ल है और उस दिन यह बड़ा नफ़ा है कि मताफ़ ख़ाली मिलता है गिनती के मर्द होते हैं। औरतों को भी बइत्मीनान तमाम, हर फेरे में संगे असवद का बोसा मयस्सर आ जाता है और जो ग्यारहवीं को न जाए बारहवीं को करले। उसके बाद बिला नाग़ा ताख़ीर गुनाह है। जुर्माना में एक कुरबानी करनी होगी। हां मसलन औरत को हैज़ या निफ़ास आ गया तो उनके ख़त्म के बाद तवाफ़ करें। मगर हैज़ या निफ़ास से अगर ऐसे वक़्त पाक हुई कि नहा धो कर बारहवीं तारीख़ में आफ़ताब डूबने से पहले तवाफ़ के चार फेरे कर सकती है तो करना वाजिब है। न करेगी तो गुनाहगार होगी। यूंही अगर इतना वक़्त मिला था कि वह तवाफ़ कर लेती और न किया और अब हैज़ या निफ़ास आ गया तो गुनाहगार हुई। (रददुलमुहतार)

मसला:– औरत ने तवाफ़े विदाअ (जो बाहर वालों पर वाजिब है और मक्का मुअज़्ज़मा से अज़्मे रुख़सत के वक़्त किया जाता है) न किया था कि उसे हैज़ आ गया तो अब उस पर तवाफ़ विदाअ वाजिब न रहा। ऐसी औरत को हुक्म है कि मस्जिदे करीम के दरवाज़े पर खड़ी हो कर काबाए मुअज़्ज़मा को बनिगाहे हसरत देखे और दुआ करती पलटे। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– हज के अय्याम में औरत को हैज़ व निफ़ास में मुबतला हो जाना, उसे किसी इबादत की बजा आवारी से नहीं रोकता। वह हज के तमाम अफ़आल, मिस्ल वकूफ़ अरफ़ात, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, रमी जमार वग़ैरहा, इसी हालत में बजा लाए मगर ख़ाना काबा के

Scanned by CamScanner

अंदर जाना। या उसका तवाफ़ करना अगरचे मस्जिद हराम के बाहर से हो उसके लिए हराम है कि ऐसी औरत को खुद मस्जिद ही में जाना, जायज़ व हलाल नहीं। (आमए कुतुब)

हक़ सुबहानुहू तौफीके ताअत अता फ़रमा कर मदीना तय्यबा की ज़ियारत कराए आमीन।

हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा है।

काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो।।

सफ़र मदीना तय्यबा

हबीबे अकरम सय्यदे आलम सल्ल० की बारगाहे बेकस में हाज़िरी और रौज़ए अनवर की ज़ियारत करीब बवाजिब है। बहुत लोग दोस्त बन कर तरह तरह से डराते हैं। राह में खतरा है। वहां बीमारी है। खबरदार किसी की न सुनो और हरगिज़ महरूमी का दाग़ लेकर न पलटो, जान एक दिन जानी ज़रूर है। इससे क्या बेहतर कि उन की राह में जाए और तज़ुर्बा है कि जो उनका दामन थाम लेता है उसे अपने साए में आराम से ले जाते हैं कील का खटका नहीं होता।

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं जिस ने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की तो गोया उसने मेरी ज़िंदगी में ज़ियारत की और जो हरमैन (मक्का मुअज़्ज़मा व मदीना मुनव्वरा) में मरेगा कियामत के दिन अमन वालों में उठेगा (बैहेकी) और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया जिस ने हज किया और मेरी ज़ियारत न की उसने मुझ पर जफ़ा की। (इब्ने अदी)

मसला:- हज अगर फ़र्ज़ है तो हज करके मदीना तय्यबा हाज़िर हो, हां अगर मदीना तय्यबा रास्ता में हो तो रौज़ए अनवर की

ज़ियारत के बग़ैर, हज को जाना, सख्त महरूमी और कसावते कलबी, (संग दिली) है और इस हाज़िरी को कुबूले हज्जे सआदत दीनी व दुनियावी के ज़रिया व वसीला करार दे और हज्ज नफिल हो तो अख्तियार है कि पहले हज से पाक साफ हो कर महबूब के दरबार में हाज़िर हो या पहले सरकारे आज़म में हाज़िर हो कर, हज के लिए जाएं ग़र्ज़ उसे अख्तियार है मगर नीयते खैर दरकार है कि आमाल का मदार नीयत पर है।

तम्बीह:- यकीन जानो कि हुजूर सल्ल० सच्ची हकीकी दुनियावी जिस्मानी हयात से वेसे ही ज़िंदा हैं जैसे वफात शरीफ से पहले थे। उनकी और तमाम अम्बिया अलै० की मौत सिर्फ वादाए खुदा की तस्दीक को एक आन के लिए थी। फिर बदस्तूर ज़िंदा हो गए तो उनका इन्तिकाल सिर्फ नज़रे अवाम से छिप जाना है। वलिहाज़ा अइम्मए दीन रहमतुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि "हुजूर सल्ल० की हयात वफात में इस बात में कुछ फर्क नहीं कि वह अपनी उम्मत को देख रहे हैं और उनकी हालतों और नीयतों, उनके इरादों और उनके दिलों के ख्यालों को पहचानते हैं और यह सब हुजूर पर ऐसा रौशन है जिसमें असलन पौशीदगी नहीं। यहां तक कि वह तेरी हाज़री और तेरे खड़े होने और तेरे सलाम तेरे तमाम अहवाल अफआल और कूच के मकाम से आगाह हैं।" (मवाहिब लदीना वग़ैरह) वलिहाज़ा हुजूर की ताज़ीम व तौकीर जिस तरह उस वक्त थी कि हुजूर इस आलम में ज़ाहिरी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा थें अब भी उसी तरह फर्ज़ आज़म है। जब हुजूर सल्ल० की बारगाह में मदीना तय्यबा की हाज़री नसीब हो तो रौज़ा शरीफ के सामने चार हाथ के फासिले से दस्त बस्ता जैसे नमाज़

Scanned by CamScanner

में खड़े होते हैं खड़ी हो कर सर झुकाए, आंखें नीची किए हुए जलाल व जमाले महबूब सल्ल० के तसव्वुर में डूब कर सलात व सलाम अर्ज़ करे। बहुत करीब न जाए न इधर उधर देखें और खबर दार आवाज़ कभी बुलंद न करना कि उम्र भर का सारा किया धरा अकारत हो जाए। इस वक़्त जो अदब व ताज़ीम फ़र्ज़ है हर मुसलमान का दिल जानता है। आंखों, कानों, ज़बान, हाथ, पांव दिल सब ख्याले ग़ैर से पाक करो। खुशूअ व खुज़ूअ से आस्तानए अक्दस की तरफ़ मुतवज्जाह रहो। रोना न आए तो रोने का मुंह बनाओ और दिल को बज़ोर रोने पर लाओ और अपनी संगदिली से रसूलुल्लाह सल्ल० की तरफ़ इल्तिजा करो। लरज़ती कांपती, गुनाहों की निदामत से पसीना-पसीना होती हुजूर पुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ु व करम की उम्मीद रखती।

हुज़ूर वाला की पायीं यानी मशरिक़ की तरफ से सामने हाज़िर हो कि हुज़ूर अक्दस सल्ल० रू ब किबला जलवा फ़रमा हैं। इस सिम्त से हाज़िर हो कर हुज़ूर की निगाह बेकस पनाह तुम्हारी तरफ होगी और यह बात तुम्हारे लिए दोनों जहां में काफी है।

अल्हम्दुल्लिाह अब कि दिल की तरह तुम्हारा मुंह भी उस पाक जाली की तरफ़ है जो अल्लाह अज़्ज़ोजल्ल के महबूब अज़ीमुश्शान सल्ल० की आरामगाह है निहायत अदब व विकार के साथ मजरा व तस्लीम बजा लाओ और मोतदिल आवाज़ से अर्ज़ करो।

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا
رسول الله ط السلام عليك يا خير خلق الله ط السلام عليك يا شفيع
المذنبين ط السلام عليك وعلى آلك واصحابك وامتك اجمعين

Scanned by CamScanner

जहां तक मुमकिन हो और ज़बान साथ दे और मलाल व कसल न हो सलात व सलाम की कसरत करो और हुज़ूर से अपने लिए और अपने मां बाप पीर उस्ताद औलाद, अज़ीज़ों, सहेलियों और सब मुसलमानों के लिए शफ़ाअत मांगों, बार बार अर्ज़ करो।

اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰه

(या रसूलुल्लाह मैं आप से शफ़ाअत की भीख मांगती हूं) फिर अगर किसी ने अर्ज़ सलाम की वसीयत की हो बजा लाओ। शरअन इस का हुक्म है। और यह फ़क़ीर ज़लील उन मुसलमानों को जो इस रिसाला को देखें वसीयत करता है कि जब उन्हें हाज़िरी बारगाह नसीब हो तो इस नंग खलायक़ के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और इस बारगाहे रफ़ीअ में सलात व सलाम ज़रूर अर्ज़ करें। अल्लाह उन को दोनों जहां में इज़्ज़त बख्शे। आमीन

ज़रूरी निहायत ज़रूरी:- वह तमाम आदाब व अहकाम जो तवाफ़े खानाए काबा में और दूसरे मुक़ामात पर महलूज़ थे। यहां भी उनका लिहाज़ रखें। मसलन हरगिज़ हरगिज़ अजनबी मर्दों के हुजूम में दाखिल न हों। उन से अपना बदन मस न होने दें और सत्रे औरत का पूरा पूरा एहतमाम करें हिदायते सफ़र हज के लिए जाना नसीब हो तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रिज़ा खां साहब क़ादरी बरकाती क़दस सिर्रहू का रिसाला मुबारका "अनवरुलबशारत" ज़रूर अपने साथ रखें कि क़दम क़दम पर राह नुमाई फ़रमाएगा। या फिर उस्ताज़िल मुहतरम सदरुश्शरीआ हज़रत मौलाना अश्शाह अबुल आला मौलाना अमजद अली साहब क़ादरी बरकाती रिज़वी क़दस सिर्रहू की बहारे शरीअत का हिस्सा शशुम कि वह निसबतन आसान भी है और मुफ़स्सल भी।

Scanned by CamScanner

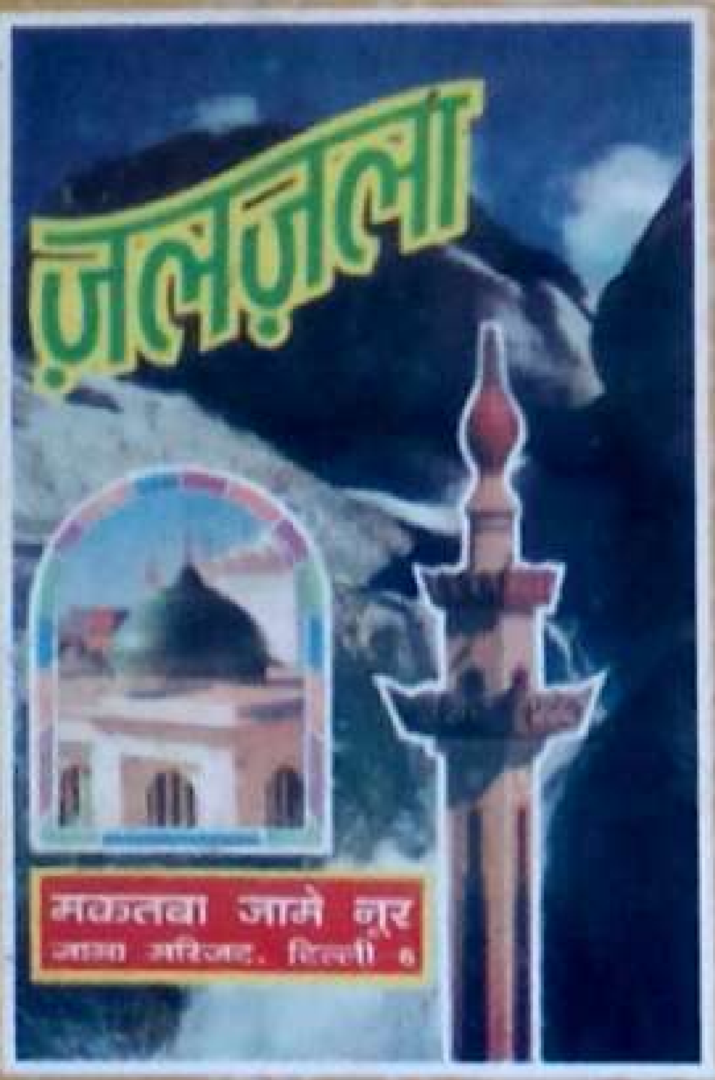

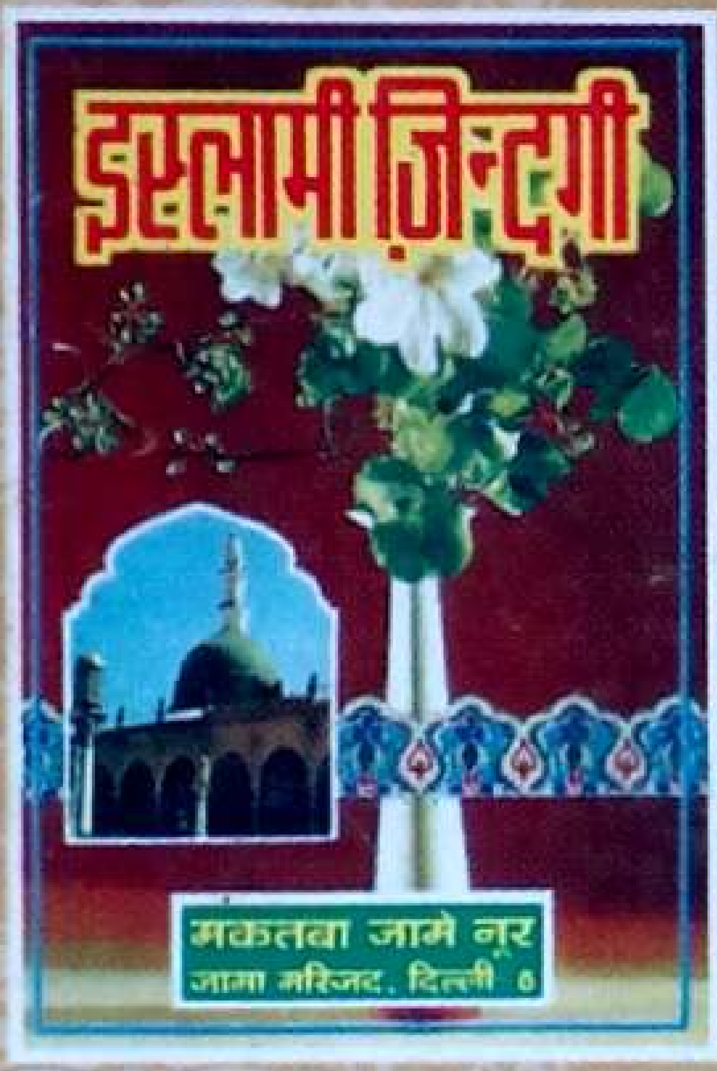

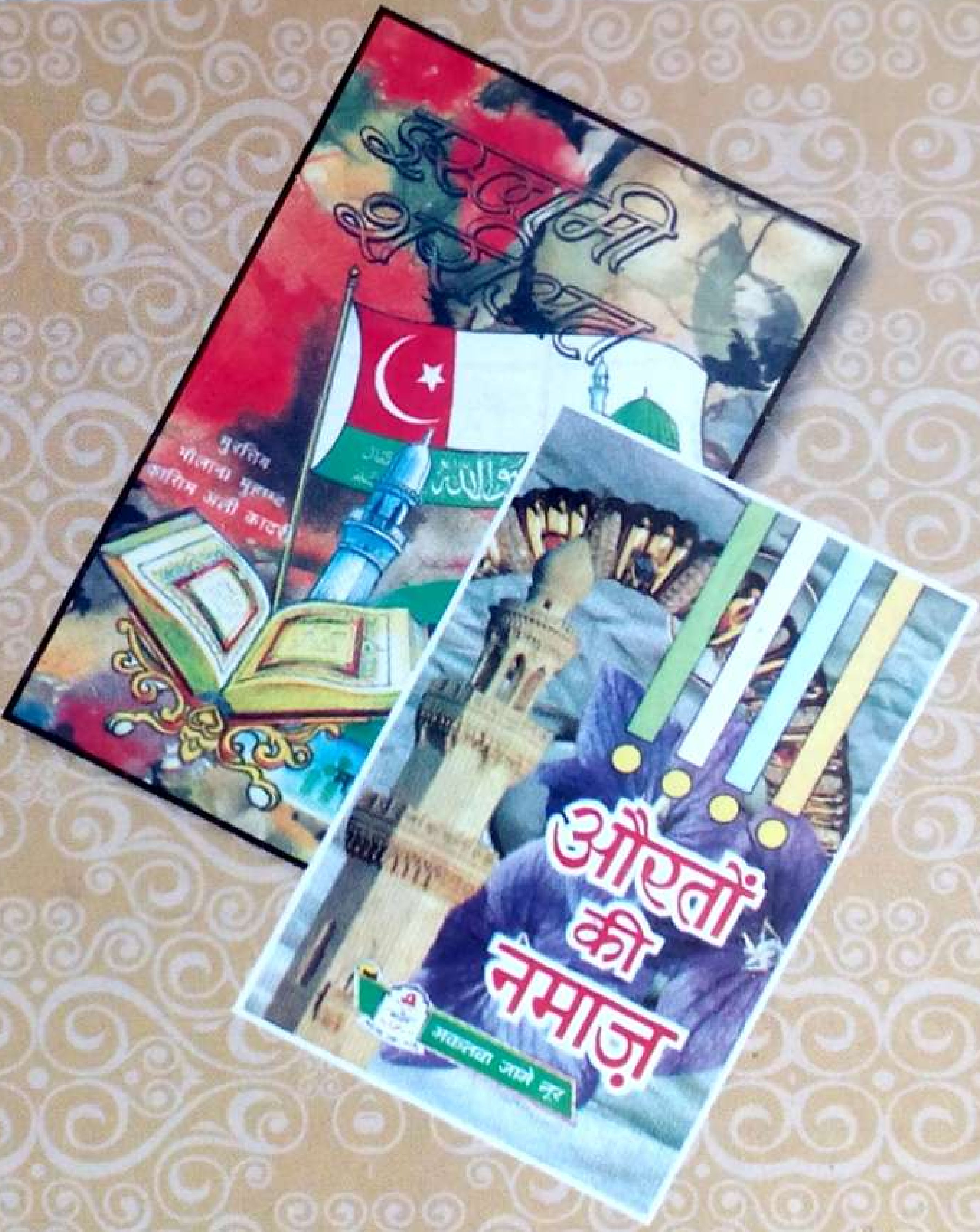

مکتبہ جام نور دہلی

MAKTABA JAAM-E-NOOR

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal
Jama Masjid, Delhi - 6
Contacts
011-23281418, 8800522592
kausar1977@gmail.com

Scanned by CamScanner